खण्ड-218, अंक-10
सोमवार, 1 फाल्गुन, शक संवत् 1882
(20 फरवरी, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 218 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २० फरवरी, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६७

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री

प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण श्री

राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुंतलादवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री

श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:--मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त, वित्त मंत्री श्री हरगोविन्दसिंह तथा श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपलानी भी उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २० फरवरी, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नगरपालिकाओं के मेहतर कर्मचारियों की साप्ताहिक छुट्टियां तथा फंड

१--श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अगस्त, १९६० के राजकीय आदेशानुसार प्रदेश की किन-किन नगरपालिकाओं में साप्ताहिक व त्योहारों की छुट्टियां प्रदान की जा रही हैं एवं प्राविडेंट फंड की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जा रही है?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)--(क) ११६ नगरपालिकाओं से प्राप्त सूचना के आधार पर अगस्त, १९६० के आदेशानुसार ८१ नगरपालिकायें अपने मेहतर कर्मचारियों को छुट्टी प्रदान कर रही हैं तथा १९ नगरपालिकाओं में यह प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) ११६ नगरपालिकाओं से प्राप्त सूचना के आधार पर ५७ नगरपालिकाओं में मेहतरों को प्राविडेंट फंड की सुविधा प्रदान की गई है तथा ५ नगरपालिकाओं में यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन १६ नगरपालिकाओं में कोई छुट्टी अभी नहीं दी जा रही है तथा जिन ५४ नगरपालिकाओं में कोई प्राविडेंट फंड की व्यवस्था नहीं है, उनमें इन सुविधाओं को प्रदान कराने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री कैलाशप्रकश---अभी इनसे सूचनाएं प्राप्त की गई थीं । अब इनके साथ पत्र-व्यवहार होगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६० में जो सरकारी आदेश नगरपालिकाओं को दिया गया उसमें कोई ऐसी अवधि भी निश्चित की गई थी कि इसके अन्दर नगरपालिकाएं छट्टियां और प्राविडेंट फंड की व्यवस्था कर दें ?

श्री कैलाशप्रकाश--- जी नहीं, कोई अवधि नियत नहीं थी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार उन नगरपालिकाओं को कुछ आर्थिक सहायता भी देने को प्रस्तुत है जोकि आर्थिक दिक्कतों के कारण प्राविडेंट फंड और छट्टयों की व्यवस्था नहीं कर पा रही हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--- जी नहीं, अभी इस बात पर कुछ नहीं कहा जा सकता ।

सीतापुर नगरपालिका का विघटन

२---श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---विधान सभा के ७-२-१९६१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के क्रम में क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि डिजाल्वड नगरपालिका, सीतापुर की वित्तीय स्थिति पहले के मुकाबले में सुधर रही है? यदि हां, तो क्या वे निकट भविष्य (फरवरी या मार्च, १९६१) में चुनाव न कराये जाने के आदश देन की कृपा करग ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं, ऐसा सम्भव नहीं है । चुनाव फरवरी या मार्च में नहीं हो सकेंगे ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चुनाव किस महीने में हो सकेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--- फरवरी, मार्च के पश्चात् ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि म्युनिसिपैलिटी को डिजाल्व किये जाने के आदेश देने के पूर्व अक्तूबर, सन् १९६० में कोई प्रतिनिधि मंडल स्वायत्त शासन मंत्री जी से मिला था ?

श्री कैलाशप्रकाश---मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है । नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री उग्रसेन---उन्होंने कहा कि उसकी स्थिति अब सुधर रही है, तो कैसी स्थिति से उनका मतलब है ?

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, मैंने तो यह कहा नहीं है उत्तर में कि सुधर रही है, प्रश्न में, यह अवश्य था । प्रश्न चूंकि चुनाव के सम्बन्ध में था तो मैंने कहा कि चुनाव को टालना सम्भव नहीं है । हां, फरवरी, मार्च में नहीं होगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, मार्च के पश्चात् चुनाव कब तक करा दिये जायंगे ? क्या १९६१ के अन्त तक करा दिये जायंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश---विचार तो फरवरी, मार्च में कराने का था किन्तु आज कल जन- गणना इत्यादि हो रही है, उसमें स्थानीय अधिकारियों को कार्य लगा हुआ है । अब पुनः वह कार्यक्रम बनाया जायेगा और वह उसके पश्चात् ही होगा ।

किन्तु जैसा मैंने कहा है कि चुनाव के स्थगित करने की जो बात इसमें थी वह मैंने उत्तर में कह दी।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं बहुत साफ प्रश्न है। वह यह जानना चाहते हैं फरवरी, मार्च से १० महीने होते हैं १९६१ के आखिर तक, आप क्या जबाब नहीं दे सकते कि १९६१ तक चुनाव हो जायगा या नहीं? इतनी बहस की क्या जरूरत है?

श्री कैलाश प्रकाश---मैंने कहा यथाशीघ्र चुनाव कराया जायगा। क्योंकि स्थानीय अधिकारियों को लिख कर भेजा गया कि वह अपना एक प्रोग्राम बना कर भेजें, अतः जब तक उनका प्रोग्राम न आ जायगा मैं कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता।

तारांकित प्रश्न

वेयर हाउसेज खोलने की योजना

*१---**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में राजकीय गोदाम (वेयर हाउसेज) बनाये गये हैं?

सहकारिता मन्त्री (श्री मंगलाप्रसाद) यदि अभिप्राय उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के वेयर हाउसेज से है तो संख्या शून्य है।

*२---**श्री मुक्तिनाथ राय**---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निकट भविष्य में किन-किन जिलों में वेयरहाउसेज खोलने की सरकारी योजना है?

श्री मंगलाप्रसाद---उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा निकट भविष्य में निम्नलिखित मंडियों में वेयर हाउसेज खोलने की योजना है---

१---वाराणसी,
२---सिरसागंज (मैनपुरी)
३---डिबाई (बुलन्दशहर)
४---गाजियाबाद (मेरठ)
५---पीलीभीत
६---गोंडा
७---ललितपुर (झांसी)
८---कोंच (जालौन)
९---तिलहर (शाहजहांपुर)
१०---शामिली (मुजफ्फरनगर)

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त वेयर हाउसेज किस आधार पर खोले जा रहे हैं?

श्री मंगलाप्रसाद---जो आधार वेयर हाउसेज कार्पोरेशन खोलने के लिये सरकार ने तय किया है उसी की बिना पर खोले जा रहे हैं जिससे कि जो गल्ले की पैदावार तमाम देश में होती है, खाली प्रदेश की ही नहीं, वह गल्ला आसानी से बिक सके और उसके रखने का ठीक इंतजाम हो सके।

श्री मुक्तिनाथ राय---मंत्री जी बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में कुल कितने राजकीय वेयर हाउसेज खोले जाने की सम्भावना है?

श्री मंगलाप्रसाद---अब तक १२ खुल चुके हैं और १० और खुलने की सम्भावना है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--सरकार बतायेगी कि एक वेयर हाउस पर कुल कितना व्यय होगा ?

श्री मंगलाप्रसाद--फिलहाल तो कोई व्यय नहीं हो रहा है इसलिये कि किराये के मकान में सब चलाये जा रहे हैं और जहां चलाये जाते हैं वहां १ आना फी मन प्रतिमाह उनसे लिया जाता है। उसमें सरकार को कोई पैसा नहीं देना पड़ता। स्टाफ़ का भी कार्पोरेशन ही देती है। अब अच्छा काम हो रहा है। पहले साल जरूर नुकसान हुआ था, दूसरे साल थोड़ा फ़ायदा हुआ। इस साल आधे समय तक २३,००० रु० का फ़ायदा हुआ। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। किसान और गल्ले का कारोबार करने वाले लोगों को उनसे फायदा है।

श्री मुक्तिनाथ राय--मान्यवर, पहले प्रश्न के उत्तर में दिया गया है कि संख्या शून्य है, लेकिन अब मंत्री जी ने कहा कि १२ खुल चुके हैं और १० खोले जा रहे हैं। तो १२ कहां-कहां खुल चुके हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद--वाकया यह है कि मूल प्रश्न में आपने पूछा था कि बनाये गये हैं, तो बन तो एक भी नहीं रहा है। १२ खोले गये हैं- नाम यह हैं --आगरा, अलीगढ़, कोसी कलां, मथुरा, बड़ौत, मेरठ, उरई, औरैया, बहराइच, गोंडा, इलाहाबाद और कानपुर।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--मंत्री जी ने यह कहा कि बनाये नहीं गये हैं, खोले गये हैं तो जो गोदाम खोले गये हैं वे सरकारी भवन में हैं या किराये पर हैं ?

श्री अध्यक्ष--जवाब दे चुके हैं कि किराये पर हैं।

डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक बिजनौर

*३--**आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक,बिजनौर का मुनाफा प्रतिवर्ष घटता जा रहा है ?

श्री मंगला प्रसाद--जी नहीं।

कोआपरेटिव विभाग के मृत सुपरवाइजरों का प्राविडेंट फंड

*४--**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या कोआपरेटिव विभाग में उत्तर प्रदेश के जिन-जिन जिलों के सुपरवाइजर १९५४ से १९५६ तक मर गये हैं उनके वारिसों को १९५६ से ३० मार्च, १९६० तक प्राविडेण्ट फंड व जमानत का पया नहीं प्राप्त हो सका है ?

श्री मंगलाप्रसाद--जी हां।

श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार बतलायेगी कि जो सुपरवाइजर मर गये उनके वारिसों को चार वर्षों के बाद भी प्राविडेंट फंड तथा जमानत का रुपया क्यों नहीं मिला ?

श्री मंगलाप्रसाद--इस बीच में जो आदमी मरे थे उनकी तादाद ७ थी। उनमें से २ को मिल चुका है और ५ को अभी नहीं मिल पाया है। इसकी वजह यह है कि अगर यह शिकायत होती है कि उनके नाम कुछ पैसा बाकी है तो उसका हिसाब किताब देखा जाता है और उनसे रुपयो मांगा जाता है जिसमें काफी देर लग जाती है। फिर आडिट एकाउन्ट होता है और इस तरह से एक साल लग जाता है। फिर आडिट एकाउन्ट के बाद उनसेलेने-देने की बात होती है, उसमें भी कुछ टाइम लग जाता है। फिर जो वारिस होता है उसके बारे में पता लगाया जाता है कि वह सही वारिस है या नहीं, उसका प्रमाण पाने में देर लगती है। इसलिये काफी समय लग जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री स्पष्ट करेंगे कि जो यह प्राइवेट फंड व्यक्तिगत रूप से आपरेट होता है इसका आडिट क्या होता है ?

श्री मंगलाप्रसाद--दफ्तर का हिसाब आडिट होता है जिससे यह मालूम होता है कि किस पर रुपया बकाया है और कुछ लेना-देना है। जब वह हिसाब हो जाता है तो उनको रुपया मिलता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--कोआपरेटिव सुपरवाइजरों के परिवारों को प्राविडेंट फंड न मिलने का एक कारण यह भी है कि उनके सर्विस रूल्स तथा प्राविडेंट फंड रूल्स अभी तक नहीं बन पाये हैं, तो क्या सहकारिता मंत्री जी इस प्रश्न पर भी विचार करेंगे ?

श्री मंगलाप्रसाद--मेरा खयाल है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसके लिये नोटिस दीजिये तो जवाब दिया जा सकता है।

*५--**श्रीमती शकुन्तलादेवी** (जिला सहारनपुर)--[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ९७ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*६--**श्री मदनगोपाल वैद्य** (जिला फैजाबाद)--[९ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ३८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

दोहरी घाट कोआपरेटिव यूनियन में गबन

*७--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में दोहरीघाट यूनियन के १९५९ के दिसम्बर मास की स्पेशल आडिट रिपोर्ट में किसी कर्मचारी के ऊपर २ हजार के गबन का आरोप लगाया गया है। यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गई है ?

श्री मंगलाप्रसाद--जी नहीं। कथित आडिट रिपोर्ट में तत्कालीन अवैतनिक मंत्री तथा सुपरवाइजर पर १९९५ रु० १७ नये पैसे से सम्बन्धित अनियमितताओं का आरोप है।

जांच करने पर ९६२ रु० १३ नये पैसे की तीन आडिट आपत्तियां सही नहीं सिद्ध हुईं। शेष १०३३ रु० ४ नये पैसे में से ४२७ रु० ३० नये पैसे वसूल हो चुके हैं और बाकी की शीघ्र अदायगी के आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गबन सही पाया गया है इसका किस किस के ऊपर आरोप है ?

श्री मंगलाप्रसाद--शायद इसीलिये 'जी नहीं' लिखा गया था क्योंकि आडिट ने 'गबन' लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया है और इसीलिये उस पर कार्यवाही भी नहीं हुई। जैसा कि मालूम हुआ इसमें १,०३३ रुपये ४ नये पैसे निकलते हैं। बाकी हिसाब किताब निकला नहीं, उसका सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसमें ऐसा हुआ था कि ४०० बोरी सीमेंट कैनाल से खरीदी थी। उसका पूरा रुपया उनके पास ऐडवान्स जमा कर दिया था। उसमें से ३०० बोरी सीमेंट तो लिया और १०० बोरी जम गयी थी इसलिये उसको नहीं लिया। इसलिये उतना ऐडवान्स उनके पास बाकी रह गया। इस तरह की चीजें हैं जो कि ९०० रुपये में आ जाती हैं। इसके अलावा और जो पैसा है उसका हिसाब किताब है। अब कुल १३० रुपये ८७ नये पैसे बाकी हैं। बाकी कुछ और अधिकारी हैं जिनके जिम्मे हैं। एक कमलाप्रसाद सुपरवाइजर हैं उन पर ५५७ रुपये बाकी हैं। वे दूसरी जगह चले गये हैं। उनसे

रुपया मांगा जा रहा है और लिया जायगा। बहुत से लोगों ने बीच में पैसा दे दिया है। अब कुल १३० रुपये ८७ नये पैसे बाकी रह गये हैं जोकि वसूल हो जायंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है कि ५-६ साल से इन कर्मचारियों के जिम्मे पैसा पड़ा था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी और आडिट रिपोर्ट की अवहेलना की गयी ?

श्री मंगलाप्रसाद--आडिट रिपोर्ट की तो कोई अवहेलना नहीं की गयी। बराबर कार्यवाही होती रही। जहां कहीं बाहर लोग चले गये हैं उनसे वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है। अब कुल १३० रुपये बाकी रह गये हैं इसके माने यह हैं कि बराबर कार्यवाही होती रही।

सहकारिता विभाग में अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के सुपरवाइजर

*८--**श्री लायकसिंह चौधरी** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९५९ से जुलाई, १९६० तक सहकारिता विभाग में कितने सुपरवाइजर लिये गये और उनमें कितने अनुसूचित जाति के तथा कितने पिछड़ी जाति के थे ?

श्री मंगलाप्रसाद--जनवरी, १९५९ से जुलाई, १९६० तक सहकारिता विभाग में १,१३५ सुपरवाइजर लिये गये। उनमें ८६ अनुसूचित जाति के तथा १९७ पिछड़ी जाति के थे।

*९--**श्री लायकसिंह चौधरी**--उपर्युक्त सुपरवाइजरों में कितने शहर वासी तथा कितने ग्रामवासी हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद--उक्त १,१३५ सुपरवाइजरों में से १५० शहरवासी तथा ९८५ ग्रामवासी हैं।

श्री लायकसिंह चौधरी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के कितने प्रार्थना-पत्र आये थे ?

श्री मंगलाप्रसाद--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है, इस समय सूचना नहीं है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १,१३५ सुपरवाइजरों में से इतने कम अछूत क्यों लिये गये ?

श्री मंगलाप्रसाद--श्रीमन्, अब इसके बारे में मैं कायदा बता दूं। पहले एक टाइम लिमिट के अन्दर एप्लीकेशन्स मांगी जाती हैं। फिर एक गैर सरकारी कमेटी बनती है। वह लोगों का इम्तहान लेती है और सब जगह एक ही दिन इम्तहान होता है। उसके परिणाम से लोग इंटरव्यू में बुलाये जाते हैं। अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के १५ नम्बर कम भी होते हैं तो ले लिये जाते हैं, लेकिन इतने पर भी पूरे नहीं हुये इसलिये कम लिये गये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि सुपरवाइजर्स अभी सरकारी सर्विस में नहीं माने जाते हैं और यह कोआपरेटिव फेडरेशन की सर्विस में माने जाते हैं, इस बात को स्पष्ट करेंगे कि अनुसूचित जातियों के लिये जो रिजर्वेशन का नियम है वह कोआपरेटिव फेडरेशन में सुपरवाइजरों को भर्ती किये जाने के हेतु लागू किया है ?

श्री मंगलाप्रसाद--वह तो नियम है ही और वह कोशिश करते हैं कि वे ले लिये जायं और इसके पहले जब मैं चार्ज में था तो १८ प्रतिशत ले लिये जाते थे लेकिन अब दिक्कत हो गई है। मेरी कोशिश यही होगी कि वे १८ प्रतिशत जरूर ले लिये जायं ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इसमें नकदी जमानत की शर्त रखी गई है इसलिये हरिजन सुपरवाइजरी में नहीं पहुंच पाते हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद--नकदी की तो बहुत आवश्यकता है क्योंकि पैसे को हैंडिल करना पड़ता है और यह तो सबके लिये है, इसमें कोई अलग नियम नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--श्रीमन्, मंत्री जी ने बताया कि जब वह चार्ज में थे तो १८ प्रतिशत पूरे होते थे तो क्या वह, इस बीच में जिन कायदे कानूनों से दिक्कत हुई है और वह पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उनको ठीक करने की कृपा करेंगे ताकि वह पूरे हो सकें ?

श्री मंगलाप्रसाद--रूल्स में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है बल्कि इसके लिये कोशिश होनी चाहिये, आप लोगों की तरफ से भी होनी चाहिये कि जब भी एडवर्टाइजमेंट हो तो काफी तादाद में एप्लीकेशन्स भिजवाई जायं । जब मैं पहले चार्ज में था तो जगह-जगह लिखता था और अब मैं फिर से इन्तजाम करने वाला हूं । इस तरह से यह कमी पूरी हो जायगी और रूल्स में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

*१०--**श्री राजेन्द्रसिंह यादव** (जिला फर्रुखाबाद)--[६ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ८६ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*११--**श्री रणबहादुरसिंह** (जिला बस्ती)--[१६ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ७७ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*१२--**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)--[६ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ६० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*१३--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर)--[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ६८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*१४-१५--**श्री लायकसिंह चौधरी**--[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ९९-१०० के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।]

सहकारी इंस्पेक्टर

*१६--**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में कुल कितने सहकारी इन्सपेक्टर हैं जो सहकारी, विभाग में कार्य कर रहे हैं और जिनकी सर्विस अभी तक अस्थायी है ?

*१७—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कर्मचारीगण की सर्विस की अवधि विभाग में कितने वर्षों की है ? इनमें से कितने सहकारी विभाग में सुपरवाइजर के पद से पदोन्नति करके सहकारी इन्सपेक्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद—सूचना एकत्र की जा रही है ।

दुवारी में बीज गोदाम की आवश्यकता तथा फतेहपुर मंडाव बीज गोदाम का स्थानान्तरण

*१८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, को सहकारी संघ लिमिटेड, दुवारी जिला आजमगढ़ ने ७ अप्रैल, १९५९ को दुवारी में बीज गोदाम खोलने के लिये प्रस्ताव स्वीकृत करके भेजा है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री मंगलाप्रसाद—जी नहीं । दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

*१९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री बताने की करेंगे कि क्या फतेहपुर मंडाव, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ का सरकारी कृषि बीज गोदाम वहां से हटाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मंगलाप्रसाद—जी हां, इसका कारण यह है कि फतेहपुर में बीज भण्डार किराये के भवन में है । अब मर्यादपुर में सरकारी भवन बन रहा है, तैयार हो जाने पर बीज भण्डार उस में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि फतेहपुर में बीज भंडार किराये पर था तो वहीं पर बीज भंडार की इमारत न बनवाने का क्या कारण है ?

श्री मंगलाप्रसाद—इसके लिए तो नोटिस दें तो बताऊंगा कि किस कारण से नहीं बनी, लेकिन मर्यादपुर में एक चीज बन गयी है और बनी हुई चीज में रखना मुनासिब है । उसी के पास है । इस लिये कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि दो भण्डार नजदीक हो जायं । वहां पर बीज और सामान आसानी से मिल सकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री जी को ज्ञात है कि पांच मील के अन्दर ही इतने बीज भण्डार हैं और वहीं पर यह भी खोला गया है ?

श्री मंगलाप्रसाद—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यहां का प्रस्ताव अगर उनके पास आये तो उस पर सहानुभूतिपर्वक विचार करके उस पर निर्णय लेंगे ?

श्री मंगलाप्रसाद—विचारेंगे । कह नहीं सकते । मेरे खयाल में तो मुश्किल है ।

सहकारी क्रय-विक्रय समिति, बलरामपुर द्वारा वितरित एडवांस धन की वसूली

*२०--श्री रामअभिलाख (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि गोंडा जिले में सहकारी क्रय-विक्रय समिति, बलरामपुर ने गत वर्ष बिना गल्ला जमा कराये कई हजार रुपया एडवांस दे दिया था जो अभी तक वसूल नहीं हो सका है ?

श्री मंगलाप्रसाद--जी हां, एक काश्तकार सदस्य को वर्ष १९५८-५९ में २,१९० रुपये एडवांस दे दिया गया था। यह रकम मय सूद उससे वसूल हो चुकी है।

*२१--श्री रामअभिलाख (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सहकारिता मंत्री सम्बन्धित अधिकारियों को, जांच कराने के पश्चात, उचित दंड देने की कृपा करेंगे ?

श्री मंगलाप्रसाद--जांच हो रही है उसके बाद उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी।

उन्नाव में बेकार सहकारी नलकूप

*२२--श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में कोआपरेटिव द्वारा कितने नलकूप बनाये गये हैं और इनमें से कितने बेकार पड़े हैं तथा कितने सिंचाई में काम कर रहे हैं ? इन नलकूपों के निर्माण में कितना रुपया लगा है ?

श्री मंगलाप्रसाद--९ नलकूप। सब बेकार पड़े हैं। ९७,७४७·१० रुपये उनके निर्माण में व्यय हुआ।

विभिन्न जिलों में बेकार सहकारी नलकूप

*२३--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने-कितने सहकारी नलकूप ऐसे हैं जो वर्षों से बेकार पड़े हैं और चालू नहीं हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद--विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८९३ पर)

*२४--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह नलकूप कितने वर्षों से बेकार पड़े हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद--उक्त विवरण में यह सूचना भी निहित है।

श्री मुक्तिनाथ राय--सूची देखने से मालूम होता है कि २५० नलकूप बेकार हैं जिनमें केवल बदायूं जिले में दो नलकूप ऐसे हैं जो एक-दो वर्ष से बेकार हैं। शेष ४,५,६,८ वर्ष से बेकार हैं तो क्या माननीय सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह नलकूप इतने दिनों से क्यों बेकार पड़े हुए हैं और सरकार इनको जारी करने के बारे में क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री मंगलाप्रसाद--जो खबर आपको दी गयी है वह सही है कि बहुत दिनों से यह बेकार पड़े हुए हैं। उसके बारे में नहर विभाग से बातचीत हो रही है कि वह उनको ले लें। उन्होंने १२४ के करीब ले भी लिये हैं। अन्य के बारे में बात हो रही है। वह ट्यूबवेल की जांच करके लेना चाहते हैं कि किस तरह से लिया जाय। वह इसके लिए एक-डेढ़ हजार पया मांग रहे हैं जांच करने के लिये।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप ६-७ वर्ष से बेकार क्यों पड़े हुए हैं, चालू क्यों नहीं हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद--चालू इस लिए नहीं होते कि एक तो उसमें गूलें पक्की नहीं हैं, इसलिये पानी पहुंचने में बड़ी दिक्कत और खर्चा होता है। दूसरे यह कि चूंकि डीजल आयल से वे चलते हैं, आये दिन वह बेकार हो जाते है, काम नहीं करते है। उससे बड़ी भारी दिक्कत होती है।

इन दो कारणों से खास तौर से यह नहीं चल पा रहे हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सहकारिता विभाग स्वयं इनको ठीक नहीं कर सकता जो नहर विभाग से बातचीत कर रहे हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद--ज्यादातर ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सलाह मशविरे से और उनकी मदद से यह काम चलता रहा है । पहले भी एक प्रकार से देखभाल करने का और सलाह मशविरा देने या मदद वगैरह करने का काम उनका था । अब ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रहा नहीं और अपने कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के पास कोई टेक्निकल आदमी नहीं हैं । यह इस तरह का काम है कि जब तक बिजली न हो तब तक चल नहीं सकता और बिजली सरकार से ही मिल सकती है। इरीगेशन डिपार्टमेंट के लोग उसमें होशियार हैं, एक्सपर्ट हैं, तो उनकी मदद बगैर नलकूपों का कार्य बहुत अच्छी तरह चल नहीं सकता । गो अब भी आधे के करीब चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसा चलना चाहिये वैसा चलने में दिक्कत हो रही है और जो बनाये गये हैं वह ठीक चल नहीं रहे हैं। इसलिये मेरा खयाल है कि उन्हीं के पास जाने में फायदा है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--पिछले आठ वर्षों से ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग ने सरकार को कभी यह सूचना दी कि यह दिक्कत है इनमें और इनको ठीक किया जाय और आखिरी रिपोर्ट उसकी क्या है ?

श्री मंगलाप्रसाद--इसके लिये तो नोटिस की जरूरत है, लेकिन कोशिश बराबर हो रही थी कि वह ठीक से चलें। तरह-तरह के इन्तजामात उसके लिये किये गये वक्तन-फवक्तन और सामान तथा पैसे इत्यादि से मदद करने का काम किया गया, लेकिन ग्रो मोर फूड के सिलसिले में यह चीज चलाई गई थी कि ५ हजार रुपया लोन देंगे, ५ हजार अनुदान देंगे और उसके अलावा बाकी रुपया सोसाइटी अपना खुद लगाती थी या बैंक से, या फेडरेशन से कर्जा लेती थी। इस तरह से कम पैसे में ज्यादा काम करने की व्यवस्था चलाई गई थी, लेकिन वह पूरी-पूरी कामयाब नहीं हुई हालांकि काफी अंशों में कामयाबी उसमें मिली ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जो यह २५० के करीब सहकारी ट्यूबवेल बेकार पड़े हैं वे सभी डीजल इंजिन से चलने वाले हैं या बिजली से चलने वाले भी हैं ? अगर बिजली से चलने वाले भी हैं तो वह क्यों बेकार पड़े हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद--इसके लिये नोटिस की जरूरत है, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है जो बिजली से चलने वाले हैं वह ठीक चल रहे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी इन बातों को ध्यान में रखते हुये बताने की कृपा करेंगे (१)--कि ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सन् १९५३-५४ में ही सिंचाई विभाग में मिला दिया गया था, (२) अधिकांश सहकारी ट्यूबवेल इसी सिंचाई विभाग द्वारा ही बनाये गये हैं, और (३) १९५७-५८ में ही सदन बजट में मंजूर कर चुका है तथा यह सिद्धान्त स्वीकार कर चुका है कि ये सभी सहकारी ट्यूबवेल सिंचाई विभाग द्वारा ले लिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में दो-तीन वर्ष बीत भी चुके हैं तो क्या इनको देखते हुये सरकार इस बात की चेष्टा करेगी कि सिंचाई विभाग अविलम्ब इन ट्यूबवेलों को टेक ओवर कर ले और इनको बनाये ?

श्री मंगलाप्रसाद---कोशिश की जा रही है और आशा है कि हो जायगा ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किसानों से रुपया वसूल किया जा रहा है और यह वहां पर चल नहीं रहे हैं तथा किसानों की तमाम शिकायतें आई हैं ? क्या सरकार ऐसा आदेश देगी कि उनसे रुपया वसूल न किया जावे ?

श्री मंगलाप्रसाद---अभी यह विचाराधीन है कि कब वसूल किया जाय और कितना वसूल किया जाय और जो देना हो गवर्नमेंट को उसमें कितना लोन देने की बातें हों, यह सब अभी विचाराधीन है ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---क्या यह सच है कि सिंचाई विभाग का यह मत है कि यह जो कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स हैं इनमें से अधिकांश इस काबिल नहीं हैं कि उनको वर्किंग आर्डर के अन्दर इकोनामिकली लाया जा सके ?

श्री मंगलाप्रसाद---मैंने इसका जवाब दे दिया था कि वह अभी एक डेढ़ लाख रुपया मांग रहे हैं कि वह एक एक नलकूप को देखें और निश्चित राय पर पहुंचें । तो इस तरह से अलग-अलग के बारे में तो राय नहीं है, लेकिन बहुतों के बारे में यह राय हो सकती है कि वह काम नहीं कर सकते और चल नहीं सकते, जैसे कि जहां पर पानी ही नहीं मिलता है तो वहां तो नलकूप चलने वाले नहीं हैं ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि क्या सरकार ने स्पष्ट रूप से यह नीति तय कर ली है कि ये तमाम ट्यूबवेल सरकार अपने अधिकार में ले लेगी ?

श्री मंगलाप्रसाद---यह भी अभी तय नहीं हुआ है कि सब ले लिये जायं, क्योंकि बहुत से उनमें चल रहे हैं । वे तमाम बातें अभी विचाराधीन हैं ।

सीतापुर जिले के सहकारी व कृषि बीज भण्डारों में पर्याप्त स्टाक न होना

*२५---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि रबी की फसल की बोआई हेतु सीतापुर जिले के बीज भंडारों (कोआपरेटिव, कृषि) में चना, जौ, गेहूं का स्टाक ३१ दिसम्बर, १९६० तक कुल कितना था तथा कुल बोआई के हेतु कितने बीज की आवश्यकता है और क्या यह सत्य है कि चना और जौ का स्टाक अत्यन्त कम है ?

श्री मंगलाप्रसाद---सीतापुर जिले के सहकारी व कृषि बीज भंडारों पर ३० सितम्बर, १९६० को चना, जौ और गेहूं के स्टाक की मात्रा निम्न थी :---

	मन
सहकारी बीज भंडारों पर---	
(१) चना	४,६७६
(२) जौ	३,५६४
(३) गेहूं	३७,१३७
कृषि बीज भंडारों पर---	
(१) चना	२,२९४
(२) जौ	२,२८६
(३) गेहूं	१५,७३८

सहकारी बीज भंडारों के उक्त स्टाक में से २०८ मन चना, ३७६ मन जौ और ४,११६ मन गेहूं नवम्बर क अन्त में वितरण के बाद शेष रह गया ।

कृषि बीज भंडारों का उपरोक्त समस्त स्टाक का वितरण कृषकों की मांग के अनुसार समय के अन्दर हो गया । इसके अतिरिक्त और कोई मांग नहीं आई ।

इससे स्पष्ट है कि सहकारी व कृषि बीज भंडारों पर किसी बीज की मात्रा आवश्यकता से कम नहीं थी ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या मंत्री महोदय इसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि उन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि बीज की मात्रा आवश्यकता से कम नहीं थी ? क्या आवश्यकता के कोई आंकड़े इकट्ठे कराये गये हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद---यह तो बतला दिया गया कि जब बीज रहते हुये बीज मांगने कोई नहीं आया तो बीज पर्याप्त था । यदि बीज की कमी होती और बीज बाकी न रहता तो यह बात हो सकती थी ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---मैंने प्रश्न में यह स्पष्ट जानना चाहा था कि बोआई के हेतु कितने बीज की आवश्यकता है ? मेरे प्रश्न के इस अंश का उत्तर नहीं मिला ।

श्री मंगलाप्रसाद---यह कहना बहुत मुश्किल है कि सीतापुर जिले में कितने बीज की आवश्यकता हर साल होती है क्योंकि इसके आंकड़े इकट्ठा नहीं हैं और आंकड़े इकट्ठा करना बहुत आसान नहीं है ।

आजमगढ़, जिला सहकारी संघ में गबन

*२६---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी), **श्री चन्द्रजीत यादव** तथा **श्री गौरीशंकरराय** (जिला बलिया)---क्या सरकार को पता है कि आजमगढ़, जिला सहकारी संघ में अभी हाल ही में कई लाख रुपयों का गबन हो गया है ? यदि हां, तो कुल कितने रुपयों का और यह कब, कैसे और किस रूप में हुआ था तथा क्या इस सम्बन्ध में गोदाम-कीपर ने आत्महत्या करने की कुचेष्टा की थी ?

श्री मंगलाप्रसाद---जी हां ।

गबन की धनराशि १,७३,०३७ रु०, ७६ नये पैसे है। यह गबन सन् १९५५ और १९६० के बीच आजमगढ़, जिला सहकारी संघ के सदर गोदाम के स्टाक में कमी के रूप में हुआ है । गोदाम कीपर ने आत्महत्या करने की कुचेष्टा की थी ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्टाक में किन-किन वस्तुओं की कितनी-कितनी कमी पाई गई थी ?

श्री मंगलाप्रसाद---उसमें ज्यादातर फर्टीलाइजर था और उसी में कमी पाई गई ।

श्री चन्द्रजीत यादव---आजमगढ़, सहकारी संघ के बारे में पिछले ५ वर्षों में वहां के विधायकों ने इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया था कि उसने १० लाख का गबन किया है और उसके लिये वहां के तत्कालीन इंस्पेक्टर और आनरेरी मंत्री संघ के जिम्मेदार हैं, उसके बाद सरकार ने इसकी जांच कराई, केवल एक बात की जांच कराई फर्टीलाइजर के विषय में और लोहा, ईंटा और कोयले के विषय में जांच नहीं कराई जिसमें यह आशंका है कि यह गबन १० लाख का है। क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सी० आई० डी० से इस सम्बन्ध में जांच कराई गई और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया ?

श्री मंगलाप्रसाद---मुझे और पता नहीं है, लेकिन ४,३४७ बोरे फर्टिलाईजर की कमी थी । जितना कुल स्टाक था उसमें २८ बोरे मिले थे और बाकी सब गायब थ ।

श्री झारखण्डेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उन्हें या उनके पास इस प्रकार की सूचना है कि इस पौने दो लाख रुपये के गबन की जांच करते समय अधिकारियों ने जितना पता लगाया है उस हिसाब से यह ६ लाख रुपये तक का गबन है और और की जांच हो रही है ?

श्री मंगलाप्रसाद---इसका पता तो नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य चूंकि इस प्रकार की सूचना दे रहे हैं इसलिये मैं इसकी जानकारी कराऊंगा और उस पर जितनी संभव हो, सख्त से सख्त कार्यवाही करने की कोशिश करूंगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पौने दो लाख के करीब जो पांच सालों में गबन हुआ इसका किस किस साल की आडिट रिपोर्ट में और किस क्रम से पता लगा ?

श्री मंगलाप्रसाद---मैंने उत्तर में किसी आडिट का जिक्र नहीं किया । अब इसका स्पेशल आडिट किया जा रहा है और जब उसकी रिपोर्ट आयेगी तो वह सब को पता लग जायगी । असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने गालिबन इसको खुद देखा, जांच की और इस पर कार्यवाही चालू की, इसलिये किसी आडिट का सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो इस सिलसिले में जांच हुई है उस के अनुसार इस मामले में कितने लोगों का हाथ पाया गया है और संबंधित लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री मंगलाप्रसाद---अभी इसकी पूरी रिपोर्ट नहीं आ पाई है ।

श्री रामस्वरूप पांडेय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या कारण है कि सरकार के पास ही अभी तक इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि कितने लोगों का इसमें हाथ रहा है ?

श्री मंगलाप्रसाद---जांच होने के बाद सारे संबंधित व्यक्तियों का पता लग सकता है । एक आदमी, सुपरवाइजर का नाम तो पता ही है जो जहर खाने को तैयार हो गया था । सम्भव है कुछ और कर्मचारी ऐसे हों जिन्होंने इस काम में मदद की हो, हिस्सा लिया हो, इंस्पेक्टर आदि जो जांच करते रहे होंगे, उन पर भी कार्यवाही होगी । तो पूरा पता बाद में ही लग सकता है ।

*२७---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १०१ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*२८---**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)---[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १०२ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*२९---३०---**श्री त्रिलोकी सिंह** (जिला लखनऊ)---[९ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ९१-९२ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।]

*३१---३३---**श्री गौरीराम गुप्त**---[१६ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ७८-८० के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।]

*३४---**श्री सजीवनलाल** (अनुपस्थित)---[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १०३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*३५---**श्री सजीवनलाल** (अनुपस्थित)---[९ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ९३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

सेवा सहकारी तथा क्रय-विक्रय समितियां

*३६---**श्री चन्द्रजीत यादव**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६० के अन्दर राज्य में कुल कितनी सेवा सहकारी समितियों और मार्केटिंग सोसाइटीज का निर्माण हुआ है और क्या सरकार जिलेवार तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मंगलाप्रसाद---सहकारी वर्ष १९५९-६० में १०,२६३ सेवा सहकारी समितियां तथा ४२ क्रयविक्रय समितियां बनीं । जिलेवार तालिका की एक† प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

*३७---**श्री चन्द्रजीत यादव**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर सेवा सहकारी समितियों और मार्केटिंग सोसाइटीज के निर्माण का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस योजना की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगीं ?

श्री मंगलाप्रसाद---जी हां । १८,००० सेवा सहकारी समितियां तथा १०० क्रय-विक्रय समितियां बनाने की योजनायें तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचाराधीन हैं । योजनाओं की †प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव---जो योजना की प्रतियां हैं, श्रीमन्, वह मुझे प्राप्त नहीं हुई हैं और इसी तरह से प्रश्न ३८ का उत्तर जो डेढ़ पेज का है वह भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष---आपकी मेज पर नहीं वह सदन की मेज पर रखा गया है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---परम्परा यह है कि ऐसी चीजों की ४ या १० कापियां मंगा ली जाती हैं और आम तौर से एक प्रश्नकर्त्ता सदस्य को दे दी जाती हैं । ३८ का उत्तर तो महज डेढ़ पेज का है, लेकिन वह भी नहीं दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने उसे आपको दिया नहीं, उसे सदन की मेज पर रख दिया है और आप उसे देख सकते हैं और देख कर प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो मार्केटिंग सोसाइटीज बनाने का लक्ष्य रखा गया है उसमें सरकार इस बात का विशेष ध्यान रखेगी कि जहां-जहां पर बुनकरों के इलाके हैं या जहां पर काटेज इन्डस्ट्रीज बड़े पैमाने पर हैं, वहां पर ही ज्यादातर इनको स्थापित किया जाय ?

श्री मंगलाप्रसाद---करीब ४५० या ५०० मंडियां हैं जहां पर इनको स्थापित किया जा सकता है और स्थापित किया जायेगा । वैसे जहां-जहां भी आवश्यकता समझी जायेगी, इनको स्थापित किया जायेगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने इन क्रय-विक्रय समितियों के लिये कोई नियम ऐसे बनाये हैं कि जो बुनकर इलाके हैं या जहां पर काटेज इन्डस्ट्रीज बड़े पैमाने पर हैं, वहां पर लोगों को कुछ आर्थिक सहायता भी मिल सके ताकि उनको इन समितियों के निर्माण में कुछ सहायता मिल सके ?

श्री मंगलाप्रसाद---जहां तक क्रय-विक्रय समितियों का सवाल है, मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन इसको आप इन्डस्ट्रीज विभाग से दरियापत करें तो कुछ मालूम हो सकेगा ।

---

†तालिका छापी नहीं गई ।

सहकारी खेती योजना

*३८—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या राज्य में सहकारी खेती करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मंगलाप्रसाद—जी हां। इस योजना की एक प्रति †सदन की मेज पर रखी है।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, इसका उत्तर केवल एक लाइन में दे दिया गया है और जो डेढ़ पेज का जवाब है उसे सदन की मेज पर रखा है जिसे पढ़ा नहीं गया। तो माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उसमें मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस तरह के जो उत्तर हों उनकी ३-४ प्रतिलिपि मेरे पास आ जाया करें, जिससे कि एक प्रतिलिपि मैं माननीय सदस्य को दे दिया करूं।

श्री मंगलाप्रसाद—आइन्दा ऐसा हो जायेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने सहकारी कृषि की योजना बनाई है, उसकी मुख्य-मुख्य बातें तो हमें माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें ? उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

श्री मंगलाप्रसाद—मेरा खयाल है आप फिर कभी यह प्रश्न कर लें तो अच्छा हो क्योंकि मैंने खुद अभी जगह-जगह जाकर इसको देखा नहीं है, उसको मैं भी अच्छी तरह स्टडी कर लूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं यह ठीक और सच्ची बात है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री मंगलाप्रसाद—वैसे अगर आप कहें तो मैं आपकी जानकारी के लिये कुछ बता दूं। इसमें कहीं-कहीं पर दिक्कतें हैं, कहीं पर कुछ खराबियां भी हैं। जहां तक सहकारी कृषि का सवाल है, यह निश्चित है कि इससे देश को लाभ होने वाला है। जहां पर छोटी-छोटी जमीनें हैं और जो गरीब हैं जिनके पास एक भी जानवर नहीं है, किसी के पास बहुत कम जमीन है और कोई साधन भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में अगर वे मिल कर काम करते हैं तो उससे उनको भी फायदा होगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा।

श्री देवनारायण भारतीय—व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्। यह माननीय मंत्री जी भाषण दे रहे हैं या प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—ठीक है, वे उसकी उपयोगिता बता रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय सहकारिता मंत्री जब तक इस योजना का स्वयं अध्ययन नहीं कर लेते, बताने में असमर्थ हैं, तब तक वह इतना ही बता दें कि सरकार के पास ऐसी कौन-सी ऐजेन्सी हैं जिसके द्वारा वे सहकारी कृषि की जानकारी देहातों में किसानों तक पहुंचा रहे हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद—सहकारिता के सिलसिले में समझाने, बताने और टेक्निकल एड देने की व्यवस्था की जा रही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ६०-६५ हजार आदमियों को पहले से लेकर जितने आज ब्लाक हैं उनमें एक सेंटर लेकर ४५ पाइलट प्रोजेक्ट खोले जायंगे उनमें उनको काम सिखाया जायगा। सहकारिता खेती दुनियां में प्रचलित नहीं है कि सब आंकड़े मौजूद हों। उन पाइलेट प्रोजेक्ट्स में १०-१० कृषि समितियां बनायी जायंगी। जो किसान हिस्सा लेंगे उनको सिखाने की योजना है।

---

†प्रतिलिपि छापी नहीं गई।

श्री चन्द्रजीत यादव--श्रीमन्, मेरा अनुरोध है कि यह प्रश्न स्थगित कर दें, क्योंकि माननीय मंत्री जी जनरल उत्तर दे रहे हैं, सप्लीमेंटरी प्रश्न भी हम नहीं कर सकते ।

श्री अध्यक्ष--इसको तो वह डिटेल में देखेंगे, जैसा कि उन्होंने बताया और जनरल बातें जो उनको मालूम हैं वह बता सकते हैं जिनके आधार पर सहकारिता की पालिसी निर्धारित होती है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--हमारा प्रश्न तो योजना के बारे में निश्चित प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष--योजना का कुछ हिस्सा तो बतला दिया ।

श्री चन्द्रजीत यादव--जो कागज सदन में रखा है वह स्वयं उन्होंने नहीं देखा है, इसलिये इसको स्थगित कर दें ।

*३९--**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर) तथा **श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)--[९ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ९४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*४०--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १०४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

झांसी जिले के सहकारी विभागों में गबन

*४१--**श्री अब्दुल रऊफ लारी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ अप्रैल, १९५९ से १५ नवम्बर, ६० तक झांसी जिले के सहकारी विभागों में कुल कितने रुपये का गबन पाया गया है ?

श्री मंगलाप्रसाद--१९,७६७ रुपये २२ नये पैसे का ।

*४२--**श्री अब्दुल रऊफ लारी**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त गबनों में अब तक क्या-क्या कार्यवाही सरकार ने की है ?

श्री मंगलाप्रसाद--विभागीय जांच हो रही है । एक सुपरवाइजर मुअत्तल कर दिया गया ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--इन गबन के जिम्मेदार लोगों को क्या सजा दी गयी है ?

श्री मंगलाप्रसाद--एक तो मुअत्तल कर दिया गया है, बाकी जगह जांच हो रही है । एक जगह ५३ रुपया गबन का है, एक जगह ५ रुपये का, इसी तरह छोटी-छोटी रकमें हैं । एक जगह ५,०४९ रुपये का है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--५ जगह गबन है तो एक को ही मुअत्तल क्यों किया गया ?

श्री मंगलाप्रसाद--एक जगह ५,०४९ रुपये का गबन है, रामस्वरूप पाठक का मामला है, उसको मुअत्तल कर दिया गया है और बाकी जगह जांच होने के बाद जो मुनासिब होगा वह सजा दी जायगी ।

श्री गेंदासिंह--क्या क्राइम मैजिस्ट्रेटों को इस तरह की हिदायत भेजी है कि जितनी रकम हो उसके मुताबिक ही सजा दी जाय --कम हो तो कम सजा दी जाय, ज्यादा हो तो ज्यादा सजा दी जाय ?

श्री मंगलाप्रसाद--जहां ५-१० रुपये का मामला है, वहां भी काफी जांच हो रही है, जांच होने के बाद अगर तय होगा कि पुलिस को मामला दिया जाय तो पुलिस को दिया जायगा ।

डी० बी० सब एरिया कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड, गोरखपुर का बकाया मतालबा

*४३—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर शहर की डी० बी० सब एरिया कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड के लिक्विडेशन के पश्चात उसके मतालबे की वसूली के लिये लिक्विडेटर द्वारा कंट्रीब्यूशन स्कीम तैयार हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किन-किन व्यक्तियों से कितना-कितना रुपया वसूल करना है ?

श्री मंगलाप्रसाद—जी हां। एक† सूची मेज पर रक्खी है।

श्री मदन पांडेय—माननीय मंत्री जी ने जो बकाये की लिस्ट दी है, श्री ए० पी० वर्मा ४४,९४१.२७, श्रीमती रामादेवी ७३९.४०, श्री शिवमूर्ति लाल १६१.००, श्री बैजनाथ मिश्र ९२.४४, श्री सुकईराम २४५.१७ तथा श्री कृष्णचन्द्र पाल २१२.५०, क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि इसकी वसूली के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद—सब से वसूली की कार्यवाही की जा रही है। सिर्फ श्री ए० पी० वर्मा जिनके ऊपर ४४,९४१.२७ रुपये बाकी हैं उन्होंने रजिस्ट्रार महोदय को एक अपील कर दी है और रजिस्ट्रार महोदय ने उस मामले को जांच के लिये डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय को दे दिया है और डिप्टी रजिस्ट्रार ने कुछ इन्सपेक्टर्स को जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया था और इस समय वह बाहर चले गये हैं उनको काल किया है और उनसे भी जांच करने की कोशिश की, लेकिन सही हिसाब नहीं निकल सका। अब उनको फिर से बुलाकर जांच करवाने और हिसाब देखने की बात हो रही है और उसके बाद जो रिपोर्ट आयेगी उस पर रजिस्ट्रार कार्यवाही करेंगे।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि श्री ए० पी० वर्मा जिनके खिलाफ ४५ हजार के करीब रुपया दिखाया गया है वह डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी हैं ? यदि हां, तो इस बात को देखते हुए कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में कोआपरेटिव बैंक कहां तक सुरक्षित रह सकता है, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही हो रही है ?

श्री मंगलाप्रसाद—जब मैंने इस सवाल को देखा तो पहला काम यह किया कि मैंने रजिस्ट्रार महोदय से कहा कि फौरन बैंक की भी जांच होनी चाहिये, मुमकिन है वहां भी कोई ऐसी गड़बड़ी हो।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय सहकारिता मंत्री जी सहकारिता संबंधी पूरक प्रश्नों का उत्तर देने के लिये कोई पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी ट्रेन कर रहे हैं ताकि मंत्री जी की दुश्वारी कुछ कम हो जाय ?

(हंसी—उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि उक्त श्री ए० पी० वर्मा का नाम डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन के भी गबन के संबंध में लिया गया है और ४४ हजार की जिम्मेदारी यहां पर कागजों से उन पर सिद्ध हो चुकी है और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक की जांच करने के लिये रिजर्व बैंक के जो आडिटर्स आये थे उन्होंने भी इनके विरुद्ध इन्टरीज की हैं, इसलिये क्या माननीय मंत्री जी बैंक का कोई और प्रबन्ध करने की कृपा करेंगे ?

---

†सूची छापी नहीं गई।

श्री मंगला प्रसाद—रजिस्ट्रार से इस तरह की कार्यवाही के लिये कह दिया है और वह जो मुनासिब समझेंगे करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी-सी जांच करने की आवश्यकता जरूर होगी।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जिन डिप्टी रजिस्ट्रार साहब को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके इस मामले में संदिग्ध आचरण के संबंध में वहां के श्री पारसनाथ राय और दूसरे लोगों ने वर्तमान मुख्य मंत्री और पहले के मुख्य मंत्री को भी पत्र लिखे थे, अतः इस बात को देखते हुए क्या सरकार उक्त डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय के अतिरिक्त किसी अन्य के हाथ में इसका भार देने की कृपा करेंगे ?

श्री मंगलाप्रसाद—चूंकि आपने खबर दी है इसलिये इसकी भी जांच हो जायगी।

*४४-४५—**श्री मदन पांडेय**—[सातवें मंगलवार के लिये प्रश्न ११-१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४६—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[पांचवें गुरुवार के लिये प्रश्न २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।)

*४७-४८—**श्री गेंदा सिंह**—[९ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ९५-९६ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

*४९—**श्री ऊदल**—[२१ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ६४ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*५०-५१—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—[९ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ९७-९८ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

*५२—**श्री राम दुलारे मिश्र**—[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १०७ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*५३—**श्री ऊदल**—[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १०८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

जिला सहकारी बैंक, वाराणसी का बकाया

*५४—**श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला सहकारी बैंक, वाराणसी का कितना रुपया सन् १९५५ से अब तक वसूल नहीं हुआ और बकाया है ? उसमें कितना बैंक के डाइरेक्टरों के ऊपर बकाया है और उनके ऊपर अलग-अलग कितना बकाया है ?

श्री मंगला प्रसाद—१-७-५५ को (बकाया लगने की तिथि) जिला सहकारी बैंक, वाराणसी की बकाया की धनराशि १,०७,७०६ रुपये ८ नये पैसे थी जिसमें केवल ११,४२७ रुपये ४३ नये पैसे ३० जून, १९६० तक वसूल नहीं हुए।

बैंक के डाइरेक्टरों पर कोई बकाया नहीं है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ११,४२७.४३ रु० जो बाकी हैं वह कब तक वसूल हो जायंगे ?

श्री मंगला प्रसाद—यह ग्यारह हजार रुपया वसूल नहीं हो रहा है। उसमें शासकीय कार्यवाही हो रही है। वह रेवेन्यू की तरह से वसूल किया जायगा अगर वह दे नहीं देते।

नोट—तारांकित प्रश्न ५४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*५५—श्री रूम सिंह (जिला शाहजहांपुर)—[९ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५६—श्री गेंदा सिंह—[१६ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ८२ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*५७—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—]९ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ९९ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*५८—श्री राम सुन्दर पांडेय—[९ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १०० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

सहकारी यूनियन बड़ा गांव सम्बन्धित अवधेशसिंह के विरुद्ध कार्यवाही

*५९—श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी यूनियन, बड़ागांव, जिला आजमगढ़ के हिसाब में अभी हाल ही में आडिटर ने हजारों रुपये का गबन पकड़ा है ?

श्री मंगलाप्रसाद—कोई गबन नहीं पकड़ा गया । मगर आडीटर की रिपोर्ट के अनुसार संघ के भट्ठा मैनेजर श्री अवधेशसिंह के कुछ गलत कार्यों से संघ को लगभग साढ़े सात हजार रुपये की हानि हुई है । संघ ने श्री अवधेश सिंह भट्ठा मैनेजर को नौकरी से अलग कर दिया है और उनके विरुद्ध सालिसी कार्यवाही शुरू कर दी है ताकि उनकी जिम्मेदारी निर्धारित हो जाये और उचित कार्यवाही की जा सके ।

*६०—श्री रूम सिंह—[७ फरवरी,१९६१ को प्रश्न १०९ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*६१-६२—श्री प्रताप सिंह—[२१ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६३—राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे—[हटा दिया गया ।]

गोरखपुर नगरपालिका के हिसाब-किताब में अनियमिततायें

*६४—श्री राम सूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५३ से १९५६ के बीच गोरखपुर नगरपालिका के हिसाब-किताब का जो स्पेशल आडिट हुआ था उसमें कौन-कौन-सी मुख्य अनियमिततायें पाई गई थीं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाश प्रकाश—नगरपालिका गोरखपुर के हिसाब-किताब के स्पेशल आडिट में जो मुख्य अनियमिततायें पाई गई हैं उनकी सूची नत्थी 'क' और 'ख' में दी गई हैं और इस मामले की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:

इन अनियमितताओं के कारण जो बोर्ड को क्षति पहुंची, उसके लिये बोर्ड ने अध्यक्ष, नगरपालिका को यह अधिकार दे दिया कि वह उन अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करें जो दोषी हैं । अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में सर्वश्री यदुनाथसिंह, अधिशासी अधिकारी, जे० सी० बोस और बी० डी० खान, लाइसेन्स इन्सपेक्टरों को दोषी ठहराया । इनमें से श्री जे० सी० बोस का स्वर्गवास हो गया है और श्री खान को पदच्युत (dismiss) कर दिया गया है। अतः इन दोनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता । अधिशासी अधिकारी को बोर्ड की स्वीकृति से (suspend) कर दिया गया था परन्तु उन्होंने बोर्ड के विरुद्ध (Civil Suit) दायर कर दिया और अस्थाई आदेश (interim injunction) लेकर पुनः कार्य करने लगे । बोर्ड ने उच्च न्यायालय

(High Court) में इसके विरुद्ध अपील की है और साथ ही अधिशासी अधिकारी ने भी बोर्ड के विरुद्ध मुकदमा दायर किया दोनों मुकदमें अभी चल रहे हैं और कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस बीच बोर्ड ने फिर से आरोप लगा कर अधिशासी अधिकारी को फिर (suspend) कर दिया है। चूंकि उपर्युक्त मुकदमें अभी न्यायालय में चल रहे हैं अतएव सरकार ने इस मामले में अभी हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा।

(देखिये नत्थी 'ख' पृ० ८९४-८९४ पर ।)

नगरमहापालिका, कानपुर में जन सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति

*६५--श्री रामसूरतप्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की किन-किन नगरपालिकाओं में जन-सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति हुई है और उनके काम तथा वेतन-क्रम क्या हैं?

श्री कैलाशप्रकाश--केवल नगर महापालिका, कानपुर में एक जन सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति २२०-२०-४०० द० रो० २५-५०० रु० के वेतन-क्रम में हुई है। इस अधिकारी का मुख्य कर्त्तव्य समाचार-पत्रों में नगर महापालिका से संबंधित प्रकाशित विषयों का निस्तारण करना, महापालिका की ओर से विज्ञापन देना, प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन करना, प्रेस वालों को महापालिका के विभिन्न कार्य क्षेत्रों की प्रगति से समय-समय पर अवगत कराना, जनता को विभागीय सूचना देना तथा आवश्यकतानुसार जनता का मुख्य नगर अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कराना है। इसके अतिरिक्त उनको कारपोरेशन प्रैस का भी काम देखना पड़ता है। वह सोशल वेलफेयर का काम भी करते हैं।

जिला पंचायत कार्यालय, आजमगढ़ में विचाराधीन अपीलें

*६६--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में १९५८-५९ व १९५९-६० में कितने पंचायत निरीक्षकों, लिपिकों, मंत्रियों की अपीलें जो उच्च अधिकारियों के यहां की गई हैं अभी तक जिला पंचायत कार्यालय में रुकी पड़ी हैं?

श्री कैलाश प्रकाश--कोई नहीं।

गाजीपुर जिले में टाउन एरियाओं को अनुदान

*६७--श्री रघुवीर राम (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में १९५८-५९ व १९५९-६० में अलग-अलग टाउन एरियाओं को कितना-कितना सरकारी अनुदान दिया गया?

श्री कैलाशप्रकाश--१९५८-५९ व १९५९-६० में गाजीपुर जिलों के टाउन एरियाओं को जो सरकारी अनुदान दिया गया वह निम्न प्रकार है :

	१९५८-५९		१९५९-६०	
	रु०	नये पै०	रु०	नये पै०
मुहम्मदाबाद	४,६२०	१२	४,६८८	००
बहादुरगंज	२,०७५	००	२,७४७	००
दिलदारनगर	३,५५०	००	३,४०२	००
जमानिया	२,२२५	००	३,४४४	५०
सैदपुर	२,२२५	००	३,९२९	००

लल्लापुर, वाराणसी में गन्दा पानी पीने से कथित दुर्घटना

*६८--श्री ऊदल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी नगर महापालिका के लल्लापुर मुहल्ले में पेय जल का पाइप फट जाने से उसमें गन्दा पानी मिल जाने से वर्तमान अगस्त के पहले तथा दूसरे सप्ताह में १२ व्यक्ति मर गये और दर्जनों बीमार होकर अस्पताल में दाखिल हुए? इस सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

श्री कैलाशप्रकाश--गत अगस्त के पहले तथा दूसरे सप्ताह में वाराणसी नगर महापालिका के लल्लापुर मुहल्ले के जिस क्षेत्र में १२ व्यक्तियों की मृत्यु की दुर्घटना बतलाई जाती है उस क्षेत्र में जल वितरण के लिये कोई पाइप लाइन नहीं है। अतः उसके फटने का तथा उसमें गंदा पानी मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नगरपालिका कन्नौज सम्बन्धी कथित ऋण तथा बकाया वेतन

*६९--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में नगरपालिका, कन्नौज के कर्मचारियों को कितने माह का वेतन देना बाकी है और क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश--नगरपालिका कन्नौज के कर्मचारियों को अब कोई वेतन देना शेष नहीं है।

*७०--श्री होरीलाल यादव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने नगरपालिका कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद को १९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९ तथा १९५९-६० में कितना रुपया कर्ज के रूप में दिया? उपर्युक्त कर्जा किन कार्यों को पूरा करने के लिये दिया गया?

श्री कैलाश प्रकाश--नगरपालिका कन्नौज को १९५६-५७ से १९५९-६० तक कुछ भी कर्ज नहीं दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल में गन्दी बस्तियां हटाने की योजना

*७१--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनीताल में मध्यम वर्गीय परिवारों के हेतु मकान बनाने तथा गन्दी बस्तियां हटाने की योजना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

श्री कैलाशप्रकाश--नैनीताल में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिये मकान बनाने का कोई प्रस्ताव अभी तक सरकार को नैनीताल नगरपालिका से प्राप्त नहीं हुआ है। भारत सरकार की गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना के अन्तर्गत नैनीताल नगरपालिका ने १०० क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव किया है। इस योजना के अन्तर्गत एक कमरे वाले दुमंजिले प्रत्येक क्वार्टर पर ३,५०० ही खर्च किया जा सकता है परन्तु नगर एवं ग्राम नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार नैनीताल में प्रत्येक क्वार्टर पर ४,६०० रु० व्यय होगा। यद्यपि प्रत्येक क्वार्टर की लागत निर्धारित सीमा से अधिक है फिर भी इस विषय पर भारत सरकार को लिखा गया है कि वे ४,६०० रु० की लागत के क्वार्टरों के निर्माण की स्वीकृति दें। उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

*७२--श्री लक्ष्मण राव कदम--[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया।]

फर्रुखाबाद नगरपालिका का निलम्बन

*७३--श्री होरीलाल यादव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद नगरपालिका को निलम्बित करने के क्या कारण हैं?

श्री कैलाश प्रकाश--फर्रुखाबाद नगरपालिका को अपने कर्तव्यों के पालन करने में निरन्तर चूक तथा अपने अधिकारों के दुरुपयोग के कारण अवक्रान्त किया गया है।

*७४--**श्री शिवप्रसाद नागर**--[६ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

कवाल नगरों में टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट के अधीन कार्यान्वित योजनायें

*७५--**श्री सजीवन लाल** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कवाल नगरों में उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट, १९१९ के अन्तर्गत बनाई गई ऐसी कितनी इम्प्रूवमेंट स्कीमें हैं जिन्हें सरकारी स्वीकृति प्राप्त हुए २० वर्ष से अधिक हो गये हैं किन्तु अभी तक पूरी नहीं हुई हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--कवाल नगरों में उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ के अन्तर्गत बनाई गई ऐसी १० स्कीमें हैं जिन्हें सरकारी स्वीकृति प्राप्त हुए २० वर्ष से अधिक हो गये हैं किन्तु वे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं।

*७६-७७--**श्री गौरीशंकर राय**--[हटा दिये गये]।

नगर महापालिका कानपुर के विरुद्ध शिकायतें

*७८--**श्री रामदुलारे मिश्र**--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि कानपुर महानगरपालिका के सम्बन्ध में कुछ गंभीर आरोपों की सूचना उन्हें मिली है? यदि हां, तो वे आरोप क्या हैं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश--नगरपालिका कानपुर के विरुद्ध समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर यथावश्यक कार्यवाही की गयी है। जब तक शासन को यह न सूचित किया जाय कि किस विषय पर आरोपों की जानकारी वांछित है, तब तक समस्त आरोपों का विवरण देना कठिन है।

*७९-८०--**श्री मदन पांडेय**--[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिये गये।]

*८१--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**--[८ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ४९ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

जिला पंचायत कार्यालय आजमगढ़ में कथित अपीलें तथा मन्त्रियों का भत्ता

*८२--**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने पंचायत मन्त्रियों और लिपिकों की अपीलें जिला पंचायत कार्यालय में १९५८ व १९५९ की पड़ी हुई हैं जिनका कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ? इसका क्या कारण है?

श्री कैलाशप्रकाश--ऐसी कोई अपीलें जिला पंचायत कार्यालय में नहीं पड़ी हैं।

*८३--**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने पंचायत मन्त्रियों का भत्ता १९५२ व १९५७ के आम चुनाव का अभी तक बाकी है और क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश--आजमगढ़ जिले में ऐसे किसी भत्ते का भुगतान शेष नहीं है।

इलाहाबाद नगर महापालिका की विकास योजनायें

*८४--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद नगर महापालिका में इस समय कौन-कौन-सी विकास योजनायें हैं और गत ३ वर्षों में कौन-कौन-सी विकास योजनायें (Improvement Schemes) पूरी की गई हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--इलाहाबाद नगर महापालिका में इस समय निम्नलिखित विकास योजनायें हैं :--

(१) साउथ हाउसिंग स्कीम भाग २ ।
(२) सुल्तानपुर भावा हाउसिंग स्कीम,
(३) मन्फोर्डगंज हाउसिंग स्कीम ।
(४) अलोपीबाग हाउसिंग स्कीम,
(५) हस्टिंग रोड हाउसिंग स्कीम ।

गत तीन वर्षों में कीटगंज हाउसिंग स्कीम व चर्च लेन हाउसिंग स्कीम पूरी की गयी हैं ।

पशु मेलों से आय तथा वाराणसी जिले में पशु मेलों का प्रबन्ध

*८५--श्री ऊदल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों में किन-किन स्थानों पर पशुओं का मेला लगता है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, सूची† संलग्न है। केवल झांसी से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

*८६--श्री ऊदल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो ऐसे मेले प्रतिवर्ष प्रदेश में लगते हैं उससे सरकार को भी कोई आमदनी होती है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष १९५९-६० में कितने रुपये की आमदनी हुई ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां। वित्तीय वर्ष १९५९-६० में कतिपय मेलों से १३,८३७.३९ नै० पै० की आय सरकार को हुई है। (झांसी से सूचना प्राप्त नहीं हुई है)।

*८७--श्री ऊदल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी में जो पौरा, सकलडीहा, बबुरी, अकबालपुर, कमालपुर, चन्दौली तथा भिटकुरी, मंगारी, गोपीगंज में जो मेला पशुओं का लगता है उसका इन्तजाम गांव सभाओं की तरफ से होता है या व्यक्तिगत लोग करते हैं ? यदि व्यक्तिगत लोग करते हैं तो प्रबन्ध कर्त्ताओं के नाम क्या-क्या हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां। इन मेलों का इन्तजाम व्यक्तिगत लोग करते हैं। विवरण इस प्रकार है :--

मेला--	प्रबन्ध कर्ता--
(१) पौरा	सर्वश्री जगदीश सिंह, काशी प्रसाद सिंह, गुप्तेश्वर सिंह व, श्रीमती कवल बास कुंवर।
(२) सकलडीहा-	सर्वश्री जगदीश प्रसाद सिंह, गुप्तेश्वर प्रसाद सिंह, श्रीमती कवल बास कुंवर।

†सूची छापी नहीं गई।

मेला		प्रबन्ध कर्त्ता
(३) बबूरी	.. ..	श्री गौरी शंकर सिंह,
(४) अकबालपुर	.. ..	सर्वश्री श्याम नारायण सिंह, काशी नाथ सिंह ।
(५) भिटकुरी	.. ..	श्री रूप नारायण सिंह ।
(६) मंगारी	.. ..	सर्वश्री जगन्नाथ प्रसाद सिंह, तेज बहादुर सिंह, बाजबहादुर सिंह, वबख्त नारायण सिंह ।
(७) गोपी गंज	.. ..	श्री आश बहादुर सिंह,

(८) कमालपुर में पशु मेला नहीं लगता ।

(९) चन्दौली में पशु मेला नहीं लगता ।

उपरोक्त पशु मेले गांव समाज की जमीनों पर नहीं लगते ।

*८८—श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—[हटा दिया गया ।]

*८९—श्री गोविन्द नारायण तिवारी—[६ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

पंचायत राज विभाग में अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के अधिकारी

*९०—श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में पंचायतराज विभाग में ३१-८-६० को निम्नलिखित पदों पर कितने अधिकारी व कर्मचारी काम कर रहे थे और प्रत्येक में अनुसूचित व पिछड़ी जाति के अलग-अलग कितने कितने अधिकारी व कर्मचारी थे और प्रत्येक पद के लिये कितनी शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है :

(१) सहायक पंचायत राज अधिकारी, (२) पंचायत इन्सपेक्टर, (३) पंचायत सेक्रेटरी ?

श्री कैलाशप्रकाश—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८९६ पर।)

अन्तरिम जिला परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव कराने का आश्वासन

*९१—श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद), श्री चन्द्रजीत यादव, श्री होरी लाल यादव, श्री अब्दुल रऊफ लारी, श्री मदन पांडेय, श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी), तथा श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अन्तरिम जिला परिषदों के असरकारी अध्यक्षों का चुनाव कब और किस प्रकार होने जा रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—अन्तरिम जिला परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव निकट भविष्य में ही एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति (System of proportional representation by means of single transferable vote) से कराया जायगा ।

भननानापुरवा, कानपुर से कथित शिकायती पत्र तथा आजमगढ़ में अल्प-आय गृह निर्माण कार्य

*९२--श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसे हाता सुधार कमेटी ८७-५४ भननानापुरवा, कानपुर के मन्त्री द्वारा १५ सितम्बर, १९६० को प्रेषित कोई शिकायती-पत्र मिला है जिसमें उन्होंने हाते के किरायेदारों की कठिनाइयों की शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं।

*९३--**श्री भगवतीसिंह विशारद**--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ नगरपालिका को गत ४ वर्षों में छोटे कर्मचारियों के मकान बनाने के लिये कितना-कितना रुपया ऋण या अनुदान के रूप में दिया गया है और भवन के निर्माण के बाद कितने मकानों में छोटे कर्मचारी रह रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--आजमगढ़ नगरपालिका को अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना (Low Income Group Housing Scheme) के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु १९५५-५६ में ८६,००० रुपये का एक ऋण स्वीकृत किया गया था, जिसमें से वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के अन्त तक ७६,००० रुपये चार किस्तों में नगरपालिका को मुक्त किया गया। इस धन में से लगभग ४३,००० रुपये व्यय करके नगरपालिका ने १५ मकानों का निर्माण किया है। इन मकानों में से ६ मकानों में नगरपालिका के अल्प वेतन भोगी कर्मचारी रह रहे हैं।

*९४--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--[हटा दिया गया।]

दुगड्डा नोटीफाइड एरिया का गबन

*९५--**श्री त्रिलोकीसिंह**--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष दुगड्डा नोटीफाइड एरिया जिला गढ़वाल में रुपये-पैसे का जो गोलमाल हुआ था उस सिलसिले में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--नोटिफाइड एरिया कमेटी, दुगड्डा, के भूतपूर्व अध्यक्ष ने नोटीफाइड एरिया कमेटी का कुछ धन अपने रिश्तेदारों के द्वारा एक मोटर कम्पनी से १९५७-५८ में वसूल किया था और इसे कई महीने अपने पास रखने के उपरान्त नोटीफाइड एरिया कमेटी के कोष में जमा किया था। इस मामले की सूचना शासन को सन् १९५९ में मिली थी। इस प्रकार भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा सामयिक गबन (temporary misappropriation) हुआ। जांच करने के उपरान्त कमिश्नर ने उन्हें सदस्यता से पृथक कर दिया जिसके परिणाम-स्वरूप वह अध्यक्ष पद से स्वतः हट गये। इस समय सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इटावा जिले में पंचायत सेक्रेटरियों का चुनाव

*९६--**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या इटावा जिले में १९ दिसम्बर, १९६० को पंचायत सेक्रेटरी का चुनाव हुआ था ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां।

*९७--**श्री भजनलाल**--यदि हां, तो कितने व्यक्ति निर्वाचित किये गये और उनमें कितने परिगणित जाति के एवं कितने पिछड़े वर्ग के लोग थे ?

श्री कैलाशप्रकाश--४० व्यक्ति निर्वाचित किये गये जिनमें ४ परिगणित जाति के तथा ४ पिछड़ें वर्ग क लोग थे।

*९८—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—[६ मार्च, १९६१ के लिये स्थागित किया गया ।]

*९९—श्री गेंदासिंह तथा श्री ब्रजनारायण तिवारी—[६ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१००—श्री शिवप्रसाद नागर—[६ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६०

श्री अध्यक्ष—अब सचिव, विधान सभा, सूचना देंगे ।

सचिव विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचना देता हूं कि विधान परिषद् से दो संदेशों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । जिनमें पहली इस प्रकार है—

"मुझे आपको यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ६ फरवरी, १९६१ की बैठक में श्री अलगूराय शास्त्री, सभापति, संयुक्त प्रवर समिति, उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६० का एक प्रस्ताव श्री पीताम्बर दास द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन सहित निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया—

"उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६० पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की तिथि ३१ जुलाई, १९६१ तक बढ़ा दी जाय ।"

आपका विश्वासपात्र,
परमात्माशरण पचौरी,
सचिव ।

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निपातन) विधेयक, १९६०

सचिव विधान सभा—दूसरा संदेश इस प्रकार है—

"उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १९९ (१) के अन्तर्गत मुझे यह सन्देश भेजने का आदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक १७ फरवरी, १९६१ की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है—

"सन् १९६० ई० के उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निपातन) विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन ३१ मार्च, १९६१ तक प्रस्तुत करे ।"

२—अतः उपर्युक्त प्रस्ताव विधान सभा की सहमति के लिये प्रेषित है । यदि विधान सभा इस प्रस्ताव से सहमत हो तो उक्त नियम के अन्तर्गत संयुक्त प्रवर समिति में कार्य करने के लिये विधान सभा द्वारा निर्वाचित १६ सदस्यों के नाम (डाक के पते सहित) इस सचिवालय को शीघ्र भेजने का कष्ट करें ।

३—विधेयक की एक प्रतिलिपि संलग्न है ।

आपका विश्वासपात्र,
परमात्माशरण पचौरी,
सचिव ।

कानपुर में कोयले की कमी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है और वह इस प्रकार है कि "कानपुर में कोयले की कमी के कारण २४ मिलों के बंद होने का नोटिस जिलाधीश कानपुर को दिया गया" । इससे उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिये इस सदन में नियम ५२ के अनुसार भी प्रश्न आ चुके हैं और उसके लिये वक्तव्य देने के लिये कहा गया था ।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---आज वक्तव्य देंगे ।

श्री अध्यक्ष---चूंकि उस पर आज वक्तव्य दिया जायगा । इसलिये इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

भुवनेश्वर मेला, जिला उन्नाव में लूट के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष---एक महत्व का विषय नियम ५२ के अन्तर्गत श्री गोविन्दसिंह विष्ट का है । वह इस प्रकार है :---

"दिनांक ११ फरवरी को ५,००० मेले की भीड़ के बीच भुवनेश्वर मेला, तहसील सफीपुर, थाना सफीपुर, जिला उन्नाव में १३-१४ डाकुओं ने हथियार व लाठियों के लैस होकर बैल बेचने वाले अलीगढ़ के जहूर, उसके साथी तथा एटा के करीम आदि को भारी चोटें पहुंचाकर उनका करीब १२,००० रु० लूट लिया । मेले में आयी पुलिस का थाना वहां से मुश्किल से २०० गज पर था । अचंभे की बात यह है कि मेले की हिफाजत के लिये जो आर्म्ड गार्ड सदैव की भांति आया था उसे मिर्जापुर गांव भेजा गया था और उसकी वापसी-आमद डाकुओं के चले जाने के कुछ ही बाद दिखायी गयी । पुलिस व दरोगा को इस मामले का पता होने पर भी वह चुप रही और आहत व्यक्तियों को जनता ने उन्नाव के राजकीय अस्पताल में रक्खा । इस खुले आम भीषण डकैती तथा पुलिस की संदेहात्मक निष्क्रियता से उन्नाव जिले में एक क्षोभ व आतंक का वातावरण फैला है ।

इस लोक महत्व के आवश्यक प्रश्न पर माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने की अनुज्ञा दी जाय ।"

माननीय गृह मंत्री इस संबंध में आज कोई वक्तव्य देंगे ?

गृह मन्त्री (श्री चरणसिंह)---अभी तो नहीं, इसकी मुझे इत्तला नहीं है, इसलिये मैं तीन दिन का समय चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष---तो २३ तारीख को आप वक्तव्य देंगे ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत उठाये गये विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैंने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था जिसका विषय डेफिनिट था तथा तात्कालिक था, उसे भी आपने नियम ५२ के साथ ही मिला दिया ।

श्री अध्यक्ष---मैंने उसे नियम ५२ के साथ नहीं मिलाया, मैंने तो यह कहा कि चूंकि उस विषय में वक्तव्य देने वाले हैं तो उसकी आवश्यकता अब नहीं रही । जब तक कोई डेफिनिट बात न मालूम की जाय और उसकी सही जानकारी न हो जाय तब तक उसके ऊपर बहस की जरूरत है नहीं । इस बारे में मैंने कोई निश्चित बात नहीं समझी, इसलिये मैंने प्रस्ताव की इजाजत नहीं दी ।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, जिलाधीश ने गलती की है और २४ मिलें कोयले की कमी से एफेक्टेड होने वाली हैं ।

श्री अध्यक्ष---वह तो स्टेटमेंट के बाद मालूम हो जायगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैंने एलगिन मिल के संबंध में आपके पास एक प्रस्ताव दिया था और हस्ताक्षर भी भेजे थे कि वहां उनसे जबरदस्ती काम लिया गया और अगर इस तरह की घटनायें घटीं तो उसका नतीजा आगे क्या होगा, मालूम होता है कि वह आपके पास आया नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—मैंने उसके लिये इजाजत दी नहीं । एक जो सबसे महत्वपूर्ण था उसके लिये मैंने नियम ५२ के अनुसार इजाजत दी ।

उत्तराखंड व कुमायूं में भोटिया लोगों के पड़ावों में सरकारी इमारतें बनाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब श्री गोविन्दसिंह बिष्ट द्वारा दिनांक १७ फरवरी, १९६१ को दी गयी सूचना पर उत्तराखंड व कुमायूं में भोटिया लोगों के पड़ाव में सरकारी इमारतें बनाने तथा नर्सरी लगाने की योजना आदि से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देंगे ।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अल्मोड़ा जिले में बागेश्वर में जमीन का एक टुकड़ा है जो आमतौर पर भोटिया पड़ाव कहलाता है । यहां पर जनवरी में बागेश्वर मेले के अवसर पर भोटिया लोग ठहरते हैं । इस पड़ाव के एक भाग में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये एक इमारत बनायी जा रही है। ऐसा करना आवश्यक था, क्योंकि बागेश्वर में इस प्रयोजन के लिये और कोई भूमि उपलब्ध नहीं थी । भोटिया लोगों ने जिला अधिकारियों से यह प्रत्यावेदन किया कि उक्त पड़ाव पर यह इमारत न बनायी जाय किन्तु यह प्रत्यावेदन अस्वीकृत हो गया । पड़ाव में अब भी काफी जगह बाकी है और जिला अधिकारियों ने भोटिया लोगों को आश्वासन दिया है कि उन्हें बागेश्वर मेले के अवसर पर ठहरने की सुविधायें दी जाती रहेंगी ।

पिथौरागढ़ जिले में, दारमा, जौलजीवी और थल के भोटिया पड़ावों की स्थिति इस प्रकार है—

दारमा पट्टी में तवाघाट भोटिया पड़ाव के एक भाग में १९५९ से सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक निरीक्षण गृह (Inspection House) बनाया जा रहा है । इसके बनाये जाने के खिलाफ न तो सरकार को और न जिला अधिकारियों को ही कोई प्रत्यावेदन (representation) दिया गया है ।

जौलजीवी में भोटिया पड़ाव असकोट से रजबार की निजी भूमि में स्थित है । इस पड़ाव पर न तो कोई सरकारी इमारत बनाने का विचार है और न कोई नर्सरी आदि लगाने का ।

थल में भोटिया लोग रामगंगा नदी के दोनों ओर कैसरे-हिन्द की खुली भूमि पर पड़ाव डालते हैं । किन्तु मेले के दिनों में, जो थल में अप्रैल के महीने में लगता है, कुछ भोटिया लोग और दूकानदारों की ही तरह वहां के सरकारी फलों के बाग में, कर देकर दो या तीन दिन के लिये ठहरते हैं । उक्त सरकारी फलों के बाग और नर्सरी को बढ़ाने का प्रस्ताव है जिसके फलस्वरूप इस बाग का यह स्थान भी घिर जायगा । विस्तार के इस कार्यक्रम के विरुद्ध स्थानीय जनता ने जिले के अधिकारियों के पास प्रत्यावेदन (representation) भेजा । जिला मैजिस्ट्रेट ने १८ फरवरी, १९६१ को थल में उनके प्रतिनिधियों से इस विषय पर स्वयं बातचीत की और उन्हें यह समझाया कि फलों के बाग के विस्तार का प्रस्तावित कार्यक्रम जनता के ही लाभ के लिये होगा और सम्भवत: इसके कारण अप्रैल में लगने वाले मेले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । इस बातचीत के बाद यह प्रतीत हुआ कि वे सन्तुष्ट हो गये हैं ।

भोटिया पड़ाव आमतौर पर कैसरे-हिन्द भूमि पर स्थित है, जिस पर भोटिया लोगों का कोई अधिकार नहीं है सिवाय इसके कि इन पड़ावों को अस्थायी रूप से ठहरने के लिये काम में लाने का उन्हें रूढ़िगत अधिकार (conventional right) प्राप्त है । बावजूद इसके केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उक्त पड़ावों को सार्वजनिक उपयोगिता के प्रयोजनों के लिये काम में लाया गया है और संबंधित भोटिया लोगों की आवश्यकताओं और जरूरतों का पूरा ध्यान रखा गया है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या यह सही है कि वहां पर कठायवाड़ा और अन्य स्थान ऐसे हैं जहां पर ये इमारतें बनायी जा सकती थीं, और गवर्नमेंट लैंड एक्वायर कर सकती थी या कैसर-हिन्द की भूमि पर भी ये इमारतें बनायी जा सकती थीं, फिर भोटिया पड़ाव पर ही इनको क्यों बनाया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस विषय की जानकारी तो मुझे स्वयं नहीं है कि वहां कोई और स्थान प्राप्त था और वहां न बनाकर यहां पर यह निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन माननीय सदस्य जो सूचना दे रहे हैं इसको प्राप्त करके मैं अवश्य अधिकारियों से पूछूंगा कि क्या अन्य स्थानों पर जहां भोटिया लोग नहीं ठहरते हैं वहां यह निर्माण कार्य किया जा सकता है और अगर कोई अन्य स्थान मिल सकता है तो अवश्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक इस विषय पर विचार करेगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं व उत्तराखंड में कुल कितने भोटिया पड़ाव हैं जहां उनको ठहरने के कन्वेंशनल राइट्स प्राप्त हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है, मेरी जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---यह बहुत ब्योरे का सवाल है, मैं इसकी इजाजत भी नहीं देता ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह भोटिया पड़ाव नाम के स्थान कितने हैं और इन पर जो इमारतें बनाई जा रही हैं वह उनके कितने भाग पर बनाई जा रही हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह कई स्थानों की चर्चा है, यह कई स्थान हैं, कई जगहों पर पड़ाव हैं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि बागेश्वर मेले में जो पड़ाव है वहां बहुत जमाने से भोटिया लोग आते हैं और ३० हजार भोटियों का उस पर राइट है, यह एक एकड़ या उससे ज्यादा जमीन है और उसकी आधी ले ली गई है, और क्या पड़ाव के लिये कोई दूसरा स्थान मेले में है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इतनी सूचना इस वक्त मेरे पास है जैसा कि मैंने निवेदन किया और यदि माननीय सदस्यों के पास अधिक सूचना है तो उसकी बुनियाद पर मैं कोशिश करूंगा कि यदि किसी और स्थान पर वह इमारतें बनवाई जा सकती हैं तो उन स्थानों पर कोई निर्माण का कार्य न होना चाहिये जहां वर्षों से भोटिये मेले के अवसर पर ठहरते रहे हैं ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तराखंड के बारे में जानकारी दी और कुमायूं में भी भोटिया पड़ाव हैं जिसे कि तनकपुर में, तो क्या वह फारेस्ट वर्किंग प्लान में जो उनके राइट्स हैं उनके अनुसार वह जैसे सैकड़ों वर्ष से आते रहे हैं वैसे ही आते रहेंगे इसकी जानकारी वह करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---जो प्रश्न नियम ५२ के अन्तर्गत उपस्थित किया गया था उसमें कुमायूं के बारे में भी था, वह भी आप बता दें ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस वक्त कुमायूं के संबंध में तो सूचना नहीं है थोड़े दिनों में मैं भी कुमायूंनी बनने वाला हूं, तब सूचना दूंगा ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो भोटिया पड़ाव हैं या और बनेंगे उनमें हमारे सदन के माननीय सदस्य श्री झारखंडेराय तथा श्री प्रतापसिंह सरीखे विधायक भी टिक सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—कोई टिके न टिके लेकिन श्री राजनारायण जी टिक सकते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—ऐसे भोटिया परिवारों के महत्व को देखते हुये जो भेड़ पालन करते हैं और जिनका काम ही मजदूरी के रूप में ढोना है और जो जोहारदारमा, जीतमान और नीलंग पट्टियों में रहते हैं, उन तीनों इलाकों के भोटिया प्रतिनिधियों को बुलाकर इस समस्या तथा वहां की अन्य समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा सरकार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बुलाने या न बुलाने का प्रश्न नहीं उठता । जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा, यह प्रश्न जो कि भोटियों से संबंध रखता है और उनके सुभीतों से संबंध रखता है, उस विषय में अधिक से अधिक सुभीते जो उन्हें दिये जा सकते हैं उनके ऊपर सरकार विचार करेगी और ऐसे निर्णय लेने की चेष्टा करेगी जिससे कि उन्हें कोई असुविधा अधिक मात्रा में न हो ।

श्री अध्यक्ष—अब यह प्रश्न समाप्त हुआ ।

स्टेट हेल्थ बोर्ड तथा हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजीकल इंस्टीट्यूट के लिये सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में तिथि की सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना देना चाहता हूं । स्टेट हैल्थ बोर्ड के लिये एक सदस्य चुना जाना है । नामजदगी काफी हो गई थीं । मैंने समय दे दिया था नामों की वापसी के लिये । लेकिन सब नाम वापस नहीं हुए, बल्कि दो नाम अभी भी मौजूद हैं, इसलिये चुनाव होगा । एक तो श्री श्रीनाथ भार्गव का नाम है और दूसरा श्री नन्दराम (प्रतापगढ़) का है । तो २२ तारीख को इसका चुनाव होगा जैसी कि मैं पहले भी सूचना दे चुका हूं ।

हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजीकल इंस्टीट्यूट के संबंध में भी निर्विरोध चुनाव नहीं हो रहा है। वहां भी दो नाम हैं। एक श्री एस० जी० दत्त का और दूसरा श्री मोतीलाल अवस्थी का। इसलिये उसका भी चुनाव २२ तारीख को होगा ।

कानपुर में कोयले की कमी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब माननीय मुख्य मंत्री कोयले के संबंध में वक्तव्य देंगे ।

सार्वजनिक निर्माण उप मन्त्री (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित सूचना सदन के सम्मुख पेश करना चाहता हूं:—

उत्तर प्रदेश में अक्तूबर सन् १९५९ तक कोयले की स्थिति संतोषजनक बनी रही परन्तु नवम्बर, १९५९ से स्थिति बिगड़ने लगी । सन् १९६० में स्थिति असन्तोषजनक बनी रही और इस वर्ष भी वही स्थिति है । कोयले के अभाव का मुख्य कारण वैगनों की कमी है । दूसरे प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :—

१—स्टील के कारखानों, रेल, फैक्टरियों और इमारतों के लिये, पाकिस्तान के लिये कच्चा लोहा निर्यात करने, सुरक्षा तथा खाद्य के लिये वैगनों का प्रयोग ।

२—मुगलसराय में जहां से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब की मालगाड़ियां गुजरती है स्थान का कम होना ।

३—उद्योगों का विकास एवं फलस्वरूप गाड़ियों की इस ओर खपत ।

४—भट्टे के कोयले और घरेलू कार्यों के लिये जलाने वाले कोयले की प्राथमिकता सबसे कम है । अतः इन कोयलों के भेजने का नम्बर सबसे अंत में आता है ।

औद्योगिक कारखानों को कोयला पहुंचाने के प्रयत्न सदैव होते रहे हैं । भारत सरकार, कोल कंट्रोलर एवं लिएजन आफिसर, कलकत्ता को औद्योगिक स्टीम कोल तथा दूसरे प्रकार के कोयलों की कमी की स्थिति से उत्तर प्रदेश सरकार अवगत कराती रही है । ये अधिकारी कोयला पहुंचाने के यथा संभव प्रयत्न करते रहे परन्तु दुर्भाग्यवश वैगनों की कमी के कारण परिणाम संतोषजनक नहीं रहे। रेलवे के जनरल मैनेजरों, कोल कंट्रोलर और भारत सरकार के उच्च पदाधिकारियों की एक मीटिंग का लखनऊ में २७ फरवरी, सन् १९६१ को आयोजन किया गया है। इस मीटिंग में कोयले की सप्लाई को बढ़ाने के लिये क्या करना चाहिए इस पर विचार किया जायगा । उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थानों में कोल डम्प बनाने की स्कीम भी सरकार के विचाराधीन है ।

प्रत्येक प्रकार के कोयले की स्थिति निम्नलिखित है :—

औद्योगिक कारखानों वाला स्टीम कोल

वैगनों की कमी का कोयले की सप्लाई पर बड़ा प्रभाव पड़ा । फरवरी, १९६० के अंतिम भाग और मार्च के आरंभ में स्थिति बहुत बिगड़ गई । अतः मुख्य मंत्री ने भारत सरकार के इस्पात के मंत्री और रेल मंत्री से इस संबंध में लिखा-पढ़ी की । इसके फलस्वरूप स्थिति कुछ संभली परन्तु बाद में स्थिति फिर बिगड़ने लगी । मुख्य मंत्री ने फिर भारत सरकार से लिखा-पढ़ी की और भारत सरकार ने आश्वासन दिया कि इस सरकार को वैगन देने में उदारता बरती जायगी । परिणाम यह हुआ कि स्थिति कुछ संभल गई । कुछ समय के उपरान्त स्ट्राइक और बाढ़ के कारण स्थिति पुनः बिगड़ गई ।

बिजली घरों के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि इलाहाबाद और आगरा में इस माह में कोयले की काफी कमी हो गई । बिजली घरों को कोयला पहुंचाने के लिये आवश्यक कार्यवाही सरकार ने की ।

आटे के मिलों को तीन शिफ्ट चलाने के लिये गेहूं अलाट किया गया है परन्तु उनका कोयला केवल दो शिफ्ट चलाने के लिये पर्याप्त होता है ।

शराब की भट्टियों के लिये कोयले की भी कमी रही । कारण यह है कि जुलाई से अक्तूबर तक जब स्लैक सीजन रहता है उस समय वैगनों की कमी रही । इसके अतिरिक्त कई शराब की भट्टियों का कोयले का खर्च भी बढ़ा । इस प्रकार सभी प्रकार के उद्योगों के लिये कोयले की कमी रही । इस कमी का मुख्य कारण वैगनों का अभाव है ।

कोयला चूर (स्लैक कोल)

सन् १९५९ तक कोयले चूर की स्थिति संतोषजनक रही । नवम्बर, १९५९ से स्थिति बिगड़नी शुरू हुई और सन् १९६० में बहुत ही असंतोषजनक रही । जुलाई, १९६० में कोयला चूर का आयात सब से कम अर्थात् ५,०००, वैगन मासिक कोटा में से केवल १०२ वैगन केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के कारण रहा। शासन के प्रयत्नों के कारण अगस्त, सितम्बर में सुधार हुआ किन्तु फिर भी निजी क्षेत्र में १,८०० भट्ठों तथा कोआपरेटिव क्षेत्र में ७०० भट्ठों के लिये अपर्याप्त रहा।

पिछले सितम्बर अक्तूबर, में अत्यधिक बरसात और बाढ़ के कारण स्थिति खराब हो गयी । शासन के अनुरोध पर भारत सरकार ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लिये १२,००० वैगन का अतिरिक्त कोटा दिया जिसमें से ५० प्रतिशत नेशनल कोल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन की खानों से तथा ५० प्रतिशत निजी खानों से आना था । उपरोक्त कारपोरेशन से कोयला ब्लाक रेक्स में आने का कार्यक्रम है। किन्तु बहुधा रेलवे के पास पर्याप्त वैगन न होने के कारण या कोई अन्य प्राथमिक मांग के कारण कोयले चूर की ब्लाक रेक्स रोक दी जाती है जिससे कार्यक्रम के अनुसार कोयला नहीं आ पाता ।

[श्री धर्मसिंह]

भारत सरकार के रेलवे मंत्री तथा खान और ईंधन मंत्री का ध्यान इस ओर मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्री द्वारा आकृष्ट किया गया है। इससे थोड़ा बहुत सुधार हुआ है किन्तु समस्या का समाधान नहीं हुआ। २७ फरवरी को इस विषय पर पूर्ण रूप से विचार करने के लिये रेलवेज के जनरल मैनेजर और भारत सरकार के अन्य अधिकारियों की एक कान्फरेंस लखनऊ में की जा रही है।

घरेलू कार्यों के लिए कोयला (साफ्ट कोक)

इस राज्य के लिये घरेलू कार्यों के लिये १६,२०० वैगन वार्षिक कोटा अक्तूबर १, १९६० से निर्धारित किया गया है। इसके पूर्व १५,००० वैगन वार्षिक कोटा था। वैगनों की कमी के कारण जो कोयला राज्य को प्राप्त हुआ वह निर्धारित कोटे से कम था। इस वर्ष इस कोयले की स्थिति असंतोषजनक रही, जैसा कि संलग्न आंकड़ों से प्रतीत होता है।

इन आंकड़ों से प्रतीत होता है कि सन् १९५८ और १९५९ में क्रमशः १०,२०७ तथा ९,५०६ वैगन प्राप्त हुए और सन् १९६० में केवल ६,९४५ वैगन प्राप्त हुए। इससे स्पष्ट होता है कि कोयले की सप्लाई लगातार गिरती रही है। इस समस्या को सुलझाने के लिये भारत सरकार एवं कोल कन्ट्रोलर से समय-समय पर लिखा-पढ़ी की गई परन्तु वैगनों की कमी के कारण स्थिति में सुधार न हो सका। दूसरा कारण यह भी है कि इस कोयले की प्राथमिकता सब से कम होती है अतः इसका नम्बर सबसे बाद में आता है। अभी हाल में कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, इटावा, गोरखपुर, पीलीभीत, मिर्जापुर, देवरिया, देहरादून, मुरादाबाद और अलीगढ़ से कोयले की कमी की सूचनायें मिलीं। तार द्वारा डिप्टी कोल कन्ट्रोलर और लियेजन अफसर, कलकत्ता को इस स्थिति की सूचना दी गई। परिणामस्वरूप लखनऊ और कानपुर में रेक आये परन्तु स्थिति फिर बिगड़ गई। कानपुर में कोयले की कमी के संबंध में मुख्य मंत्री ने १६ फरवरी, १९६१ को इस्पात के मंत्री, भारत सरकार को इस स्थिति से अवगत कराया। इसकी सूचना रेल मंत्री को भी दे दी गई। भारत सरकार के इस्पात के मंत्रालय कोल कन्ट्रोलर, कलकत्ता और लियेजन आफिसर, कलकत्ता को भी इसकी सूचना दे दी गई। लियेजन आफिसर ने सूचना दी है कि कोल कन्ट्रोलर ने दो ब्लाक रेक अगले सप्ताह में लखनऊ और कानपुर भेजने का आश्वासन दिया है।

कानपुर में इस कोयले की अप्रैल, सन् १९६० से मार्च, १९६१ तक की स्थिति निम्नलिखित है:

अप्रैल, सन् १९६० से मार्च, १९६१ तक का कोटा २,१९० वैगन था। कोयला जो १५ फरवरी, सन् १९६१ तक प्राप्त हुआ वह १,०४५ वैगन था और दिसम्बर और जनवरी में ७० वैगन के दो ब्लाक रेक आये।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब कानपुर में इस कोयले की कमी की रिपोर्ट डी० एम० ने सरकार को जनवरी या दिसम्बर के आखिर में दे दी थी तो १६ फरवरी को सरकार ने क्यों दिल्ली सरकार का ध्यान आकर्षित किया?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—यह सरकार बराबर उन मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करती रही है जिनका संबंध कोयले की खानों से है या रेल के वैगनों से है लेकिन जब इससे काम नहीं चला तो जैसा पुराना तजुर्बा आज के मुख्य मंत्री का था कि कभी-कभी बड़े-बड़े मंत्रियों से काम नहीं चल पाता है तो जो नीचे के अधिकारी हैं उनके द्वारा कार्य चलाया जा सकता है, इसलिये यह निर्णय बाद में लिया गया कि रेलवे जनरल मैनेजर्स की कान्फरेंस बुलाई जाय और उनसे इस मामले में सहायता ली जाय। इस सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि १८ तारीख को जगजीवन राम जी ने, जो रेलवे के मंत्री हैं और स्वर्णसिंह जी ने जो माइन्स इत्यादि के मंत्री हैं उन्होंने रेलवे मंत्री के यहां कान्फरेंस बुलाई थी जिसमें रेलवे के सब

अधिकारी, माइन्स इत्यादि के अधिकारी तथा उनके मंत्रालय के सचिव उपस्थित थे। मैं भी वहां बुला लिया गया था और इस कोयले की कमी के संबंध में वहां बातचीत हुई थी और कुछ निर्णय हुए थे जिनकी बुनियाद पर रेक्स विभिन्न प्रदेशों के हिस्सों में जहां डम्स बनेंगे वहां भेजे जाने वाले हैं। जैसा कहा गया है वैगन्स की सबसे ज्यादा कमी है और आज कल वैगन्स की, जब गन्ने का सीजन चलता है, कमी और बढ़ जाती है तब इस बात की चेष्टा की जा रही है कि नये प्रयत्नों के अनुसार प्रदेश में कुछ स्थानों पर डम्स बना लिये जायंगे और खाली वक्त में डम्स में रेक्स कोयले के इकट्ठा कर लिये जायंगे और फिर कोयला प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भेजेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—कोयले की कमी का आभास सरकार को कब हुआ और तब से आज तक सरकार ने कितने पत्र केन्द्रीय सरकार को लिखे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आभास सरकार को साल भर से बराबर चला आता है और बराबर प्रदेश की सरकार की यह चेष्टा रही है कि केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करे। अभी एक महीना हुआ जब नेशनल डेवलपमेन्ट कौंसिल की बैठक हुई थी, उसमें प्रत्येक प्रदेश की तरफ से अपनी कठिनाई उपस्थित की गयी थी क्योंकि यह कोयले की कमी का सवाल उत्तर प्रदेश का नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी ऐसी ही हालत है। जहां भी वैगन्स की कमी के कारण समय पर कोयला नहीं पहुंच पाता है और वहां पर तो कोयले की कमी के कारण हाहाकार मच जाता है। जो अभी नेशनल डेवलपमेन्ट कौंसिल की बैठक हुई थी उसमें विभिन्न प्रदेशों के मुख्य मंत्री आये थे और उन्होंने केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और केन्द्रीय सरकार से मांग की कि यदि तृतीय पंचवर्षीय योजना को कार्य-रूप में परिणत करना है और उसके ध्येय को पूरा करना है तो इस बात की आवश्यकता है कि केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के उपाय करे जिससे वे आवश्यक वस्तुएं जिनके द्वारा इमारतें वगैरह बनाने की जरूरत होती है समय पर मुहैया की जायं और वैगन्स इत्यादि को निर्मित करके या उन्हें बाहर से मंगा कर वह इस बात का प्रयास करे कि जो चीजें वितरण करने की हैं वे समय पर इन वैगनों द्वारा प्रत्येक प्रदेश के क्षेत्र में जहां भेजी जानी चाहिये वहां भेजी जा सकें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या इस बात की जानकारी सरकार को है कि पिछले कुछ महीनों से योजना को कार्यान्वित करने के लिये अधिक धन की मांग उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही थी और बगैर कोयले के उस धन का उपयोग नहीं हो सकता है यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज से कुछ दिन पहले कहा था, तो यह इस प्रकार की एक व्यवस्था उत्पन्न की गयी है कि कोयला उत्तर प्रदेश को न पहुंच सके और जब कोयला नहीं पहुंच सकेगा तो फिर धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह लैप्स कर जायगा?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि हमारे प्रदेश को कोयला सप्लाई करने के लिये वैगन ही कम एलाट होते हैं या वैगन पर्याप्त संख्या में एलाट होते हैं लेकिन कोयला कम मिलता है? यदि एलाट होने के बाद कम मिलता है तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने उन कारणों का भी पता लगाया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह तो वक्तव्य में उत्तर दे दिया गया कि वैगन्स एलाट भी हो जाते हैं फिर भी नहीं मिलते हैं और कोयला भी जिस मात्रा में एलाट हो जाता है उस मात्रा में नहीं मिल पाता है। यही शिकायत तो नेशनल डेवलपमेन्ट कौंसिल की बैठक में विभिन्न मुख्य मंत्रियों ने की थी और उसकी बुनियाद पर यह निवेदन किया गया था कि जितनी फीगर्स दी जाती हैं कि इतना वैगन्स का और इतना कोयले का एलाटमेन्ट होगा यह करीब-करीब इल्यूजरी ही सिद्ध होता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि कानपुर के २४ मिल मालिकों ने मिल बन्दी का नोटिस लगा दिया है, तो जब तक २७ वाली कान्फ्रेन्स नहीं हो जाती है तब तक उनके नोटिस को रोकने के लिये कोई आदेश उन मिल मालिकों को दे देंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कल ही कुछ मिलों की यह सूचना मेरे पास आयी थी और मैं दिल्ली में था और वहीं से मैंने टेलीफोन के द्वारा उन अपने विभागों को यह आदेश दिया था कि यदि उनके पास १४ या १५ दिन से ज्यादा का कोयला है तो वे ऐसा इन्तजाम करें कि वह उन मिलों को जो कोयले के अभाव में बन्द होने वाले हैं कोयला दें और उसका प्रबन्ध कल ही से हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि उनकी मांग जो थोड़े समय के लिये पूरी की जा सकती है वह पूरी की जायगी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि कवाल टाउन्स में कानपुर के अलावा और भी उद्योगों को कहां-कहां इस कोयले की कमी की वजह से खतरा है और सरकार इसके लिये क्या कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वह तो बताया गया कि जहां पर हमारे किसी सरकारी बिभाग के पास कोयला है उसको देने की हम चेष्टा करेंगे और उसका प्रबन्ध करेंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मुझे बड़ा अफसोस है कि आपने उस दिन सरकार को इस बात को बता दिया था कि हमारा कार्य-स्थगन का प्रस्ताव इस संबंध में था और उग्रसेन जी का प्रस्ताव दफा ५२ के अन्तर्गत आपने मान लिया था, मगर जो आज की कार्यसूची है, जैसा कि अन्य लोगों के नाम लिखे हुए हैं उग्रसेन जी का नाम उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आज उनके नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्ताव पर सरकार स्पष्टीकरण करेगी। इसका परिणाम यह हुआ कि आज फिर हमको उसी विषय पर प्रस्ताव देना पड़ा क्योंकि हम कल कानपुर गये थे। तो मैं चाहूंगा कि आप प्रश्न पूछ लेने दें.....

श्री अध्यक्ष---आपको मौका दे तो रहा हूं, आप प्रश्न पूछिये। अभी यह जारी है।

श्री राजनारायण---जरा स्पष्ट उत्तर देने की कृपा करे सरकार यह मैं आपके द्वारा पहले ही प्रार्थना किये देता हूं। अक्तूबर महीने से कानपुर में कोयले की कमी है और इसकी जानकारी सरकार के पास निश्चित रूप से है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अक्तूबर से लेकर अब तक श्री स्वर्णसिंह जी को कोयले के बारे में और श्री जगजीवन राम जी को वैगन्स के बारे में कितने पत्र लिखे गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मुझे इस प्रदेश के मुख्य मंत्री पद का कार्य भार सम्हाले हुए करीब दो महीने हुए हैं और इस बीच में मैं जितनी बार दिल्ली गया उतनी बार जगजीवन राम जी से और स्वर्ण सिंह जी से इस संबंध में बातें कीं और आग्रह किया और उनके अधिकारियों से भी बातें कीं अलावा उसके कि जो तार इत्यादि प्रदेशीय सरकार से उनके पास जाते रहे हैं। मैं उन सब तारों को यहां इकट्ठा करके तो नहीं लाया हूं लेकिन कोई हफ्ता ऐसा नहीं गया जिसमें उनका ध्यान कोयले की कमी की ओर और वैगन्स न मिलने की ओर न खींचा गया हो।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी शराब की भट्टियों के लिये जो कोयला दिया जा रहा है और जिसकी मात्रा कुछ बढ़ गयी है उसे बन्द करके वह तमाम कोयला ईंट के भट्ठों को ट्रांसफर करने का विचार करेंगे? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप सुझाव दे रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि सरकार के सारे प्रयत्नों के बावजूद हमारे प्रदेश को कोयला नहीं मिल पा रहा है, सरकार ने प्राथमिकता निर्धारित की है कि जिनको पहले आवश्यकता है उनको पहले दिया जाय जैसे बिजली कम्पनी है उसको पहले दिया जाय और फिर किसी दूसरी कम्पनी को दिया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्राथमिकता तो रखी गई है और उसी के अनुसार कोयले का वितरण होता है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की जानकारी हुई है कि संसद में जो श्री जगदीश अवस्थी सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर हैं, उन्होंने जब प्रश्न किया तो इस प्रकार का उत्तर दिया गया कि चूंकि श्री स्वर्णसिंह जी रानी एलिजेबेथ के स्वागत में संलग्न हैं इसलिये इस प्रश्न पर समुचित उत्तर नहीं दिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष---संसद में यह उत्तर दिया गया है ?

श्री राजनारायण---जी हां ।

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हमारा प्रश्न यह है कि मंत्री जी रानी साहब के स्वागत में लगे हुए हैं . . . .

श्री अध्यक्ष---आप बहस करते हैं, मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी ने मांग की है कि जितने वैगन हमको एलाट हुए थे उनको जिन अधिकारियों ने नहीं भेजा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक काम चलने वाला नहीं है, कोई ऐसी मांग की गई है ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी भी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब वह दिल्ली गये थे तो रेलवे तथा खान मंत्री जी से उनकी बातचीत हुई थी तो अब क्या आवश्यकता है और क्या तय करने के लिये २७ फरवरी को मीटिंग हो रही है और उससे स्थिति में सुधार होने की क्या गुंजइश है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इसलिये आवश्यकता है कि वैगन सप्लाई करने वाले जनरल मैनेजर आदि अधिकारी ही होते हैं और एक व्यावहारिक व्यक्ति के नाते थोड़ा बहुत शासन का मुझे तजुर्बा है उसकी बुनियाद पर मैं और मेरे अधिकारी स्वतः जानते हैं कि कभी-कभी कोई कार्य जो मंत्री जी से नहीं हो पाता है उसको नीचे के अधिकारी आसानी से और जल्दी से कर देते हैं । पहले भी जब मैं सिविल सप्लाई का मंत्री था तो मुझे तजुर्बा है कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से लिखा-पढ़ी में काफी समय लग जाता है और हमारा सम्पर्क जनरल मैनेजर से बना रहे तो हमारे अधिकारी शीघ्र वैगन पा सकते हैं । इसकी बिना पर मैंने मुनासिब समझा कि जैसे पहले शासन की ओर से जनरल मैनेजर आदि बुलाये जाते थे और हम उनके सामने अपनी दिक्कतों को रखते थे तो वह हमारे साथ सहयोग करके वैगन आदि देने के संबंध में अधिक से अधिक सुभीता देने का प्रत्यत्न करते थे । इसीलिये हमने इस सम्मेलन को २७ फरवरी को बुलाया है ।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---क्या मुख्य मंत्री जी को पता है कि अक्तूबर, १९६० से भारत सरकार ने कोयले के एलाटमेन्ट की पहली पद्धति को बदल दिया है और अब कोल कंट्रोलर को वैगन आदि के एलाट करने का अधिकार नहीं है और सिर्फ रेलवे अधिकारी ही करते हैं और वह बिना रिश्वत के एलाट नहीं किये जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसको इजाजत नहीं देता हूं, क्योंकि यह आक्षेप है।

श्री जगन्नाथ लहरी—श्रीमन्, मैं प्रश्न के पहले हिस्से का उत्तर जानना चाहता हूं कि अक्तूबर, १९६० से भारत सरकार ने कोयले के एलाटमेन्ट की पद्धति को बदल दिया है और अब कोल कंट्रोलर को वैगन एलाट करने का अधिकार नहीं रहा है क्या इसकी जानकारी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रकार की मांग हमने डेवलपमेन्ट कौंसिल में प्रस्तुत की थी और मंत्री जी ने कहा था कि हम इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर ओढ़ेंगे यानी उनका विभाग ही इस काम को करेगा। पर अभी यह सूचना नहीं है कि उन्होंने किस तरह के आदेश कोल कंट्रोलर को दिये हैं ?

श्री गेंदासिंह—एक तजुरबे से माननीय मुख्य मंत्री जी ने मंत्रियों से बात करने के अलावा रेलवे मैनेजर से बात करना पसन्द किया है, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस तजुरबे से भी लाभ उठायेंगे कि रेलवे मैनेजर से बातचीत करने से वैगन नहीं मिल सकते, कुछ दूसरे लोगों से बातचीत करके और कुछ दूसरे तरीकों को अपनाने से वैगन मिल सकते हैं, उनको अपनाएंगे ?

श्री अध्यक्ष—आप सुझाव देते तो अच्छा था।

श्री गेंदासिंह—मैं केवल तजुरबे की बात कह रहा हूं। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि यह दुर्दशा केवल उत्तर प्रदेश की है। अन्य प्रदेशों की यह दुर्दशा नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि दूसरे प्रान्त उन तरीकों को इस्तेमाल करते हैं ?

श्री गेंदासिंह—मैं उनसे यह कह रहा हूं कि किसी प्रकार यह जानकारी करने की कोशिश करें कि उन प्रान्तों को कोयला क्यों मुहइया हो जाता है और उत्तर प्रदेश को कोयला मुहइया नहीं होता। अगर वह तरीके बुरे हों तो न अपनाएं लेकिन अगर अच्छे हों तो अपनाने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि यह ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिसको आप डिसएलाउ करें।

श्री अध्यक्ष—आपका आक्षेप तो नहीं है ?

श्री गेंदासिंह—मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि अन्य प्रदेशों की जानकारी है ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—जानकारी इतनी मात्रा में तो है ही कि जो बात नेशनल डेवलपमेन्ट काउंसिल में इस प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कही थी वही बात करीब करीब अन्य प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों ने भी दुहराई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि कई ऐसे प्रदेश हैं जिन्हें उसी प्रकार की दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं जिस प्रकार की दिक्कतें हमें उठानी पड़ रही हैं, सिवा उन प्रदेशों के जो मुगलसराय के उस पार बसे हुए हैं और खानों के नजदीक जिनके स्थान हैं। महाराष्ट्र और आंध्र के दोनों मुख्य मंत्रियों ने इसी प्रकार की शिकायत की थी कि समय पर उनको कोयला नहीं मिल पाता है, एलाटमेन्ट नहीं हो पाता है, जो बताया जाता है, कागज पर कुछ एलाटमेन्ट दिखाये गये और इतना एलाटमेन्ट आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को किया गया। उनके दोनों मुख्य मंत्री खड़े हुए और उन्होंने वास्तविक आंकड़े रखे कि कितना कोयला, लोहा, सीमेन्ट साल के अन्दर गया था उन प्रदेशों में।

श्री राजनारायण--क्या सरकार ने इस बात की जानकारी कर ली है कि कानपुर में ८००, १००० औरतें कोयला न मिलने के कारण लौट रही हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैंने निवेदन किया कि जिन मिलों की बन्द होने की आशंका है उन मिलों के लिए मैंने यह प्रबन्ध करवाया है कि केसा में एक महीना या उससे ज्यादा के लिए कोयला है तो उसका कुछ हिस्सा १०० टन, १५० टन ३० टन जैसी मांग थी वह देने के आदेश दिये हैं। उसके लिए जिलाधीश और अन्य अधिकारी बातचीत कर रहे हैं।

श्री राजनारायण--सवाल दीगर जवाब दीगर । मेरा सवाल यह था कि ८००, १००० औरतें कोयले का परमिट ले कर जाती हैं उनको कोयला नहीं मिलता है तो व्यक्तिगत ढंग से जो परमिट लेकर जाते हैं उनको कोयला मिलने लगेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--व्यक्तिगत वालों का प्रबन्ध नहीं हो पाया है, क्योंकि कोयला है नहीं । लेकिन उसके लिए यह इंतजाम करने के आदेश दिये हैं और वन विभाग से यह कहा गया है कि खास तौर से कवाल टाउंस लकड़ी का भी आल्टरनेटिव प्रबन्ध इतनी मात्रा में हो जाना चाहिये, जिससे कि कोयला न होने के कारण यदि लोगों की आवश्यकता पूरी होने में दिक्कत पड़े तो लकड़ी उन्हें मिल सके और उससे वह अपनी आवश्यकताओं को मौजूदा हालात में पूरा कर सकें।

प्रदेश में हुई उपलवृष्टि के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--अब राजस्व मंत्री प्रदेश में पिछले दिनों हुई उपल-वृष्टि के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

एक सदस्य--श्रीमन्, यह भी नहीं छपा है कार्य-क्रम में ।

श्री अध्यक्ष--जी हां, उन्होंने मंगल को देने को कहा था । वह तैयार हो गए आज, तो मैंने आज ही देने को कह दिया।

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--श्रीमन्, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रदेश में दस जिले ऐसे हैं सिर्फ जिनमें कि ओला नहीं गिरा। १७ जिले ऐसे हैं जिसमें कि ओला गिरा है और ४० नये पैसे फी रुपया नुकसान हुआ है और २७ जिले ऐसे हैं जिसमें कि ४० नये पैसे से लेकर उसके ऊपर तक नुकसान हुआ है । जिन जिलों में ओला गिरा है वह ये हैं--बुलन्दशहर, शाहजहांपुर, मथुरा, बांदा, अल्मोड़ा, गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल, उत्तर काशी, चमोली और पिथौरागढ़। जिनमें ४० नये पैसे का नुकसान हुआ है वह हैं--देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बदायूं, पीलीभीत, रामपुर, अलीगढ़, हमीरपुर, जालौन, झांसी, मिर्जापुर, नैनीताल, हरदोई, बाराबंकी, वाराणसी, बरेली। ४० नये पैसे से अधिक जहां नुकसान हुआ है वह जिले हैं--मुरादाबाद, मैनपुरी, आगरा, एटा, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ, बिजनौर, इलाहाबाद, उन्नाव ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--श्रीमन्, बहराइच रह गया।

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं, है उसमें। वह उन २७ जिलों में से है, जिलेवार तफसील इस प्रकार है--

देहरादून--४५ गांवों में इसका असर हुआ । लेकिन कोई खास नुकसान नहीं हुआ।

सहारनपुर--खफीफ सा रुड़की और देवबन्द में असर हुआ लेकिन कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ ।

[श्री हुकुम सिंह विसेन]

मुजफ्फ्रनगर--६ फरवरी को ओलाबारी हुई । लेकिन वहां भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ ।

मेरठ--सिर्फ खफीफ सी छोटी-छोटी बिनौरियां गिरीं । उससे भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ ।

बुलन्दशहर---यहां भी कोई ओलाबारी नहीं हुई ।

आगरा डिवीजन

अलीगढ़--में कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ । हाथरस में १२ नये पैसे तक नुकसान हुआ है सरसों की फसल को और मटर की फसल को ।

मथुरा--में कोई हेल स्टार्म नहीं हुआ ।

मैनपुरी--में ओलाबारी से ३१४ गांव, मुतास्सिर हुए जिसका रकबा है ५५७०२ एकड़ । ५० नये पैसे से अधिक नुकसान हुआ है ११७ गांवों में और ३७ नये पैसे से कम हुआ है बकिया मौजे में ।

एटा--में पहली फरवरी को तहसील एटा, अलीगंज, और जलेसर में ओला गिरा । अलीगंज में ४४ मौजों में फसल को नुकसान हुआ और नुकसान २५ नये पैसे से ७५ नये पैसे तक हुआ । ५ हजार रुपया अहेतुक सहायता के लिए भी वहां ९ फरवरी को भेजा गया । आगरा में तहसील बाह, फतेहाबाद, फीरोजाबाद, खैराबाद, सदर और किरावली में मुख्तलिफ तारीखों में पत्थर गिरा है । ४६२ गांव उससे मुतास्सिर हुये हैं । २७,५०१ एकड़ में १२ नये पैसे तक नुकसान हुआ है । ८५,११७ एकड़ में १२ नये पैसे से ४० नये पैसे तक नुकसान हुआ है । ६५,६०५ एकड़ में ५० नये पैसे से ८८ नये पैसे तक नुकसान हुआ है । वहां पर १० हजार रुपये अहेतुक सहायता के लिये भेज दिया गया है ।

बरेली में ७४ गांव कुल इससे मुतास्सिर हुए हैं । बहेड़ी तहसील में ५८ और फरीदपुर में १६ गांवों में नुकसान हुआ है १ आना से ४ आना फी रुपया है ।

बदायूं में कोई नुकसान नहीं हुआ है ।

मुरादाबाद में मुख्तलिफ तहसीलों में ३० जनवरी और २ फरवरी को ओला पड़ा है । १११ गांवों में फसल को नुकसान हुआ है जो १२ नये पैसे से ८८ नये पैसे तक है ।

शाहजहांपुर में कोई ओलाबारी नहीं हुई है ।

पीलीभीत में २ तारीख को (फरवरी को) ओला गिरा था । १० गांव उससे मुतास्सिर हुये हैं । ६,९६८ एकड़ जमीन में यह नुक्सान हुआ है···

श्री अध्यक्ष--यह लिस्ट कितनी लम्बी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह तो ५० जिलों की है जो तीन पेज में है ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं इसकी साइक्लोस्टाइल्ड कापी बटवा दी जायं तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि बिना उसके इस पर सवाल कैसे किये जा सकते हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसको कल बटंवा दिया जायगा ।

८ सितम्बर, १९६० के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ५–७ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न का शोधित उत्तर

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)––अध्यक्ष महोदय, दिनांक ८ सितम्बर, १९६० को श्री मदन पांडेय द्वारा पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ५–७ के सम्बन्ध में श्री मदन पांडेय ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "क्या विनियमित शहरों में गोरखपुर का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है ? यदि हां, तो उसके प्रकाशित होने में क्या विलम्ब है और यह कब तक प्रकाशित हो जायेगा ?"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "वह तैयार हो गया है लेकिन अभी प्रकाशित नहीं किया गया है। कब तक प्रकाशित हो जायगा इसके लिये सूचना की जरूरत है।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है––"गोरखपुर का मास्टर प्लान बनाने का प्रस्ताव है। लेकिन अभी प्लान बना नहीं है।"

(मूल प्रश्नोत्तर के लिये देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८९७ पर)

मंत्रि मंडल के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष––मेरे पास माननीय राजनारायण जी ने मन्त्रिमंडल में अविश्वास प्रकट करने के लिये एक प्रस्ताव भेजा है और दूसरा प्रस्ताव एक···

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)––हम यह जानना चाहते थे कि माननीय मुख्य मंत्री जी अगले सप्ताह का कार्यक्रम बतलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष––वह इसके बाद लिया जायगा। यह कार्यक्रम इन आर्डर ही लिया जाता है।

एक दूसरा अविश्वास का प्रस्ताव श्री त्रिलोकी सिंह तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने दिया है। चूंकि त्रिलोकीसिंह जी ने केवल अविश्वास प्रकट करने के बारे में दिया है और उसका कारण नहीं दिया है और राजनारायण जी ने कुछ कारण भी दिये हैं और अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा चाही है और पहले भी भेजा है इसलिय मैं दोनों को पढ़ देता हूं। और दोनों को ही वैध करार देता हूं और उनको अनुज्ञा के लिये सदन के सामने रखता हूं। पहला राजनारायण जी का इस प्रकार है:––

यह सदन वर्तमान मंत्रिपरिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है, क्योंकि :

१––सरकार ने अलाभकर जोत (साढ़े ६ एकड़ तक) के किसानों का लगान माफ नहीं किया।

२––सरकार ने उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी को हटा कर राष्ट्र भाषा हिन्दी को कार्यान्वित नहीं किया।

३––सरकार ने कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों की न तो फीस ही माफ की और न शिक्षा ही अनिवार्य की।

४––हरिजनों तथा पिछड़ी जाति के हितार्थ सरकार ने अभी तक बैकवर्ड कमीशन की रपट लागू न कर के पिछड़े तबके का अहित किया है।

५––सोशलिस्ट पार्टी की न्याययुक्त संतुलित दाम नीति को कार्यान्वित न कर सरकार ने जीवनोपयोगी सामग्री को महंगा होने दिया है और इस प्रकार जनता पर संकट बढ़ाया है।

[श्री अध्यक्ष]

६--न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का अलगाव न कर सरकार ने संपूर्ण प्रदेश में संविधान तथा कानून की अवहेलना करायी है।

७--गरीबी और बेकारी को दूर करने के लिये अन्न सेना तथा शिक्षक सेना का निर्माण न कर सरकार ने गरीबी तथा बेकारी को बढ़ाने में सहायता की है ।

८--प्रदेश की उच्चतम आमदनी और खर्चा को एक हजार के अन्दर नियोजित करने की मांग को सरकार ने ठुकराया है।

९--जिला परिषदों का अविलम्ब बालिग मताधिकार के आधार पर सरकार ने चुनाव करने में उदासीनता दिखायी है।

१०--मंत्रियों तथा उच्चाधिकारियों के ऊपर सदन में लगाये गये आरोपों की जांच के लिये जांच समिति बैठाने की मांग की अब तक सरकार ने उपेक्षा की है।

११--अनावश्यक ढंग पर मंत्रिपरिषद् की संख्या बढ़ा कर सरकार ने जन धन का सदुपयोग नहीं किया।

१२--अधिकतम जोत सीमा अधिनियम को लागू करने में अनावश्यक ढंग पर विलम्ब करके किसानों का अहित किया गया है।

१३--जिस ढंग पर वर्तमान मंत्रिपरिषद् का गठन हुआ है उससे जनतांत्रिक प्रणाली को धक्का लगा है ।

१४--ग्राम पंचायतों का निष्पक्ष चुनाव कराने में सरकार असफल रही है ।

१५--प्रदेश में विदेशी पंचगामियों की गतिविधि तथा प्रचार को रोक सकने में सरकार असमर्थ रही है ।

१६--संतुलित पूरक बजट पेश कर गरीबों के करभार को कम करने में सरकार असमर्थ रही है ।

१७--पुलिस प्रशासन को जनतांत्रिक ढंग पर विकेन्द्रित कर के ग्राम पंचायतों के हाथ में पुलिस शक्ति हस्तांतरित करने की ओर सरकार ने कदम नहीं उठाया, फलस्वरूप प्रदेश में चोरी, डाका, कत्ल राहजनी बढ़ी है ।

१८--बाढ़ में ढहे मकानों को बनवाने के लिये भी सरकार ने कोई सुनियोजित योजना नहीं रखी जिससे आज तक बहुत से गरीब बेघरबार हो गये हैं।

१९--संपूर्ण कुमायूं डिवीजन तथा उत्तराखंड के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोई सुनियोजित योजना सरकार ने आजतक पेश नहीं की जिससे वहां के भूमिहीनों, तथा बेकारों और गरीबों के लिये घोर निराशा का वातावरण छाया है ।

२०--प्रदेश के श्रम को सुनियोजित कर के श्रम के महत्व को प्रतिष्ठित करने की चेतावनी की सरकार ने पूरी उपेक्षा की है ।

२१--जनतंत्र में शांतिपूर्ण अहिंसक सिविल नाफरमानी (सत्याग्रह) को वैध मानकर सरकार ने समता, स्वतंत्रता, जनतंत्र तथा समाजवाद को प्रतिष्ठित करने के लिये समुचित कदम नहीं उठाया है ।

और मैंने श्री त्रिलोकी सिंह जी का प्रस्ताव बतला ही दिया । अब मैं दोनों को एक-एक करके सदन के सामने रखता हूं अनुज्ञा के लिये ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--दोनों पर एक साथ ही अनुज्ञा ले ली जाय ?

श्री अध्यक्ष––जी नहीं। कुछ लोग यदि आपके प्रस्ताव के कारण से सहमत न होंगे तो वे उसकी अनुज्ञा नहीं देंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो खाली अविश्वास प्रकट करने वाले हों, तो वे श्री त्रिलोकीसिंह जी के प्रस्ताव पर अनुज्ञा के लिये खड़े हो जायंगे।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)––दूसरा प्रस्ताव आपने पढ़ने के लिये कहा था, किन्तु पढ़ा नहीं।

श्री अध्यक्ष––वह भी मैं पढ़ देता हूं।

श्री त्रिलोकी सिंह वाला प्रस्ताव इस प्रकार है:––

"हम निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करना चाहते हैं और आशा करते हैं कि अध्यक्ष महोदय इसकी अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे––"यह सदन मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रकट करता है।" उनका प्रस्ताव बस इतना ही है। तो मैं पहले राजनारायण जी के प्रस्ताव को रख रहा हूं जो लोग अनुज्ञा देने के पक्ष में हों वे कृपया खड़े हो जायं।

(८८ सदस्य खड़े हुए)

चूंकि खड़े होने वाले सदस्यों की संख्या पंचमांश से अधिक यानी ८८ है इसलिये सदन इसकी अनुमति देता है।

अब चूंकि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है, अतः दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह प्रस्ताव भी अविश्वास प्रकट करता है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)––अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर दूं, मेरा वाला प्रस्ताव सीमित नहीं है, काफी व्यापक है, जब कि माननीय राजनारायण जी का प्रस्ताव सीमित है। तो एक प्रस्ताव है जिसकी कोई सीमा नहीं है और उसमें कोई भी कारण कहे जा सकते हैं। इसलिये मेरा वाला प्रस्ताव आना चाहिये। अगर आप दूसरा प्रस्ताव नहीं लेते हैं तो क्या आप इसकी इजाजत देंगे कि कोई सदस्य उन कारणों पर भी बोल सकता है जिनका हवाला राजनारायण जी वाले प्रस्ताव में नहीं है ?

श्री अध्यक्ष––यह तो दिक्कत उसमें रहेगी। मैंने तो पहले ही यह कहा था कि यह हो सकता है कि कुछ सदस्य ऐसे हों जो राजनारायण जी वाले प्रस्ताव में जो कारण बताये गये हैं, उनसे सहमत न हों, और अगर आप उससे सहमत न होते तो मैं दूसरा प्रस्ताव भी लेता।

श्री त्रिलोकीसिंह––आपने यह कहा था कि दोनों प्रस्ताव पर राय लूंगा ?

श्री अध्यक्ष––अगर एक स्वीकार न होता।

श्री राजनारायण––श्रीमन्, हमारे प्रस्ताव को देखा जाय उसमें सभी कारण स्पष्ट और व्यापक हैं। जो इक्कीसवां प्वाइंट है उसमें यह लिखा है कि जनतंत्र में शान्तिपूर्ण अहिंसक सिविल नाफरमानी (सत्याग्रह) को वैध मान कर सरकार ने समता, स्वतंत्रता, जनतंत्र तथा समाजवाद को प्रतिष्ठित करने के लिये समुचित कदम नहीं उठाया है। यह इतना व्यापक है कि इसके अन्दर सभी बातें आ जाती हैं। इसलिये हमारा प्रस्ताव तो यह सदन पास कर चुका है, इसलिये दूसरे प्रस्ताव का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष––आप अगर यह समझते हैं कि वह गलतफहमी से पास हो गया है तो मैं उस पर फिर राय ले सकता हूं।

श्री त्रिलोकीसिंह––गलतफहमी की बात नहीं है, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी २१ या २२ कारण उसमें प्रस्तुत किये गये हैं उनके अलावा भी....

श्री अध्यक्ष--जो भी कारण उसमें लिखे हैं वे व्यापक हैं और आप उस पर अपना मत दे चुके हैं। फिर मैं तो कभी अविश्वास के प्रस्ताव के संबंध में कोई रुकावट डालता ही नहीं और मैं उसको बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण से देखता हूं। तो अगर कोई सदस्य बोलते समय खींचातानी करके अगर उसके अलावा भी कोई खास बात को ले आता है तो मैं उसकी इजाजत दे देता हूं, हां अगर बिलकुल ही उसके परिधि के बाहर की कोई बात होती है तो मैं उसे रोक देता हूं . . . .

श्री त्रिलोकीसिंह--श्रीमन्, मैं खींचातानी का कायल नहीं हूं, मैं तो साफ बात चाहता हूं। आप उससे सहमत नहीं हैं तो मेरी बात यहीं पर समाप्त हो जाती है।

श्री अध्यक्ष--आप जो कहते हैं कि हर चीज आ सकती है तो हर चीज को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री त्रिलोकीसिंह--तो ठीक है। ऐसी दशा में आप गौर करें कि जो एक व्यापक रूप से प्रस्ताव दिया गया है, जो प्रथा है संसदीय और जो मान्यवर की भी एक बार रूलिंग हो चुकी है, उसके अनुसार उसको प्राथमिकता देनी चाहिये--वैसे जो आपने निर्णय किया है मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं आपको कोई गलतफहमी नहीं थी। मैंने यह कह दिया था कि दोनों को मैं रखूंगा जब कि कुछ लोग इससे सहमत नहीं होंगे। अगर सहमत नहीं होंगे तो वोट नहीं करेंगे, मैं दूसरा ले लूंगा। लेकिन आपने उसके ऊपर भी वोट दिया है, तो मैं समझता हूं कि वह पास हो चुका है।

***श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)--मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हमारी स्थिति यह है कि राजनारायण जी ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें जो कारण बतायें हैं उन सब से हम सहमत हैं, लेकिन इनके अलावा और भी कारण हैं जिनके आधार पर हमने अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया है। इसलिये, क्योंकि दूसरा प्रस्ताव सर्वव्यापी है और इससे हम असहमत नहीं थे इसलिये हमने उसकी स्वीकृति दे दी, लेकिन जो हमारे प्रस्ताव लाने के दूसरे कारण हैं उनको हम नहीं रखेंगे तो हम वंचित रह जायंगे . . . .

श्री अध्यक्ष--तो आपने उस समय यह भी कहा होता कि पहले उसको रख दिया जाय--व्यापक वाले को।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--अध्यक्ष महोदय, हमको गलतफहमी हुई, इसलिये उसके लिये हमें सजा न दें और इसे भी ले लें तो बड़ी कृपा होगी, जैसा कि आपने स्वयं कहा कि आप बड़ी उदार दृष्टि से देखते हैं।

श्री अध्यक्ष--उदार दृष्टि का प्रश्न यहां नहीं है ? दो प्रस्ताव एक ही तरह के हैं तो एक ही रहेगा--या तो वह रहेगा या यह रहेगा। आप लोग अगर तय कर दें कि एक चीज रहेगी तो वह रहेगी। दो प्रस्ताव नहीं रहेंगे, एक प्रस्ताव रहेगा, क्योंकि एक तरह के हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--मैं एक व्यवस्था की बात जानना चाहता हूं। जो परम्परा रही है उस पर नयी बात सुनकर जानना चाहता हूं कि आगे के लिये क्या व्यवस्था होगी। जब कभी इस प्रकार के प्रस्ताव आते रहे हैं तो मुझे स्मरण है कि आप कहते रहे हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि बहुत सारे प्रस्ताव आये हैं, लेकिन क्योंकि नेता विरोधी दल का प्रस्ताव भी आया है इसलिए उसे लेता हूं--आगे पीछे की बात नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि जब कई एक तरफ से प्रस्ताव आते हैं तो व्यापक प्रस्ताव लिया जाता रहा । प्राथमिकता देने का अधिकार आपको है, हमारा नहीं । तो मैं व्यवस्था चाहता हूं भविष्य के लिये कि क्या तरीका रहेगा । व्यापक प्रस्ताव पहले लिये जायेंगे, कम व्यापक वालों को प्राथमिकता निश्चित होगी या जब हम बतायेंगे तब प्राथमिकता दी जा सकेगी ।

श्री अध्यक्ष--श्री राजनारायण का प्रस्ताव पहले आया था कि हमारे प्रस्ताव के ऊपर राय ले ली जाय। परसों मैं वादा कर चुका था, मुझे मालूम नहीं था कि दूसरा आने वाला है । मैंने कहा कि लिया जायगा, इसलिये मैंने उसे ले लिया और मैंने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर कुछ कारणों से कुछ आपत्ति हो, कम व्यापक होने की वजह से आप चाहते हैं कि और व्यापक होना चाहिये--यह मुझे खयाल नहीं था, तो एक आध कारण से श्री राजनारायण जी का आप अगर नापसन्द करते हों तो नामंजूर कर दें, फिर दूसरा आ जायगा और नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने जिन्होंने रखा उनके नाम भी मैंने पढ़कर सुना दिये और स्वयं सदन के ऊपर छोड़ दिया । मैं बन्धन चूंकि नहीं डालना चाहता था इस कारण मैंने सोचा कि सदन जिसे पसन्द करेगा उसके पक्ष में निर्णय दे देगा । लेकिन आपने पहले को पसन्द कर लिया तो दूसरा खत्म हो गया अपने आप ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मैं जानना चाहता हूं कि दो मोशन आये; आप जो दूसरा नहीं ले रहे हैं यह किस नियम के अनुसार नहीं ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--इसलिये नहीं ले रहा हूं क्योंकि एक मोशन पास हो गया और वह इसी सब्जेक्ट के ऊपर है । दो मोशन्स एक सब्जेक्ट पर नहीं उपस्थित किये जा सकते ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने एक व्यवस्था दी थी और उस व्यवस्था के अनुसार हमने कार्यवाही की । आपने कहा था कि इस प्रस्ताव को हम पहले लेते हैं और उसके बाद उस प्रस्ताव को लेंगे ।

श्री अध्यक्ष--मैंने कहा था कि पहले प्रस्ताव में कारण दिये हुये हैं जो दूसरे में नहीं हैं, इसलिये सम्भव है कि कोई उन कारणों में से किसी कारण से सहमत न हों और मुमकिन है उसके लिये अनुज्ञा न मिले तो मैं दूसरे को भी ले लूंगा । मतलब यह था कि अगर आप पहले में अनुज्ञा नहीं देते तो दूसरे को ले लूंगा । मेरी तरफ से उसमें कोई गलतफहमी नहीं थी ।

*__श्री प्रतापसिंह__ (जिला नैनीताल)--मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, राजनारायण जी ने जो प्रस्ताव रखा उसका तो हम समर्थन करते हैं लेकिन मैं एक संसदीय प्रणाली आपके द्वारा जानना चाहता हूं । आपने तीन दिन पहले इसी सदन में कहा था कि पहली विरोधी दल की जो पार्टी है वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है और पिछली बार बजट में जब प्रश्न आया था कि कटौती के प्रस्ताव कौन पेश करेगा तो भी आपने हाउस आफ कामन्स की रूलिंग बताई थी और आज सारे नेता एकमत हैं तो हम आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि आप संसदीय प्रणाली के प्रकाण्ड पंडित हैं कि जब नेता विरोधी दल के दस्तखतों से प्रस्ताव आया और सभी दल के लोग उससे सहमत हैं तो आपने कौन सी संसदीय प्रणाली अख्तियार की । इसका अर्थ यह हुआ कि नेता विरोधी दल नाम की कोई चीज आप नहीं मान रहे हैं । वैसे आपकी जो रूलिंग है वह शिरोधार्य है लेकिन भविष्य के लिये क्या संसदीय प्रणाली होगी इस पर आपसे जानकारी चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष--जब उनका प्रस्ताव पहले लिया गया तब किसी ने आक्षेप नहीं किया कि उनका प्रस्ताव पहले न लिया जाय । दूसरे प्रस्ताव पर राजनारायण जी के दस्तखत नहीं थे, उन्होंने स्वतंत्र प्रस्ताव दिया था । अगर लोगों की राय यह थी कि अनुज्ञा उस प्रस्ताव को दी जाय जिस पर चार नेताओं के दस्तखत हैं तो उनको इस प्रस्ताव की अनुज्ञा नहीं देनी चाहिये थी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अध्यक्ष]

लेकिन आपने जब इस प्रस्ताव को अनुज्ञा दी तो मैं यह समझा कि आप सबकी राय है कि राजनारायण जी का प्रस्ताव लिया जाय । उसमें कारण दिये हुये हैं, इसलिये आप उसको पसन्द करते हैं, यह मैंने समझा ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं भी कुछ निवेदन कर दूं । अगर मैं न बोलूं तो इसका अर्थ यह न लगाया जाय कि मैं पार्लियामेन्टरी पद्धति नहीं समझता । अगर मैं वैधानिक प्रश्न न उपस्थित करूं तो सम्मानित सदस्य यह न अर्थ लगायें कि मुझे वैधानिक प्रश्न उठाने नहीं आते । हमने इस बात को कभी नहीं माना है कि जब नेता विरोधी दल ही अविश्वास का प्रस्ताव लायें तभी वह अविश्वास का प्रस्ताव माना जाय । रानीखेत में जहां लड़ना था वहां तो वह बैठ गये और यहां मुझसे लड़ रहे हैं.....

श्री प्रतापसिंह--मान्यवर, राजनारायण जी को रोका जाय, वह इधर-उधर की बातें न करें ।

श्री अध्यक्ष--(श्री राजनारायण से) यह आप अनुचित बात कर रहे हैं ।

श्री राजनारायण--ठीक है, मैं नहीं कहूंगा । मैं निवेदन यह कर रहा था कि हम इस प्रस्ताव को लायेंगे तब भी हम खड़े होंगे और दूसरे लायेंगे तब भी खड़े होंगे । श्रीमन, श्री राम स्वरूप वर्मा जी ने जब यहां पर गत सेशन में सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव रखा था तब दूसरे लोग नहीं खड़े हुये थे लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे । संसदीय परम्परा और मर्यादा के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं उन सदस्यों से जो यह कहते हैं कि गलतफहमी में वोट कर दिया । तो गलतफहमी और कानून की जानकारी न होना तो कोई बहाना नहीं हुआ करता है । यहां पर ८८ लोगों ने हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया, आपकी चेतावनी के बाद भी समर्थन किया । इसलिये स्वतः अपने किये हुये कामों की सूरत पर इस तरह से शर्म की कालिख नहीं पोतनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--इस तरह से आपको किसी के लिये नहीं कहना चाहिये । आप अपने इन शब्दों को वापस लें ।

श्री राजनारायण--मैं उनको वापस लेता हूं । अध्यक्ष महोदय, ये लोग यदि आज्ञा दें तो 'इत्यादि, इत्यादि' संशोधन बढ़ा करके उसको पूरा कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--मैंने यह तो पहले ही साफ कर दिया था कि इस बारे में मैं काफी लेटीट्यूड दूंगा जिससे आप अपनी बात रख सकें ।

श्री त्रिलोकीसिंह--मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय नेता समाजवादी दल, जिनके प्रस्ताव को अभी इजाजत मिल गई है, उसके रूप को और व्यापक कर दिया जाय और २१ वें कारण के अन्त में इत्यादि, इत्यादि शब्द, रख दिया जाय । ऐसी दशा में दिक्कत हल हो जायगी और उसके अन्दर माननीय नेता समाजवादी दल का जो विचार है उसके अतिरिक्त हमारे विचारों का भी समावेश हो जायगा । इसलिये सदन से कृपाकर इसकी भी अनुज्ञा मांग ली जाय कि "इत्यादि, इत्यादि" शब्द उस प्रस्ताव के अन्त में बढ़ा दिये जायं ।

अगर आप इसकी इजाजत न दें तो इतना तो मैं जरूर निवेदन करूंगा, इस बात को देखते हुये कि यह भ्रम एक माननीय सदस्य को नहीं बल्कि कइयों को हुआ है, इसलिये थोड़ी ढिलाई दे दें ताकि वे लोग उन कारणों को कह सकें जो उन्हें वर्तमान मंत्रिमंडल के विरुद्ध कहना है, उसमें कोई रुकावट न हो ।

श्री अध्यक्ष--मैं तो यह पद्धति रखूंगा कि बहुत व्यापक रूप में आपने जो कारण बतलाये उनको लूंगा, यह मैंने पहले ही बता दिया । लेकिन चूंकि एक बार राय ली जा चुकी

है, चाहे वह थोड़ी बहुत गलतफहमी से ही क्यों न हो गई हो, यह अनुचित होगा कि मैं उस पर फिर से राय लूं या इस विषय में कुछ जोड़ने की इजाजत दूं । वह स्वीकार हो चुका है । अब किस रोज यह प्रस्ताव लिया जायगा विचार के लिये, यह बाद में बताया जायगा ।

श्री गौरीशंकर राय—मैं अर्ज यह कर दूं कि आपने कहा कि थोड़ा ढील देंगे । जिन कारणों को राजनारायण जी ने रखा है, उनसे तो मैं सहमत हूं इसीलिये हम उसके लिये खड़े हुये थे और वोट दिया लेकिन नई सरकार के विरुद्ध ये सब पुराने पिटेपिटाये कारण हैं, जो हर बार आते हैं, लेकिन इनके आपसी झगड़े के कारण प्रदेश बरबाद हुआ जा रहा है, यह एक ऐसा सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है । क्या मैं जान सकता हूं कि उस ढिलाई में यह भी आ जायगा ?

श्री अध्यक्ष—अध्यक्ष पर शर्तें नहीं लादी जातीं । जो कुछ मुझे कहना था कह चुका हूं ।

श्री झारखंडेराय—अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अब तक मैं यह समझ पाया था और मैंने यह परम्परा आज तक यहां देखी थी कि विरोधीदल के नेता के प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाती थी । यह पहला ही अवसर है जो आपने उसको प्राथमिकता नहीं दी है और अब तक की अपनी रूलिंग के विरुद्ध किया । मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि जो तरीका आपने अपनाया है उसके बारे में कम से कम इतना ही मैं कह सकता हूं कि मैं उसका घोर और तीव्र विरोध करता हूं और अपने ९ वर्ष के इस सदन के जीवन में मुझे पहली बार आप में संदेह हुआ है ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, एक वैधानिक प्रश्न है । मैं बहुत ही अदब के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय झारखंडे राय जी के प्रति मेरे हृदय में बड़ा स्नेह है और मैं उनकी मौखिक प्रतिभा का बड़ा कायल हूं जिस ढंग से कि वे तकरीर करते हैं । वधानिक प्रश्न मेरा यह है कि अध्यक्ष की व्यवस्था के लिये उनका यह कहना कि "हमको आपके ऊपर संदेह है," यह नहीं कहना चाहिये । यह उनके लिये उचित नहीं है । यह माना कि वे आपकी व्यवस्था से सहमत न हों और सदन छोड़कर चले जायं या बैठना हो तो यह कह कर बैठें कि हम आपकी व्यवस्था से सहमत नहीं हैं, लेकिन आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं, चूंकि रहना है, बैठता हूं, यह तो ठीक है । मगर बिल्कुल संदेह उत्पन्न कर देना अध्यक्ष में , मैं समझता हूं यह उचित नहीं है । वैसे वैधानिकता के बारे में मैं कुछ नहीं कहता लेकिन ऐसे शब्द उनको कहने नहीं चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—वे चाहे जो कुछ कहें, उनके कहने से अध्यक्ष के हृदय को दूसरा कोई पढ़ नहीं सकता और मेरे ऊपर उसकी कोई चोट भी नहीं पड़ी । जिस इरादे से मैंने ऐसा किया वह स्पष्ट रूप से बतला दिया । अब वे यकीन करें या न करें, उनके दिल की बात है। मैं उनके दिल को परिवर्तन तो कर नहीं सकता । मैंने पढ़ कर सुना दिया और मैं समझता हूं कि यह उचित है कि विरोधी दल के नेता ही सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव लावें और उसके ऊपर बहस हो लेकिन एक दफा यह बात सामने आई थी और राजनारायण जी का ही कहना था कि जो पहले प्रस्ताव आवे उसको ही लेना चाहिये । तो इस दफा मैंने देखा कि एक तरफ से एक प्रस्ताव है और दूसरी तरफ से चार पार्टियों का प्रस्ताव है, तो सम्भव है कि श्री राजनारायण जी के प्रस्ताव में जो कारण दिये हुये हैं उनमें बहुत से ऐसे कारण हों जिन्हें अन्य नेता पसन्द न करते हों तो उसे अनुज्ञा नहीं देंगे, लेकिन जब एक दफा उन्होंने पसन्द कर लिया तो फिर नाराजगी की बात नहीं है । अगर उनके कारणों को सबने पसन्द कर लिया तो चलने दीजिये । जब प्रस्ताव उपस्थित करना होगा तो उस मौके पर राजनारायण जी विरोधी दल के नेता को यह प्रस्ताव उपस्थित करने के लिये कह सकते ह ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इसके ऊपर सदन में विवाद कब होगा, यह तो बतला दिया जाय । उधर छुट्टी होने वाली है, कहीं ऐसा न हो कि यह ऐसे ही रह जाय ।

श्री अध्यक्ष—१० रोज के अन्दर ही ।

श्री राजनारायण—इस विवाद में मैं समझता हूं कि कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—श्रीमन्, जिस दुखद वातावरण की तरफ माननीय नेता समाजवादी दल ने ध्यान दिलाया है, उसके बारे में मैं यहां पर उनकी गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं कि असल बात यह है कि जो डिवाइड ऐंड रूल की पालिसी अख्तियार की गई है उसे चुनौती देने के लिये हम सब लोगों ने वोट किया है।

श्री राजनारायण—अगर मेरी किसी बात से माननीय सदस्य को दुख हुआ है तो मैं उसे वापस लेता हूं और मैं समझता हूं कि उन्होंने सोच समझ कर, जानबूझ कर ही अपने अधिकार का प्रयोग किया है ।

सदन का आगामी कार्यक्रम

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—इस सप्ताह का कार्य क्रम, अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को बतला दिया जाय ।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, वैसे तो कार्य क्रम छपा हुआ है ही, लेकिन फिर भी मैं पढ़ कर सुना देता हूं ।

फरवरी २०, १९६१—(१) उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६० के निरनुमोदन के प्रस्ताव पर विचार जारी ।

(२) उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ के निरनुमोदन के प्रस्ताव पर विचार ।

(३) उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अध्यादेश, १९६१ के निरनुमोदन के प्रस्ताव पर विचार।

(४) उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार एवं उसका पारण ।

फरवरी २१-२२—(१) उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक विधेयक, १९६० पर विचार एवं उसका पारण ।

(२) कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार एवं उसका पारण।

(३) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उप-मंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१ पर विचार एवं उसका पारण ।

(४) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार एवं उसका पारण ।

फरवरी २३—उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार एवं उसका पारण ।

फरवरी २४—असरकारी दिवस ।

श्री मदन पांडेय—श्रीमन्, होली की छुट्टी कब है ?

श्री अध्यक्ष—वह तो छपा हुआ है ।

श्री मदन पांडेय—ऐसा न हो कि बीच में जाकर प्रोग्राम बदल जाय ।

श्री अध्यक्ष—२५-२६ को तो बैठक नहीं होगी और २७-२८ को होगी और उसके बाद १ से ५ तक छुट्टियां हैं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—जो प्रोग्राम बताया गया है उसमें इतने कम समय में इतने बिल रखे गये हैं तो क्या यह किसी बिजिनेस कमेटी ने कोई सीमा निर्धारित की है ?

श्री अध्यक्ष—वह बिजिनेस कमेटी से नहीं हुआ है बल्कि यह तो एक एस्टीमेट सा उनका है ।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—श्रीमन्, २५ व २६ को छुट्टी है और फिर २७ व २८ को काम करने के बाद ५ दिन की फिर छुट्टी है । अगर २७–२८ की भी छुट्टी हो जाय तो ९ दिन की छुट्टी हो जाती है और बीच में जो एक बार का २ दिन के लिये आना जाना होगा वह बच सकता है ।

श्री अध्यक्ष—उस विषय में आप नेता सदन से बातचीत कर लें ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—अध्यक्ष महोदय, मैं नेता सदन से निवेदन करूंगा कि जो हमारे पड़ोस के रहने वाले हैं उनको मालूम है कि पश्चिमी जिलों में होली दस-दस दिन होती है। इसलिये मेरी नेता सदन से प्रार्थना है कि २४ के बाद जो दो दिन का समय है वह भी होली की छुट्टी में मिला दें, इस से हमारा त्योहार बढ़ जायगा ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं, कमरे में जाकर उनसे बात कर लें ।

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६० के निरनुमोदनार्थ संकल्प (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—श्री भुवनेषभूषण बोल रहे थे, वह हैं नहीं इसलिये अब श्री गोविन्द सिंह बिष्ट चाहें तो बोलें ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, मुझे इस सम्बन्ध में बहुत थोड़ा ही कहना है, पहले ही करीब-करीब सब कुछ कह चुका था । दिक्कत यह है कि इस पर प्रकाश कहीं से नहीं पड़ा । जो मैंने कहा था इस आदरणीय सदन में उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा गया । कांग्रेस पार्टी की तरफ से और विरोधी दल की तरफ से किसी ने भी मेरी बात की मुखालफत नहीं की और सभी ने मेरा समर्थन किया है । इसके माने यह हैं कि मैंने जो कारण बताये कि जिस वजह से यह आर्डिनेन्स लाया गया वह कारण यह सरकार स्वीकार करती है, मुख्य कारण यह बताया था कि अव्वल तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसका अध्यक्ष रहे । नम्बर २ इस बिल में यह कहा गया है कि अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति होगा लेकिन विशिष्ट बात इस बिल में यह है कि आइन्दा जिलाधीश इन कमेटियों का अध्यक्ष न रहेगा, अब तक जिलाधीश होता था तो एम० पीज, एम० एल० एज उसके मातहत बैठ सकते थे लेकिन अब अगर निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष होगा तो जिलाधीश के लिये जैसे तौहीन की बात समझी गई है कि वह निर्वाचित लोगों के अन्डर में उस कमेटी में बैठे ।

(इस समय १ बजकर २९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुये ।)

तीसरे उसमें यह है कि डिसक्वालिफिकेशन की बात मैंने अर्ज की थी कि जैसे कोई कोढ़ी, दिवालिया या पागल हो या जो इन अन्तरिम जिला परिषदों में, विधान सभा में या संसद के लिये डिसक्वालिफाई होते हैं, वह भाग नहीं ले सकते । इस वास्ते इस बिल में यह व्यवस्था की गयी है, इन्हीं बातों पर मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा ।

माननीय मुख्य मन्त्री जी हमारे सौभाग्य से इस समय विराजमान हैं और श्री कैलाश प्रकाश जी भी हैं, पिछली बार वह नहीं थे, मैं उनके सामने यह बातें स्पष्ट करना चाहता हूं । इस अध्यादेश के द्वारा यह कहा गया है कि हम लोगों की डिमांड पर जनता द्वारा निर्वाचित यानी गैर-सरकारी सदस्यों को सरकार आइन्दा अध्यक्ष रखना चाहती है । उन्होंने कहा है

---

†१६ फरवरी, १९६१ की कार्यवाही से ।

[श्री गोविन्द सिंह विष्ट]

कि जो सरकारी अध्यक्ष आदमी होता रहा है जिलाधीश, उसको हम नहीं चाहते कि वह जिला अन्तरिम परिषद् का सभापति रहे। इसकी धाराओं में जो संशोधन दिया गया है उसी....

श्री अधिष्ठाता—माननीय विष्ट जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो बहस आप इस समय कर रहे हैं वह आपको उस समय करनी चाहिये जब माननीय मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि इस बिल पर विचार किया जाय। उस समय इन सारे तर्कों को आप पेश करते तो ज्यादा अच्छा होता। इस वक्त तो....

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—ज्यादा अच्छा तो....

श्री अधिष्ठाता—इस वक्त मैं बोल रहा हूं, आप कृपया बैठिये। इस वक्त तो आपका यह प्रस्ताव है कि यह सदन उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६० का निरनुमोदन करता है। इस पर वाद-विवाद हो चुका है, केवल आप उन बातों का उत्तर दें जिनको कि माननीय सदस्यों ने विरोध में कहा है और बिल की मैरिट्स के बारे में उस समय कहें जबकि वह बिल पेश हो तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है,लेकिन कोई झगड़ने की बात नहीं आती—जहां तक नियमों का सवाल है, नियम में ऐसा कहीं भी नहीं है कि अध्यादेश के मेरिट में नहीं कहा जा सकता है। यह पहली बार....

श्री अधिष्ठाता—वह तो आपको पहली बार कह देना चाहिये था जिस वक्त इस प्रस्ताव को पेश किया गया था.....

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—उस समय सब को जाने की जल्दी थी इसलिये जल्दी जल्दी संक्षेप में कहा। तो मैं उसमें ज्यादा नहीं कहूंगा.....

श्री अधिष्ठाता—यह तो मामूली सी बात है कि जब कोई माननीय सदस्य किसी प्रस्ताव पर उत्तर देने के लिये खड़ा होता है तो कोई नई बात तो कहता नहीं है। वह तो उन्हीं बातों का उत्तर देता है जो प्रस्ताव के विपरीत कही गई हों। तो इस समय तो उन्हीं बातों का खण्डन करना चाहिये जोकि आपके प्रस्ताव के विपरीत कही गयी हैं। फिर, आपको तो अवसर है, बिल पर कहियेगा जब बिल पेश हो।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि अगर मेरे बाद दूसरों को मौका दें, श्री जरगाम हैदर वगैरह बोलना चाहते हैं—तो मैं खत्म कर दूं।

श्री अधिष्ठाता—अब कैसे मौका दे दें?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—तो श्रीमन, मैं निवेदन कर दूं। यह जो अध्यादेश लाया गया है इसकी कोई अर्जेन्सी नहीं थी। इस माने में नहीं थी क्योंकि यह आदरणीय सदन इससे पहले अक्तूबर में बैठा हुआ था। सितम्बर, अक्तूबर में बार-बार बैठा था और दिसम्बर में एक तारीख लगी थी। अगर अर्जेंसी होती तो उधर के बैठने वाले जिनके हाथों में इस शासन की बागडोर है इसका बिल ले आये होते। बड़े दुःख और अफसोस की बात है कि आज इसमें अप्रजातांत्रिक तरीके से जो लोग इस अध्यादेश के द्वारा लाये जा रहे हैं वह इसलिये लाये जा रहे हैं कि जिला परिषदों का चुनाव न हो।

सन् ४८ में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव हुये थे और फिर ५२ में ड्यू हो गये। सन् ५२ से ५८ तक न तो सरकार कोई बिल लाई और न सरकार ने कोई कोशिश इस बात की की कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव हों। सन् ४८ में जो चुनाव हुये थे, श्रीमन को याद होगा

उस समय अंग्रेजों ने एक लिमिटेड फ्रेन्चाइज रखा था, बालिग मताधिकार सन् ४८ में नहीं था। अंग्रेज सरकार थी और १९२२ का ऐक्ट बना था जिसके अनुसार वह चुनाव हुये थे। एक लिमिटेड वोटिंग द्वारा, संकुचित फ्रैंचाइज द्वारा पुराने इलेक्शन हुये। उसी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर और प्रेसीडेंट थे। श्रीमन को याद होगा, परतन्त्रता से हमारा जो देश है उसकी मुक्ति हुई थी। उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रमुख हाथ था लिहाजा लोगों ने कांग्रेस को जिताया। उसके बाद १९५२ का चुनाव हुआ नहीं लेकिन दूसरी तरफ हमारा संविधान १९५० में आ गया। उसके बाद १९५२ में आम चुनाव हुआ जिसमें बालिग मताधिकार द्वारा एम० एल० एज, एम० पीज चुने गये और १९५७ में फिर चुनाव आम हुआ, सिर्फ इसलिये कि जो १९५२ में चुने गये थे वे फिर ५ साल बाद जनता के बीच में जा कर विश्वास प्राप्त करें। तो क्या वजह है कि सन १९४८ में लिमिटेड फ्रेंचाइज द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में लोग चुने गये थे वही आज तक कायम रहें? इस अध्यादेश के द्वारा क्या किया जा रहा है कि यह लोग तब तक बने रहें जब तक जिला अन्तरिम परिषद् बिल न आये। पहले तो नियोजन समिति में उनके २ प्रतिनिधि थे और जिला अन्तरिम परिषद् द्वारा ५ प्रतिनिधि और लिये गये.....

श्री अधिष्ठाता—माननीय गोविन्द सिंह जी, लोग सुन नहीं रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—श्रीमन्, ऐसी बात नहीं है। आज सदन में कुछ ऐसा हो गया जिसे जब्त रख गये, आज तो हम लोगों ने खून की घूंट पी डाली, चेयर की इज्जत रख कर। जनतन्त्र की पद्धति हम लोग मानते हैं, उसके कायल हैं वरना और जगह क्या का क्या न हो जाता।

तो मैं कह रहा था कि लिमिटेड फ्रेंचाइज द्वारा चुने हुये लोग आज भी कायम हैं, उनके ७ प्रतिनिधि और ८ वां वाइस-चेयरमैन होने के नाते अन्तरिम जिला परिषद् में घुसे हुये हैं। इसलिये मेरा चार्ज है कि यह लोग जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं....

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—१ से २ बजे तक कोरम का सवाल नहीं उठता ऐसा कनवेंशन है, क्योंकि अभी नियम में यह है कि कोरम का अगर प्रश्न उठाया जायगा तब कोरम रखा जायगा नहीं तो हाउस बन्द हो जाय.....

श्री प्रताप सिंह—अगर आप कहते हैं कि कोरम की जरूरत नहीं है तो आप बैठें, माननीय गोविन्द सिंह विष्ट जी बैठें और माननीय कैलाश प्रकाश जी बैठें, हम लोग चले।

श्री अधिष्ठाता—जब नियम बन रहे थे उस समय यह तय हुआ था, एक कनवेंशन हो गया था कि १ से २ बजे के बीच में कोरम की व्यवस्था नहीं रहेगी, बहस जारी रहेगी। लेकिन अगर आप इनसिस्ट करेंगे कोरम होना चाहिये, उस कनवेंशन को ब्रेक करेंगे तो हम को घंटी बजानी पड़ेगी।

श्री प्रतापसिंह—जी हां, मैं इनसिस्ट करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अगर कोई कोरम का प्रश्न उठायेगा तो कोरम पूरा कराया जाय।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजाई गई)

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, ३ मिनट से ज्यादा हो गये हैं लेकिन कोरम पूरा नहीं हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—जो नियम है उसके अनुसार घन्टी बजेगी। इसके बाद अगर कोरम नहीं होगा तो फिर विचार किया जायगा।

(थोड़ी देर तक घंटी बजती रहने के उपरान्त)

श्री प्रतापसिंह—मेरी राय में कोरम पूरा नहीं हुआ। अब हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता—ठीक है। मैं देख रहा हूं कि कोरम पूरा नहीं हुआ है। इसलिये २ बजे तक हाउस को मैं सस्पेंड करता हूं। दो बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन गणपूर्ति न होने के कारण १ बजकर ४१ मिनट पर स्थगित हुआ और फिर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त की अध्यक्षता में २ बजकर १ मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता—माननीय गोविन्दसिंह विष्ट अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जो एतराज तब उठाया गया था वह पूरा हो गया क्या?

श्री अधिष्ठाता—कोरम पूरा है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस अध्यादेश को लाने की कोई अर्जेन्सी नहीं थी। वह इसलिये नहीं थी कि.....

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—श्रीमन्, अभी कोरम पूरा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—कोरम पूरा है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—गिन लीजिये, ४३ होने चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—(गणना करने के पश्चात) कोरम पूरा है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—अब पूरा हुआ है, पहले जब आपने कहा था तब पूरा नहीं था। श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि इसकी अर्जेन्सी का एक कारण यह कहा गया कि लोगों की ये मांग थी कि जिला अन्तरिम परिषदों के एलेक्टेड प्रेसिडेंट्स हों इसलिये हम जनता की बात मानने के लिये और प्रजातन्त्र के सिद्धान्त को ऊंचा करने के लिये एलेक्टेड प्रेसीडेन्ट ला रहे हैं। दूसरे उनका कहना था कि १९६० में जो जिला अन्तरिम परिषद् बने हुये थे उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था और उसे कम से कम जून, १९६१ तक बढ़ाना जरूरी था इसलिये हम इस अध्यादेश को लाये। इन दो कारणों पर अगर हम दृष्टिपात करें तो जहां तक.....

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आप ने व्यवस्था दी थी कि जो एक बार कहा जा चुका हो वह दोहराया न जाय। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह रेपीटीशन है। यह समय का दुरुपयोग हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय गोविन्दसिंह जी, माननीय अवस्थी जी बात तो ठीक ही कह रहे हैं। जरा समय का ध्यान रखें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, समय का ध्यान तो है लेकिन एक बात जैसे ही कहता हूं वैसे ही फिर कोरम खत्म हो जाता है। उसी तारतम्य को जोड़ने के लिये मैं कह रहा था, और वैसे माननीय अवस्थी जी की विद्वता को हम नहीं पहुंच सकते हैं। वह कभी बोलते नहीं, साल में एक आध मर्तबा बड़ी मुश्किल से उठते हैं। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन को रेलीवेंसी इर्रेलेवेंसी का पता भी बहुत रहता है। वह अपनी सीख अपने नेता जी से भी कहने

की कृपा करें। श्रीमन, अगर कोई कांच के घर में रहता हो तो उसे किसी के ऊपर ईंटा नहीं फेंकना चाहिये। मैं निवेदन कर रहा था कि अर्जेन्सी का प्वाइन्ट यह कहा गया कि इनको मियाद १९६० में खत्म होने वाली थी और १९६१ तक इनको चलाना है। मैं कहता हूं कि क्यों नहीं पुराने जिला बोर्डों का एलेक्शन कराया गया। मेरे कहने का निचोड़ यह है कि जिला बोर्डों का चुनाव जो १९५२ में हो जाना चाहिये था वह अभी तक नहीं हो सका। ऐसा विरोधी दलों के कारण नहीं हुआ बल्कि जो उधर के बैठने वाले हैं, जिनका बहुमत है उन्हीं की सरकार उस समय थी और १९५७ में भी थी और आज भी है तो यह कहना कि परिषदों की मियाद खत्म हो रही थी और इनको चलाना जरूरी था, यह बात ठीक नहीं मालूम होती है।

श्रीमन्, १४ फरवरी, १९५८ को बिल आया था, और उस समय हमसे यह कहा गया था कि यदि आप लोग इसको फौरन पास कर दें और यहां तक कहा गया था यदि आप इस को पांच मिनट में पास कर दें तो हम (यानी सरकार) फौरन चुनाव करा देंगे। लेकिन फिर चुनाव नहीं हुआ। इसके बाद दुबारा जब अन्तरिम जिला परिषद् का अध्यादेश आया उस समय भी यही कहा गया था कि फौरन चुनाव करा देंगे। लेकिन फिर एक अड़चन बताई गई थी, कि पुराना, जो जिला बोर्डों का बिल है, उसमें लिमिटेड फ्रेंचाइज है और अब हम सब को फ्रेंचाइज दे रहे हैं तो इसके लिये एक बड़े संशोधन की जरूरत होगी और एक बड़ा व्यापक बिल लाने की जरूरत है, यह भी कहा गया था कि वह बिल फौरन ला रहे हैं। गोया इस बिल को लाने की बात १९५२ से बराबर कही जा रही है। जब-जब विरोधी दल की तरफ से या अखबारों की तरफ से मांग की गई तो सरकारी पक्ष से यही कहा गया कि हम शीघ्र ही एक व्यापक बिल ला रहे हैं। इसमें श्रीमन्, इतनी शीघ्रता की गई कि पांच साल से ज्यादा हो गये और जनता द्वारा चुने गये लेजिस्लेचर के सदस्यों को तो बदल दिया गया लेकिन बिल नहीं आया। जब रात दिन हमने उलाहना दिया, कहा, तो १९६० में यह बिल लाया गया जो अभी तक पास नहीं हो सका है।

इस तरीके से पुराने बोर्डों को बराबर चलाया गया और उनके कांग्रेस के ही लोगों को अन्तरिम जिला परिषद् में रखा गया है और आज अपनी इस चाल को जनतन्त्र का जामा पहनाया जा रहा है। पुराने बोर्डों से ही ७–८ आदमियों को इन में रखा गया है, जो इस तरह से छांटे गये, इनके ही द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्शन से लोग आये तो उनका ही इनमें बहुमत है। इस देश में कैसे जनतन्त्र फैलेगा जब शासक दल की यह कोशिश हो कि हर तरह से सत्ता अपने हाथ में ही रहे और कोई दल पनप न सके। अगर मैं अन्तरिम जिला परिषद् को कांग्रेस कमेटियां कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी मौजूदा बिल इनके चलाने के लिये एक चालमात्र है। अगर मन्त्री जी को जनतन्त्र का खयाल है तो फौरन मार्च, अप्रैल में चुनाव करा दें.....

श्री अधिष्ठाता—आप बहुत विस्तार के साथ जा रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मैं तो अर्जेंसी पर ही जा रहा हूं.....

श्री अधिष्ठाता—मुझे डर है कि आपका समय समाप्त हो जायगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, और कोई बोल नहीं रहा है।

श्री अधिष्ठाता—किसी के बोलने का सवाल नहीं है। आप आखिर में जवाब दे रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय भट्ट जी कह रहे हैं कि मुझे यह कैसे मालूम है कि और कोई बोलने वाला नहीं है। चेयरमैन ने यह कहा था कि कोई बोलने वाला तो नहीं है तो कोई खड़ा नहीं हुआ था। अगर वह उस समय विराजमान होते तो यह नहीं कहते, अजसी इस तरीके से नहीं रही।

[श्री गोविन्द सिंह विष्ट]

दूसरे यह कहा गया कि हम प्रजातांत्रिक पद्धति को अपना रहे हैं, एक गैर-सरकारी व्यक्ति को अध्यक्ष बना रहे हैं। वह भी गलत है। वह कोई स्वतन्त्र व्यक्ति नहीं आ सकेगा क्योंकि लोगों ने ऐसी मैनोवरिंग की है कि परिषद् रूपी जिला कांग्रेस कमेटी बनी रहे, उनका आदमी आ जाय, वही अध्यक्ष हो जाय। रूढ़िवादी बिल को उन्होंने प्रजातन्त्र का जामा पहना दिया है।

नम्बर तीन, यह जो अध्यक्ष कांग्रेस का व्यक्ति होगा उसको भी इस योग्य नहीं समझा गया कि जिलाधीश उसके मातहत रहे क्योंकि जिला अन्तरिम परिषद् के सदस्य विधायक भी हैं और उनमें ऐसे भी एम० पीज हैं जो १२, १२ एम० एल० एज की सीटों पर हैं, जो १५, २० लाख जनता द्वारा छांटे गये हैं, आजतक उनका जिलाधीश की सदारत में बैठना ठीक था लेकिन आज अगर गैर-सरकारी सदस्य चेयरमैन हो जाय तो जिलाधीश उसमें नहीं बैठ सकता है। ऐसी इसमें व्यवस्था की गई है। इससे ज्यादा तौहीन छांटे हुये व्यक्ति की क्या हो सकती है? एक डिसक्वालिफिकेशन रखी गई है। जैसे प्रत्याशी के लिए डिसक्वालिफिकेशंस होती हैं, कोई ल्युनेटिक हो, कोढ़ी हो, तो वह किसी चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। इस विधेयक में यह है कि अगर कोई व्यक्ति एम० पी०, एम० एल० ए० या एम० एल० सी० है ..ो जैसे उसे कोढ़ लग गया हो, फिर वह प्रेसीडेंट नहीं हो सकता है। ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था मन्त्री जी करने जा रहे हैं।

मैं ज्यादा न कह कर इतना जरूर कहूंगा उधर बैठने वालों से, कि उनके हाथ में बहुमत है, कम से कम ऐसी गलती को ठीक करने की कृपा करें। जहां तक निरनुमोदन का सवाल है मेरी बात का चूंकि कांग्रेस वालों ने भी विरोध नहीं किया है, इसके अर्थ हैं कि वह सबके सब मेरे सिद्धांत को मानते हैं। कम से कम उन्हें हिम्मत के साथ अपने दिल के साथ हाथ भी उठा देना चाहिये और इसका निरनुमोदन करना चाहिये।

*स्वायत शासन मन्त्री (श्री कैलाश प्रकाश)---अधिष्ठाता महोदय, मुझे इसमें कुछ अधिक नहीं कहना है क्योंकि श्री गोविन्द सिंह जी ने उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति की है जो पहले कही जा चुकी हैं। मैं इस अध्यादेश के जारी करने के कारण बता चुका हूं।

मुझे केवल एक बात अर्ज करनी है जो पहले नहीं कही गयी थी। यह आशंका प्रगट की गयी कि इस अध्यादेश द्वारा प्रजातन्त्र का जामा पहनाया जा रहा है, अध्यक्ष का हम चुनाव करा रहे हैं और वह भी विशेष कर इस लिये कि जनवरी में पंचायतों के चुनाव हुए हैं। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यह जो पंचायतों के चुनाव हुए, जिनकी नामजदगी दिसम्बर, में हुई और चुनाव जनवरी में हुए हैं, वह बहुत पहले नियत हो चुका था, जिसके नियत करने में दिसम्बर के इस अध्यादेश से कोई सम्बन्ध नहीं है। दिसम्बर में जब यह बात देखी गई कि अन्तरिम जिला परिषद् का कार्य-काल समाप्त हो रहा है, चुनाव नहीं हो पाये हैं परिषदों के तो मैं नहीं समझता कि मेरे मित्र इस बात को चाहते रहते कि इन अन्तरिम जिला परिषदों को समाप्त कर दिया जाय और वहां एक तरीके से अभाव पैदा हो जाय। .... (व्यवधान) .... जी, यह मैं पिछली दफा बता चुका हूं और फिर इस बात को बता देना चाहता हूं कि चुनाव की जिम्मेदारी---इसमें कोई सन्देह नहीं कि कहा गया था कि मार्च-अप्रैल में चुनाव करा दिये जायंगे किन्तु जब इस माननीय सदन से क्षेत्र समिति और जिला परिषद् का विधेयक दूसरे सदन में गया तो दूसरे सदन में जिस समय उस पर विचार हो रहा था उस समय लखनऊ में बाढ़ आई। मैं नहीं जाना चाहता उन बातों में लेकिन उस माननीय सदन ने यह कहा कि हम काम नहीं कर सकेंगे, सदन स्थगित होना चाहिये। स्वशासन मन्त्री जी ने उसी समय सदन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के सामने यह नम्र निवेदन किया था कि सदन खुद मुख्तार है, उत्तरदायी है और उन्होंने यह कहा था कि सदन को बैठना चाहिये, किन्तु यदि सदन नहीं बैठता है क्योंकि वह खुद मुख्तार है तो मैंने जो बात कही है चुनाव कराने की वह चुनाव नहीं हो सकेंगे। उस समय माननीय सदन ने यह मुनासिब समझा कि चुनाव हो या न हो उस वक्त में वह उठ गये। यह स्थिति हुई और इस स्थिति के होने पर अध्यादेश का जारी करना जरूरी था। यह भ्रम जो बार-बार मेरे दोस्त श्री विष्ट जी अक्सर फैलाते हैं कि वह वहां जिला कांग्रेस कमेटी बनाई जा रही है तो अब इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगर आम लोगों का विश्वास, जनता का विश्वास कांग्रेस में है तो जो कोई भी चुनाव होगा उसमें कांग्रेस के ही प्रतिनिधि आयेंगे। (व्यवधान) जी नहीं, जब आप मेरिट्स पर आयेंगे, क्योंकि अधिष्ठाता महोदय का कहना है कि बिल के मेरिट्स पर इस वक्त ज्यादा चर्चा न की जाय, इसलिये इस वक्त मैं उसमें नहीं जाऊंगा लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस अन्तरिम परिषद् के विधान को माननीय दोस्त देखेंगे तो उसमें बहुत नामजदगी नहीं है। उसमें काफी तादाद में चुना हुआ एलीमेंट है। (व्यवधान) ४८ के चुने हुए नहीं, नये चुने हुए ह। ४८ के चुने हुए कहे जा सकते हैं तो केवल ७ और तादाद कितनी है आपको मालूम है?

श्री अधिष्ठाता—माननीय गोविन्द सिंह, जरा आप बातचीत न करें।

श्री कैलाश प्रकाश—मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। किन्तु यह चीज अपनी जगह सही नहीं है और इसी वजह से जो यह अध्यक्ष का चुनाव है, हमने यह मुनासिब समझा कि जो पंचायतों के प्रधान अब नये चुने गये हैं, उनके द्वारा जो अन्तरिम परिषद् के सदस्य चुने जाते हैं, वह इन नये प्रधानों द्वारा चुने जायं और तब उनका चुनाव हो। श्रीमन्, यह इसलिये किया गया कि जिससे नया चुना हुआ एलीमेंट अधिक से अधिक हो। मैं इस बात को तो समझ सकता था यदि मेरे दोस्त इस बात को कहते कि नहीं आपने यह एक प्रतिक्रियावादी कदम उठाया है कि कलेक्टर को सभापति न रखकर आप एक चुने हुए अध्यक्ष को रखना चाहते हैं, वह बात तो मेरी समझ में आ सकती थी, राय हो सकती है किसी की। लेकिन यह बात तो कही नहीं जा सकती। बात सदा यह कही गई कि कलेक्टर को अध्यक्ष रख कर सरकार अपने हाथ में सारी चीजों को रखना चाहती है और अब कलेक्टर को हटाकर उसकी जगह चुने हुए अध्यक्ष को रखवाने के लिये अध्यादेश में शीघ्र से शीघ्र कोशिश हम कर देते हैं और प्राविधान उसका कर देते हैं तब भी इस बात पर एतराज होता है तो यह बात कम से कम मेरी समझ में नहीं आती। खैर, मैंने प्रारम्भ में जैसे कहा था कि कोई विशेष बात इस समय कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। इसकी जितनी चीजें हैं वह विधेयक के द्वारा माननीय सदन के सामने आ जायेंगी और उनकी मैरिट और डिमैरिट पर तब माननीय सदन विचार करेगा। उस समय उस सम्बन्ध में जो कुछ मुझे कहना होगा कहूंगा। आज केवल इतनी बात थी कि इस अध्यादेश को जारी करने की आवश्यकता थी और आवश्यकता यह थी कि अन्तरिम जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। जब उसके लिये अध्यादेश निकालना ही था तो इस बात का भी लाभ उठाया गया कि साथ ही नान-आफिशियल अध्यक्ष का चुनने का भी प्राविधान कर दिया जाय। यह बात सही है कि अध्यादेश इस वजह से जारी नहीं किया गया कि नान-आफिशियल चेयरमैन कर दिया जाय, अध्यादेश इस वजह से जारी किया गया कि उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था और उसके साथ यह भी काम कर दिया गया। मैं समझता हूं मेरे दोस्त इस बात से सहमत होंगे और उन्हें इस बात की आवश्यकता अवश्य महसूस हो जायगी कि यह अध्यादेश जारी करना जरूरी था और इसका जारी रहना भी आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६० का निरनुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ के निरनुमोदनार्थ संकल्प

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प उपस्थित करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टैम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ का निरनुमोदन करता है।

श्रीमन्, इस कंट्रोल आफ सप्लाईज टैम्पोरेरी पावर्स संशोधन अध्यादेश, के सम्बन्ध में कुछ थोड़ी-सी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह अध्यादेश भी उसी क्रम में जारी किया गया था जिस क्रम में दूसरे अध्यादेश जारी किये गये थे। इसकी आवश्यकता जो बतलाई गई वह यह बतलाई गई कि उस ऐक्ट की अवधि २५ जनवरी, १९६१ को समाप्त होने वाली थी और इस ऐक्ट के मुताबिक सरकार को टैम्पोरेरी पावर्स सप्लाई के सम्बन्ध में लेने की आवश्यकता दिखाई पड़ी इस वजह से इसको निकाला गया। यह ऐक्ट सन् १९५३ में पास किया गया था जब कि पहिले जो कि यू० पी० कंट्रोल सप्लाई टैम्पोरेरी पावर्स सन् १९४७ में सदन के सामने आया था। इस टैम्पोरेरी पावर्स ऐक्ट के अन्तर्गत सरकार ने कुछ चीजों पर कंट्रोल करने के लिये अधिकार अपने हाथ में लिया जिसमें ईंटा और जलाने वाली लकड़ी वगैरह हैं।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं कि आज ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे सामने हाउस में इन आवश्यक वस्तुओं के बारे में जो कमी हो गई है, एक लम्बा वक्तव्य दिया। यह हमको बतलाया गया कि यह कमी इन चीजों की हुई जिनका कंट्रोल यह सरकार सन् ४७ से अपने हाथ में लिये हुए है। सरकार की तरफ से कमी का कारण भी बतलाया गया और जो कदम उसके लिये उठाये गये हैं वह भी बतलाये गये और उसके सम्बन्ध में हाउस में कुछ प्रश्न आदि भी हुए हैं., लेकिन मैं आपके द्वारा यह समस्या सदन के सामने रखना चाहता हूं कि सरकार इन आवयश्क वस्तुओं के लिये जो दैनिक जीवन के लिये आवश्यक हैं, सप्लाई करने के लिये पावर अपने हाथ में लिये हुए हैं। सन् १९४७ से आज सन् १९६१ तक १४ साल हो चुके हैं और सरकार यह कदम टैम्पोरेरी समझती है तो इसी प्रकार से यह चलता जायगा और टैम्पोरेरी स्थिति यहां पर बनी रहेगी। सरकार इसकी व्यवस्था नहीं कर पायेगी। आज सरकार की तरफ से इन आवश्यक वस्तुओं का नियन्त्रण रखना कठिन हो गया है और सरकार अपनी असमर्थता दिखा रही है। सरकार ने जितने अधिकार अपने हाथ में लिये इस ऐक्ट के अन्तर्गत लिये उन अधिकारों को किसी प्रकार से निभाने में यह सरकार असमर्थ हुई है। इस टैम्पोरेरी पावर्स ऐक्ट के अन्तर्गत जिन अधिकारों को सरकार ने अपने हाथ में लिया है उनमें से एक दो अधिकार मैं पढ़कर सदन को सुनाये देता हूं कि सरकार के पास इस सम्बन्ध में अधिकार थे और वह उनका प्रयोग नहीं कर रही है।

"The State Government so far as it appears to it to be necessary or expedient to control any essential commodity, may, by notified order provide" :

इसमें आगे दिया हुआ है— "for regulating by licences, permits or otherwise the storage, transport, distribution, disposal, production, acquisition, use, consumption or manufacture or any essential commodity"

मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि सरकार के पास इस बात के अधिकार हैं कि कैसे वह ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को व्यवस्थित करे, स्टोरेज कैसे करे और इसके (एफ०) में सरकार को एक विशेष अधिकार दिया गया है जिसमें लिखा है कि:

"(*f*) for collecting any information or statistics with a view to regulating or prohibiting any of the aforesaid matter".

मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार की मुख्य तौर पर यह जिम्मेदारी थी कि जो कमियां हैं और जो बराबर चली आ रही हैं उस सम्बन्ध में वह हर प्रकार की इत्तला इकट्ठा करे और यह सरकार का परम कर्त्तव्य रहा और यह अधिकार १४ साल पहले प्राप्त होने पर भी, सरकार को पूरी इत्तला कुछ कमियों के बारे में नहीं थी यह हमें आज सुनने को मिला। अगर सरकार के पास पूरी इत्तला होती तो वह पहले से ही एहतिहाती कार्यवाही कुछ न कुछ करती। forewarned is forearmed यदि पहले से इत्तला होती है तो आदमी पहले से सचेत रहता है। सरकार चूंकि फोर वार्न्ड नहीं थी इसलिये फोर आर्म्ड नहीं थी। मैं इस सम्बन्ध में कानपुर की परिस्थिति कुछ बयान करना चाहूंगा। इसमें लिखा है कि २४ मिलों और फैक्टरियां वहां बन्द होने की स्थिति में हैं और न केवल यह बल्कि हजारों आदमी इन कोयले की दुकानों पर अपना बोरा बिस्तर लिये हुए खड़े हैं और वहां के जिलाधीश ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था न सम्हाल सकने के कारण दिल्ली गये हुए हैं यह आशा लेकर कि वहां से इस स्थिति का निराकरण हो सकेगा। हमारे सामने सरकार की यह दयनीय स्थिति है कि हम इस ऐक्ट को आर्डिनेंस द्वारा पास करते हैं, यानी विशेष उपायों द्वारा पास कराते हैं। सरकार ने २५ जनवरी को जब इसकी अवधि समाप्त हो गयी थी तो इसे क्यों नहीं विधान सभा के सामने रखा। जो इस सम्बन्ध में कहा गया है उसे मैं दोहराना नहीं चाहता, किन्तु सरकार ने सदन की बैठक नहीं बुला कर उसे टाला और इस प्रकार जो सदन का अपमान किया है और उसके पश्चात् इस प्रकार से आर्डिनेन्स पास किये, यह सब बातें कई बार हो चुकी हैं। किन्तु इसके साथ एक मौलिक बात और भी है। इस जलाने वाली लकड़ी और ईंटों से सम्बन्धित जो लोग हैं, जिनकी तादाद करोड़ों में है—शायद एक भी ऐसा पुरुष न होगा जिसका इस से सम्बन्ध न हो—ऐसे तमाम व्यक्तियों की आवश्यकता की वस्तु जो देने में जो सरकार असमर्थ रही है, असमर्थ साबित हुई है वह कैसे जान पायेंगे कि सरकार में इस प्रकार का परिवर्तन हो गया है, एक मंत्रिमण्डल के स्थान पर दूसरा आ गया है यह कोई कारण नहीं होता कि एक मंत्रिमण्डल गया दूसरा आया, इसलिये देरी हुई सदन के बुलाने में। कोई भी सरकार आती, वह यह न कहती, उसको यह कहने का अधिकार न होता कि साहब हम सरकार का बदलाव कर रहे थे, इसलिये जलाऊ लकड़ी का इन्तजाम न कर सके। आज जनता को उसकी जरूरत की चीजें न मिलने के कारण बहुत परेशानी है और उसकी दशा बड़ी दयनीय होती जा रही है। आज जनता को लकड़ी और कोयला जैसी वस्तुयें न मिलने के कारण उनके घरों में भोजन तक नहीं पक रहा है ....

श्री अधिष्ठाता—अब कुछ दूसरी बात भी आगे कहिये ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, आज जनता पकी हुई रोटी नहीं खा पा रही है। इससे गम्भीर बात और क्या हो सकती है।

कारखानों की बात आप जानते ही हैं, आज वे बन्द पड़े हुए हैं। चल नहीं रहे हैं। यह सरकार के लिये बड़े ही कलंक की बात है कि वह आज जनता के लिये उसका प्रबन्ध नहीं कर पा रही है। इससे ज्यादा किसी भी सरकार के लिये असफलता की और क्या बात हो सकती है। इसलिये हम इस अध्यादेश का विरोध करते हैं। यह अध्यादेश मनमानी के कानून हैं। अच्छा तो यही होता कि हमारे संविधान में संशोधन लाकर इन अधिकारों को ही समाप्त कर दिया गया होता। आज इस बात की जरूरत है कि इन अधिकारों को समाप्त कर दिया जाय। आज इन अध्यादेशों का कोई महत्व नहीं रह गया है और संविधान में संशोधन लाने की आवश्यकता पैदा हो गयी है। इन अध्यादेशों के बल पर हमारे अधिकारों पर कुठाराघात किया जाता है। आज इन अध्यादेशों का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये मैं इस हाउस से निवेदन करूंगा कि वह हमारे निरनुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करे। इन अध्यादेशों के द्वारा आज सरकार अपने अधिकारों को फिर बढ़ाने की कोशिश कर रही है जो सर्वथा गलत है। आज जनता को उसकी जरूरत की चीजें मिलनी चाहिये। इन अध्यादेशों

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

से हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस अध्यादेश को वापस ले ले। इन शब्दों के साथ मैं अपने इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन निरनुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करेगा।

*श्री सैयद जरगाम हैदर (जिला बहराइच)---इस वक्त जो इस आर्डिनेन्स के डिसएप्रूवल का रेजोल्यूशन हाउस के सामने है, उसमें दो बातें खास तौर पर काबिले गौर हैं। इससे पहले भी जिस आर्डिनेन्स पर बहस हो रही थी, उसकी वजह यह बतायी गयी कि चूंकि उसकी मुद्दत खत्म हो रही थी और अगर एक आर्डिनेन्स के जरिये उस कानून की मुद्दत न बढ़ायी जाती तो वह कानून खत्म हो जाता और उसकी वजह से कोई बड़ी और सख्त अहम बात उत्तर प्रदेश में पैदा हो जाती।

इस सदन में पहली बार नहीं है जब किसी आर्डिनेन्स के डिसऐप्रूवल का प्रस्ताव आया हो और कई बार इस सदन के सामने गवर्नर की आर्डिनेन्स प्रोमुलगेट करने की पावर और उसी के साथ-साथ किन हालत में आर्डिनेन्स जारी होने चाहिये, उस पर बराबर बहस हो चुकी है। इस वक्त जो आर्डिनेन्स हमारे सामने आया है, उसमें एक और नयी बात यह पैदा हो गयी कि इस हाउस को या कौंसिल को आसानी के साथ बुलाया जा सकता था और नहीं बुलाया गया। इस मसले पर भी इस सदन में काफी चर्चा हो चुकी है, इसलिये उसे मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन श्रीमन् की इजाजत से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आर्डिनेन्स जारी करने की परिस्थिति खुद सरकार ने पैदा की और वह लोग जो उस तरफ बैठने वाले हैं जिनको जरा भी कानून की वाकिफयत है वह जानते हैं कि जुरिस्प्रुडेंस में यह बात कही जाती है कि ,"No one can take advantage of his own fraud" अब इस तरीके से इस कांस्टीट्यूशन के साथ जिसके ऊपर वफादार रहने की, अमल करने की जब हम इस सदन में आते हैं तो सबसे पहले कसम खाते हैं, हम रोजाना आर्डिनेन्स जारी करके उस कांस्टीट्यूशन की बुनियाद की, स्प्रिट की मुखालिफत करते हैं। यह कहां तक मुनासिब है कि हम असेम्बली के सेशन को न बुलायें, खुद कानून की मियाद पूरी होने दें और फिर यह कहें कि चूंकि मियाद पूरी हो रही है इसलिये हमने आर्डिनेन्स जारी कर दिया।

मान्यवर को मालूम होगा कि rule by Ordinance एक एक्सेप्शन है। यह सही है कि कानून में आर्डिनेन्स की पावर इसीलिये दी जाती है कि कभी-कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जब फौरन कानून बनाना जरूरी है और चूंकि हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन बाई ला होता है इसलिये मजबूरी है कि हम आर्डिनेन्स बनायें, जो कुछ भी काम करें वह आईने के मुताबिक करें, लेकिन जो एक्स्ट्राआर्डिनरी पावर्स हैं वह एक्सेप्शन्स हैं और आर्डिनरी पावर्स रूल हैं, इससे उधर बैठने वाले भी इख्तलाफ नहीं करेंगे।

अब आर्डिनेंस ईश्यू कर दिया। वह किस मकसद से कर दिया ? इस वक्त जो हमारे सामने है वह यह है कि टेम्पोरेरी पावर्स १९४७ में लिये गये। उस वक्त क्या हालात थे ? तमाम चीजों पर कंट्रोल था। तमाम चीजों की दिक्कत थी, परेशानियां थीं। उस वक्त जो भी उस तरफ रहे हों उन्होंने यह कहा कि ये बड़े एक्सट्रा-आर्डिनरी पावर्स हैं, गवर्नमेंट को मजबूर होकर ये पावर्स लेने पड़ रहे हैं, सप्लाई और कंट्रोल की पावर गवर्नमेंट ले रही है, फिर तीन वर्ष के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसकी मियाद बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह से एक कानून लाकर उसकी मियाद बढ़ाते चले गये। हमारी जिन्दगी की जो भी जरूरियात की चीजें हैं, उनका फराहम करना, खरीद करना, फरोख्त करना, ट्रांस्पोर्ट, हर चीज गवर्नमेंट के हाथ में है। उनको जमा करने का अख्तियार भी गवर्नमेंट के हाथ में है। यह ऐसी एक्सट्रा-आर्डिनरी पावर्स है जो एक इंसान के बुनियादी हक के ऊपर हावी है। हम जो भी जरूरियात की चीजें खरीदें, किसी काम के लिए दूकान खोलें उसके ऊपर चेक है, कंट्रोल है, ये टेम्पोरेरी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पावर थे। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमने खुद ऐसे हालात पैदा कर दिये हैं और उसके बाद हम यह कहते हैं कि हमें ये अख्तियार मिलने चाहिए। १९४७ में सिर्फ ३ साल की उनकी मियाद थी--जो टेम्पोरेरी पावर्स ली गयीं, उसके बाद फिर उसकी मियाद बढ़ायी गयी और फिर रि-वैलिटेड कराया। इस तरह से चार बार इसकी मुद्दत को बढ़ाया जा चुका है।

मैं यह कहना चाहता हूं सदन के सामने कि ये टेम्पोरेरी पावर्स १४ वर्ष पहले यह यकीन दिला कर के ली गयी कि ३ वर्ष बाद हालात सुधर जायंगे उसके बाद यह कानून खुद ब खुद खत्म हो जायगा। तो आखिर यह जो टेम्पोरेरी पावर्स के लिये आर्डिनेंस लाया गया है इसको आप कहां तक बढ़ायेंगे। अगर गवर्नमेंट यही समझती है कि ऐसे हालात मुल्क में रोजाना पैदा होते रहेंगे जिसके लिये इस कानून की जरूरत होगी तो फिर बेहतर यह होगा कि आप इसको तीन साल के लिये ही न बढ़ाइये बल्कि इस ऐवान में आकर साफ तौर पर यह कहिये कि हम मुल्क की हालात को इस हद तक सुधारने में नाकाम रहे हैं कि यहां पर कंट्रोल की जरूरत न रह जाय या और चीजों को लाने ले जाने में पाबन्दी की जरूरत न रह जाय लिहाजा यह स्टेटयूट टेम्पोरेरी पावर्स के नाम से न रखा जाय बल्कि परमानेन्टली इसको स्टैटयूट बुक पर रख दिया जाय। यह बात तो समझ में आती है लेकिन आप बार-बार यह कहते रहें कि तीन साल के लिये बढ़ा रहे हैं और वह भी आर्डिनेन्स की शक्ल में बढ़ायें और फिर थोड़े वक्त के बाद इस मकसद के लिये यहां पर बिल लायें, इस सिलसिले में आपकी इजाजत से मैं कहना चाहूंगा कि इस आर्डिनेंस के डिसएप्रूवल के सिलसिले में हम जो आज कह रहे हैं वही आगे जब आप लायेंगे तब फिर कहेंगे तो बार-बार जो सदन बुलाया जाता है उसमें कुछ खर्चा होता है और उसका भार जनता पर पड़ता है, लाखों और करोड़ों टैक्स देने वालों पर पड़ता है। आपने इस तरीके की स्थिति और हालत क्यों पैदा किये, इसकी जिम्मेदारी आप पर है। तो इन तमाम बातों के बाद, अवस्थी जी ने जो प्रस्ताव इस आर्डिनेंस के डिसएप्रूवल का रखा है, उसको ताईद करता हूं और सरकार से मेरी इस बात की गुजारिश होगी कि आप इन सब बातों पर ध्यान दीजिये और टेम्पोरेरी पावर्स की शक्ल में इसको बारबार न रखिये बल्कि इसको मुस्तकिल तौर पर लाकर जब तक आपकी हुकूमत रहे इस पर अमल कीजिये।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)--अधिष्ठाता महोदय, माननीय अवस्थी जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल--अधिष्ठाता महोदय, सदन में केवल ४० सदस्य ही हैं, कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजाई गई तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामेश्वरप्रसाद--माननीय अवस्थी जी ने जो संकल्प उपस्थित किया उसका विरोध मैं इसलिये करना चाहता हूं क्योंकि जो आर्डिनेन्स सरकार द्वारा लागू किया गया है वह सर्वथा अवस्थी जी के शब्दों में ही उचित मालूम होता है क्योंकि अवस्थी जी ने जितनी भी वकालत अपने संकल्प के पक्ष में की वह अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं सभी बातें इस अध्यादेश के समर्थन में हैं। उन्होंने खासकर कानपुर शहर की बातें कहीं और उसी पर केन्द्रित किया कि वहां पर कोयले की ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है और लकड़ी के बगैर कच्चा खाना मिल रहा है। मैं तो समझता हूं कि उन्होंने उसी भावना का समर्थन किया है जिस भावना से यह आर्डिनेंस लाया गया है। आज कल यह विकास का युग है, आज गांवों में भी यह टेंडेंसी हो रही है कि पक्के मकान लोग बनायें। उसके लिये ईंटों की आवश्यकता है। इसलिये इस कारण से कि गरीबों और कम आय वालों को ईंट मिल सके यह आर्डिनेंस जारी किया गया। अगर यह जारी न किया गया होता तो ईंटों के दाम उन लोगों की क्रयशक्ति से बाहर हो जाते। लेकिन सरकार चाहती है कि गांवों में विकास हो। इसके

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

अतिरिक्त जो कानून इसके लिये बनाया गया था उसकी मियाद २५ जनवरी, ६१ को समाप्त हो रही थी और वह उस समय असेम्बली सेशन में नहीं थी। मान लीजिये सरकार उस अध्यादेश को जारी उस समय न करती तो जिस परिस्थिति का बयान उधर से किया गया है वह और भी ज्यादा भयंकर हो जाती तो ये ही सदस्य सरकार को चार्ज करते कि कान्स्टीट्यूशन में हमने आपको अधिकार दे रखे हैं फिर आपने क्यों उनका प्रयोग नहीं किया। आपने अध्यादेश लाकर उनके मूल्य को क्यों नियंत्रित नहीं किया। इसके अलावा आज जो अध्यादेश के रूप में हमारे सामने मौजूद है वह ४२ दिन में कानून के रूप में विधान सभा के सामने आने वाला ही है। अगर वह असेम्बली के सामने आने वाला न होता तब तो यह कहा जा सकता था कि इसमें सरकार का खराब मंशा है। इसलिये यह अध्यादेश असेम्बली के राइट्स को खत्म नहीं करता है। संविधान में जो प्रावीजन है उसके रखने के लिये, उसके अनुसार ही यह अध्यादेश लाया गया था। श्री जरगाम हैदर ने कहा कि यह एक्सेप्शन में होना चाहिये था। जब देश में ऐसी सूरतें हों, असेम्बली न हो रही हो और किसी कानून की मियाद किसी विशेष तारीख को समाप्त हो रही हो तो क्या वह विशेष स्थिति नहीं है? क्या अध्यादेश उस हालत में जारी नहीं किया जाना चाहिये। हां, अगली मार्च तक इसकी मियाद होती। तब तो यह कहा जा सकता था कि अभी तो इसकी मियाद थी फिर ऐसा क्यों किया। इसलिये यह कान्स्टीट्यूशन की मंशा के अनुसार है, एक्सेप्शन है, पब्लिक इंटररेस्ट भी है। जलाने की लकड़ी और ईंटों के लिये यह लाया गया है।

सरकार की कोई बुरी मंशा इस अध्यादेश के लाने में नहीं थी और यह तो समय आने पर खुद ही खत्म हो जायगा। इसी असेम्बली ने देखा और जनता ने देखा कि इस प्रदेश में तमाम चीजों पर सप्लाई कानून के जरिये कंट्रोल लगे हुए थे। कपड़े, किरासन तेल, माचिस आदि पर भी तथा शुगर पर भी कंट्रोल था। शुगर पर तो अभी भी कुछ कुछ कंट्रोल है। तो जो परिस्थिति डेवलप हुई उसमें सब बातों का इन्तजाम सरकार की ओर से किया गया और अब प्रदेश को उन चीजों के पाने में असुविधा नहीं रही। सरकार ने स्वयं ही फिर वह शक्ति नहीं ली और न उसकी जरूरत पड़ी कि वह उस शक्ति के साथ यह कानून ला सके। जो पिछली नजीरें हमारे सामने हैं उनको देखते हुए और प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए यह सर्वथा उचित है कि इस अध्यादेश का यह सदन समर्थन करे।

जो संकल्प श्री अवस्थी जी की तरफ से आया है वह इसी बहाने से आया है कि कानपुर में जो कोयले की कमी है उसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाया जाय और उनके दिमाग पर उसका कुछ असर पड़े। तो मैं समझता हूं कि उनका, अवस्थी जी का परपज सर्व हो गया और इसके बाद वे अपने संकल्प को वापस ले लेंगे। अगर वे वापस न लें तो मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रस्ताव का विरोध करें ताकि जो, परिस्थिति है उस पर सरकार काबू पा सके और जनता का हित हो सके।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मुझे आश्चर्य है कि मेरे इस निरनुमोदन के प्रस्ताव पर सरकार की तरफ से किसी भी मंत्री, उपमंत्री या सभा सचिव ने बोलने की आवश्यकता नहीं समझी, बल्कि उनका कार्य हमारे श्री रामेश्वर प्रसाद ने अदा किया। अब मैं श्री रामेश्वर प्रसाद जी को क्या कहूं, मुझे तो उनके ऊपर तरस आता है। मैं समझता हूं कि उनका राजनीतिक जीवन भी उनके उम्र के हिसाब से ही बहुत कम है। उन्हें जानना चाहिये कि इस कंट्रोल के विरुद्ध महात्मा गांधी जी की क्या राय थी। मालूम होता है कि वे उनकी लिखी हुई किताब भी नहीं पढ़ते हैं। इसी सदन के अन्दर जो माननीय रफी अहमद किदवई थे उन्होंने भी इस कंट्रोल के विरुद्ध जिहाद किया था जिसकी वजह से ही वे आज किसानों और जनता के मन मन में माननीय व्यक्ति हो गये हैं। यह कहना कि कंट्रोल की आवश्यकता है इसलिये यह अध्यादेश लाया गया, गलत है। अगर कंट्रोल जारी रहेगा तो जो सप्लाई और डिमांड का स्रोत है वह संकुचित हो जायगा और ब्लैक मार्केटिंग अधिक बढ़ जायगी। इस तरह से जरा सा इधर

उधर हाथ हिलाने से ही हजारों रुपये का वारा न्यारा हो जायगा। आज भी कानपुर में आप जाकर देखें कि एक-एक रात में लोग १ रु० के १० रु० बना रहे हैं और इस तरह से गरीब, निर्धन और निस्सहाय त्राहि त्राहि करते हुए मर रहे हैं। उसके जलाने के लिये सेर भर कोयला नहीं है, आज उसका जाड़ा दूर करने के लिये साधारण इंधन भी नहीं है लेकिन पैसे वाले रात भर में हजारों रुपया पैदा कर रहे हैं ताकि एमरजेंसी में परिस्थिति का लाभ उठाया जाय। माननीय मंत्री जी जो वास्तविक बात है उसको सुनें कागज की बात पर न जायं। वह कानपुर जायं और कंट्रोल की दूकानों पर लगी भीड़ को देखें और वहां जाकर जनता से पूछें जरा कि तुम अपना वोट किसे दोगे, कैसा आराम तुमको मिल रहा है, तब उनको वास्तविकता का पता चलेगा.....

श्री अधिष्ठाता—वह तो आपके लिये अच्छा होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं उनको आगाह किये दे रहा हूं कि हम आ रहे हैं, उन्हें सुबुद्धि दे रहा हूं और डंके की चोट पर कह रहा हूं कि हम आ रहे हैं। इन अध्यादेशों के द्वारा वह ईंटों, कोयले के वितरण, संचालन और ट्रान्सपोर्ट का अधिकार लेने जा रहे हैं, उनकी इस नीति पर मुझे खेद हो रहा है क्योंकि उसकी असफलता तो सिद्ध हो चुकी। आपको १४ साल उस कंट्रोल की नीति को चलाते हो गये और आप आज तक कुछ नहीं कर पाये इससे ज्यादा और परिणाम क्या आपके सामने हो सकता है। सरकार बुद्धि से काम ले और इन कंट्रोलों को कुछ ढीला करे और बार बार पुनरावृत्ति करने की वृत्ति को बदल कर जनता को आश्वासन दे कि आगे यह कमी दूर होगी। विशेष रूप से एक बात ही मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जितना ज्यादा कंट्रोल बढ़ायेगी उतना ही अधिक भ्रष्टाचार बढ़ेगा और जितना भ्रष्टाचार बढ़ेगा उतना ही उससे जनता त्राहि त्राहि करेगी। इसलिये अच्छा यही है कि सरकार इस आर्डिनेंस को वापस ले ले और कंट्रोल को खत्म करने का पहला कदम उठावे।

माननीय मंत्री जी मेरी बात को सुनें और बतायें कि यह कोयले की कमी क्यों आ गई। अभी जो कहा गया कि वैगन नहीं थे, पाकिस्तान को लोहा देना लाजिमी था, या स्टील पहुंचाना था या गन्ना पक गया था, इन बातों को तो वह अब सीमित रखें। आज जनता का हर आदमी जानता है कि वैगन कैसे मिलते हैं, २०० रुपये के नोट में वैगन मिलता है, गन्ना पूर्व में अधिक हो सकता है लेकिन कानपुर में कौन सी वजह है कि वहां भी गाड़ियों की कमी है? जनता यह भी समझती है कि मिलों में कोयले की कमी की पूर्ति के लिये आज्ञा निकाल दी गई कि केसा (Kesa) से कोयला मिल जाय इस खयाल से कि कहीं पूंजीपतियों की आय में धक्का न लग जाय। लेकिन जो गरीब हैं जिनका चूल्हा तक नहीं जलता कोयले के बिना उनकी कमी पूरी करने का कोई ख्याल नहीं है। इस तरह से जनता समझती है कि सरकार किस को प्राथमिकता देती है मिल मालिकों को या उनके गरीब मजदूरों को कि जिनका कोयले के बिना भोजन भी नहीं पकता। केसा के द्वारा मिल चलाने का प्रबन्ध किया गया लेकिन गरीबों के चूल्हे का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी कह देते हैं कि यह स्कूल नहीं है कोई क्लास नहीं है लेकिन यहां जब कोई बात समझी नहीं जाती तो अध्यापकों की तरह समझाना पड़ता है। बच्चे तो सीखने को आते ही हैं लेकिन बुजुर्ग भी जब समझाने से न सीखें तो मैं फिर अपना रोल कैसे अदा करूं इसलिये बार बार समझाने की कोशिश करता हूं। और मेरे इस आग्रह को मान लें। कंट्रोल के द्वारा आप यह चीज नहीं कर पायेंगे। जब आप अध्यादेश लाने की कोशिश करते हैं इस कंट्रोल के लिये तब तो और भी कोढ़ में खाज हो जाती है। तो मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि इस अध्यादेश को वापस ले लें और अगर वितरण की व्यवस्था नहीं कर सकते तो अपनी गलती को स्वीकार करें और दूसरे प्रकार से जनता में चीजों को पहुंचाने की कोशिश करें।

*सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)––मान्यवर, जो संकल्प श्री अवस्थी जी ने इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध कर रहा हूं। जब वह संकल्प प्रस्तुत कर रहे थे तो मैं समझा था कि शायद वह कोई ऐसी बात कहेंगे जो इस सदन को अच्छी लगेगी या जिससे कोई लाभ होगा, लेकिन मैंने काफी ध्यानपूर्वक उनको दोनों बार––पहली बार और अब दोबारा भी––सुना परन्तु कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिसका सरकार की तरफ से उत्तर दिया जाय। जो कुछ बातें माननीय अवस्थी जी ने उठाई और हैदर साहब ने कहीं रामेश्वरप्रसाद जी ने पूरे तरीके से उनका उत्तर दे दिया है।

एक चार्ज लगाया जाता है कि १९४७ में जब से यह विधेयक बनाया गया तब से लेकर अब तक कोई भी कार्यवाही सरकार ने इस तरह की नहीं की कि जो हालात इस प्रदेश में चलते रहे उनको ठीक करने के लिये कोई कदम उठाया जाता और यह भी कहा कि उसकी नीयत खराब रही। सन् ४७ में यह विधेयक लाया गया था, और टेम्पोरेरी था इस मंशा से कि आगे चल कर दो-तीन साल बाद हालत सुधरेगी। कभी इस प्रदेश में हालत सुधरी, कभी कमी हो गई, कभी ज्यादती रही और मजबूरी में सरकार उसे एक-एक, दो-दो साल के लिये बढ़ाती रही।

माननीय सदस्य स्वयं इस बात को कह रहे थे कि कोयले की कमी है, लकड़ी की कमी है और ट्रांसपोर्ट इत्यादि की दिक्कतें हैं। अगर सरकार उसको ठीक करना चाहती है, उन असहाय लोगों के लिये––जैसा कि कानपुर की मिसाल दी कि कानपुर में लकड़ी और कोयला की कमी है––प्रबन्ध करना चाहती है तो आज अगर कंट्रोल न करें, किसी प्रकार का नियंत्रण न करें तो क्या उन गरीबों, असहाय लोगों को लकड़ी और कोयला मिल सकेगा।

आर्डीनेन्स क्यों लाया गया? सदन बैठ नहीं रहा था। माननीय अवस्थी जी ने जो कुछ कहा, मैं समझता था कि विधेयक पर पूरे तरीके से जब बहस होगी तब कहेंगे। जहां तक आर्डिनेंस का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि समय खत्म होने को था और सेशन उस समय था नहीं इसलिये आर्डिनेंस लाना पड़ा।

कंट्रोल की दुहाई दी गई और इस तरह की बहुत सी बातें कही गईं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज वैगन्स की कमी है और भी बहुत सी दिक्कतें हैं। अगर हम इस आर्डिनेंस को पारित नहीं करते तो मैं पूछना चाहता हूं कि दिक्कत और बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? ब्लैक मार्केट ज्यादा होगा या कम होगा? जब परेशानी और बढ़ जायगी तो लोग मनमाने दाम बढ़ा देंगे अगर सरकार का किसी प्रकार का इस पर नियंत्रण नहीं रहेगा। तो यह जो आर्डीनेंस लाया गया है यह ठीक लाया गया है। इसकी आवश्यकता थी इसी परपज से लाया गया। मैं समझता हूं सदन इसको पारित करेगा।

श्री अधिष्ठाता––प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ का निरनुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अध्यादेश, १९६१ के निरनुमोदनार्थ संकल्प

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)––अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अध्यादेश, १९६१ का निरनुमोदन करता है।

श्रीमन्, बड़ा सौभाग्य है कि मुख्य मंत्री जी इस महत्वपूर्ण विषय पर विवाद करते समय मौजूद हैं। इस अध्यादेश को मुख्य मंत्री जी जब गौर से देखेंगे तो कोई आवश्यकता इसके ले आने की नहीं महसूस करेंगे। इस अध्यादेश के दो हिस्से हैं। पहला तो है, जिससे मैं भी इत्तफ़ाक करता हूं, कि सरकार के खजाने में से ५०, ६० करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट के फैसल का लाभ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उठा कर मिल मालिक ले जाते। इसको रोकने की चेष्टा सरकार को करनी ही चाहिये थी। जो धन सरकार के खजाने में आता है उसके लिये सदन में विचार किया जा सकता है कि वह किस काम में खर्च हो, लेकिन वह धन अगर आये और दुबारा मिल मालिक उसको लेना चाहें तो उसको बचाया जाय।

अध्यादेश के दूसरे हिस्से पर जरा विचार करें जो लाखों किसानों का गला दबोचने वाला है। उसके लिये कोई आवश्यकता आर्डिनेंस लाने की नहीं थी। मैं जरूर कहूंगा इसका भी आर्डिनेंस लाने की जरूरत नहीं थी जब कि ३ दिन बाद ही असेम्बली बैठने वाली थी। ३१ जनवरी को यह आर्डिनेंस आया, ३ फरवरी से लागू हुआ और ६ फरवरी को सदन बैठ रहा था। १३ दिसम्बर, १९६० को सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। १ महीना १८ दिन तक सरकार इसकी आवश्यकता नहीं समझती रही, लेकिन उसके बाद जब सदन बिलकुल मिलने वाला था तो मुझे यह बात जरूर आश्चर्य में डालती है कि इसकी क्या आवश्यकता थी कि ३ फरवरी को आर्डिनेंस जरूर लागू हो जाय। मेरी मजबूरी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार को हमें देना चाहिये ताकि हम उसको देख कर निश्चय कर पाते कि सरकार का कदम कितना सही था। वह फैसला हमारे पास मौजूद नहीं है। अनुमान से तो काम नहीं चलता। मैं समझता था कि विधेयक को ले आने के पहले हम लोगों को वह फैसला जरूर दे दिया जायगा ताकि सही राय हम कायम कर सकें। २० सालों का पुराना मामला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था यह कोई नई बात नहीं थी। सन् १९५० में जिस वक्त टैरीफ कमीशन बैठा हुआ था उसकी रिपोर्ट माननीय उद्योग मंत्री इस सदन के जो कोई हों वह पढ़ें तो देखेंगे उसमें लिखा हुआ है कि कच्चे माल पर इस प्रकार का सेस लगाने की प्रथा सारे संसार में कहीं नहीं है। उस वक्त से हम सोते रहे और कोई ऐसी बात नहीं है कि यह सेस कोई हमारे प्रदेश में ही हो, बल्कि सारे भारतवर्ष में लगा हुआ है केवल मध्य प्रदेश को छोड़ कर। शायद मध्य प्रदेश ने भी लगा रखा है।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--वहां पर परचेज टैक्स है।

श्री गेंदासिंह--मैं मान सकता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की जानकारी मुझसे अधिक हो, लेकिन मैं उनकी सेवा में यह कह सकता हूं कि मेरी जानकारी से भी वे लाभ उठाने की कृपा करें। मध्य प्रदेश को छोड़ कर सारे भारत में जहां कहीं भी केन सेस लगा हुआ है वहां यह तीन आने या तीन आने मन से ज्यादा है और यह समस्या हर जगह उत्पन्न हुई होगी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सब जगह ला रहे हैं।

श्री गेंदासिंह--लेकिन आर्डिनेन्स नहीं ला रहे हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--आपकी वजह से लाये। आप कहते कि पूंजीपतियों के हाथ में सारा रुपया दे दिया।

श्री गेंदासिंह--इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि पूंजीपतियों के लिये आप इसे नहीं ला रहे हैं। मैं भी दबी हुई जबान से कुछ ऐसी ही बात कहना चाहता था ताकि हमारे किसानों को कोई नुकसान हमारी जबान की वजह से न पहुंचने पाये, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि सिर्फ केन सेस का यह अध्यादेश है। इसमें आप जरा धारा ४ को देखें "उस इकाई के अतिरिक्त, जिसने उत्तर प्रदेश खांडसारी शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने की आज्ञा, १९६० के अधीन लाइसेंस प्राप्त किया हो, दूसरी कोई भी इकाई, शक्कर आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त किये बिना गुड़ अथवा राब बनाने या उसका उत्पादन करने से संबंधित कोई प्रक्रिया न करेगी और न जारी ही रखेगी"। तो यह क्या है? यह कौन सी बीमारी आई? अब यह केन सेस वाली बात बहुत पुरानी हो रही है। पिछले दो एक वर्ष से यह बीमारी आई। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष इस सदन में एक बिल आया था और उसमें गुड़, खांडसारी तथा राब

[श्री गेंदा सिंह]

पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था थी । मैं समझता हूं कि उसको पूरी तरह से अपोज किया गया और इतिहास में आप देखेंगे कि यह सरकार जब कभी भी हारी इस सदन में तो इस गुड़, खांडसारी तथा राब के प्रश्न को ले कर हारी। बावजूद इसके कि सरकार सारा प्रयत्न करती रही कि वह न हारे, लेकिन हार गयी और हारने के बाद मैं समझता हूं कि सरकार उस नीति को बदले कि गुड़, खांडसारी तथा राब बनाने वालों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगाया जाय । अगर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाना है तो इसमें इस प्रकार की व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता है, क्या नियंत्रण आप करेंगे ? गुड़, खांडसारी के मूल्य पर नियंत्रण का सवाल उठता नहीं और अगर मूल्य नियंत्रण का सवाल उठता है तो टेम्पोरेरी कंट्रोल वाला जो इससे पहले का अध्यादेश स्वीकार किया गया है उसके मुताबिक आप कीमत कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप, श्रीमन्, देखेंगे कि यह बनाने पर कंट्रोल है ।

मैं आर्डिनेन्स की उपयोगिता पर थोड़ी देर के लिये बात करना चाहता हूं । पिछले वर्ष अगर इसकी जरूरत थी तो जब वह बिल हमारे सामने आया था तो यह बात कही गयी थी कि बड़ी फैक्टरियों को गन्ना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है और चीनी का उत्पादन घट रहा है, इसलिये खांडसारी, गुड़ और राब बना कर लोग गन्ने को दूसरे रास्तों में ले जाते हैं, उनको हम रोकें और जो बड़ी-बड़ी फैक्टरियां हैं उनको हम गन्ना मुहइया करें ताकि वे देर तक चल सकें और चीनी का प्रोडक्शन हो सके । हाई कोर्ट में कुछ मुकदमे गये और सरकार हारी खांडसारी वालों के मुकाबले में और हारने के बाद सरकार को फिर दूसरा तरीका अख्तियार करना पड़ा क्योंकि इस प्रदेश की चीनी मिलों के हित में यह बात थी कि खांडसारी वाले, गुड़ वाले जिन्दा न रहने पायें और अगर खांडसारी वाले जिन्दा रहते हैं तो गन्ने के काश्तकार अपनी वाजिब कीमत के लिये दावा करते हैं । अगर गुड़, खांडसारी पर सरकार का दबाव पड़े, टैक्सों का दबाव पड़े, उसकी कीमत गिर जाय तो प्रोडक्शन नहीं होगा गुड़, खांडसारी तथा राब का जिससे मजबूर हो कर काश्तकार अपना गन्ना मिल की मर्जी पर बेचेगा ।

मैं माननीय गुप्ता जी से यह कहूंगा कि आज शासन की बागडोर उन्होंने अपने हाथ में ली है और उनसे मैं यह निवेदन करूंगा कि वे एक हफ्ते के भीतर यह पता लगायें कि कितना गन्ना इस वर्ष खड़ा है और क्या जरूरत है इस प्रकार का अध्यादेश ले आने की ? किसी प्रदेश ने एडीशनल प्रोडक्शन चीनी का नहीं किया था, लेकिन हमारे प्रदेश ने तीन लाख टन पिछले वर्ष अधिक चीनी यहां के काश्तकारों ने की और इस वर्ष भी मैं निवेदन करूं कि उस तीन लाख टन में से एडीशनल प्रोडक्शन जो पिछले वर्ष हुआ उससे भी ज्यादा गन्ना इस वर्ष खड़ा हुआ है चीनी पैदा करने के लिये। श्री बंशीधर जी यहां मौजूद नहीं हैं। उनका यह कागज है। उनके खाते में लिखा हुआ है, लखीमपुर की यह बात है जहां से कि गुप्ता जी का अधिक निकट का संबंध है और जहां की जानकारी उन्हें मुझसे अधिक हो सकती है, २,३०० मन बंशीधर जी के पास गन्ना खड़ा हुआ है, उनके कागज में ९०० मन लिखा हुआ है और जो कोटा उनको दिया जा रहा है वह बहुत कम है । श्रीमन्, मुझे इसका खुद तजुर्बा है । सारे जिले में हाहाकार मचा हुआ है, सारे प्रदेश में जहां गन्ना खड़ा हुआ है वहां हाहाकार मचा हुआ है । क्यों खड़ा है ? इसलिये खड़ा है कि जो इस तरह से गुड़ और खांडसारी के ऊपर टैक्स का बोझ डाल कर उसको डिस्करेज किया गया इसलिये गन्ने की खपत का एक मात्र साधन रह गया शुगर फैक्टरी । कितने दिन तक सरकार शुगर फैक्टरीज को चलाना चाहती है जिसके लिये यह अध्यादेश लायी ? बम्बई के मुताबिक चलायेगी या मैसूर के मुताबिक चलायेगी या केरल के मुताबिक चलायेगी ? हमारे प्रदेश की जलवायु ऐसी नहीं है कि यहां साल भर फैक्टरियां चल सकें । नवम्बर में फैक्टरियों का चलना शुरू हुआ और आखिरी जून तक चलेंगी फिर भी गन्ना खड़ा रहेगा । इस वक्त तक केवल एक-तिहाई गन्ना किसानों का गिर पाया है और दो-तिहाई खड़ा है और उसके पेरने का कोई बन्दोबस्त नहीं है । इन फैक्टरियों की कैपेसिटी लिमिटेड है । जितनी देर तक पारसाल ये मिलें चली थीं अगर उससे ज्यादा चलाने की चेष्टा की जाय तो किसान और मिल में काम करने वाले मजदूर की क्या हालत होगी ?

मैं नेशनल इंटरेस्ट की बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां अन्न की कमी है। अगर गन्ना अप्रैल में कट जाता है तो उस जमीन से दूसरी फस्ल भी ली जा सकती है। हमारा सौभाग्य है कि इस वक्त कृषि मंत्री इस सदन में बैठे हुये हैं। मैं उनका ध्यान इस ओर ले जाना चाहूंगा कि अप्रैल में जो जमीन गन्ने से खाली होगी उसमें खरीफ की फसल ली जा सकती है, लेकिन अप्रैल के बाद जो जमीन खाली होगी उसमें पूरी की पूरी खरीफ की फसल नहीं ली जा सकती है। इसलिये जल्दी गन्ना खप जाय इसका उपाय क्या हो सकता है? मैं समझता हूं कि इसके लिये किसानों की मदद गुड़ और खांडसारी बनाने में करनी चाहिये और कोई समय सरकार निर्धारित कर ले कि कितने महीने तक शुगर फैक्टरीज को चलाना है। पहले ९० दिन की बात थी, आज ९० दिन की बात नहीं है। अगर १८० दिन भी चलाना है तो सरकार के सामने सही नक्शा तो हो। श्रीमन्, 'चेतावनी' लफ्ज बुरा है, लेकिन मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं—बड़ी कोशिश मैंने की कि सरकार का ध्यान इस तरफ ले जाऊं कि यह जो दो-तिहाई गन्ना अब तक खड़ा है उसके लिये सरकार कोई व्यवस्था करे अन्यथा अगर गन्ना खड़ा रह जायगा तो अकेले हमारा नुक्सान नहीं होने वाला है सारे देश का अहित होगा। और इस वक्त किसान बिना जबान का है। जरा इस कानून को समझा जाय एक काश्तकार के पास सौ मन गन्ना इस वक्त जमीन में खड़ा है, लेकिन उसका हिसाब लिखा हुआ है कि सौ मन बेचने की जिम्मेदारी केन सोसायटी नहीं लेगी, वह जिम्मेदारी लेती है तीन साल के सप्लाई ऐवरेज पर, यानी पिछले साल अगर हमने ५० मन पैदा किया था, उसके पहले ४० मन पैदा किया था और उसके पहले ३० मन किया था, तो १२० मन हुआ तीन साल में और उसका ऐवरेज ४० मन हुआ। तो १०० मन पर केवल ४० मन की जिम्मेदारी केन सोसायटी की है कि शुगर फैक्टरी में जायगा और बाकी ६० मन के लिये जब हम कहते हैं कि सरकार हमको इजाजत दे कि हम जहां चाहें वहां बेच लें तो उसके लिये कानून है कि ५ हजार रुपया तक जुर्माना और ६ महीने तक की सख्त कैद की सजा हो सकती है अगर वह गन्ना उस रिजर्व जोन से किसी दूसरी जगह ले जा कर बेचें। तो काश्तकार इसको बेच नहीं सकती है। सरकार जिम्मेदारी लेती नहीं है कि वह उसका गन्ना किसी फैक्टरी में बिकवाये, खांडसारी बनाने के लिये लाइसेंस मिल नहीं सकता है और गुड़ की कीमत गिराने की कोशिश की जायगी।

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि इस घेरे से विचारा किसान किस तरह से बचे और कहां जाय। उद्योग मंत्री जी ने उस दिन जवाब दिया था, अब वह जरा सोच समझकर जवाब दें। यह मैं नहीं कहता कि उनकी समझ कम है? लेकिन यदि वह मेरी समझ के अनुसार सोचें तो इस अध्यादेश की आवश्यकता नहीं है। सारे किसानों के लाभ को देख कर काम होना चाहिये था। सरकार किसान को एक रुपये १२ आने मन दिलाने के लिये वचनबद्ध है। हम लोग तो दो रुपये मन चाहते थे, लेकिन हमने कह दिया कि यह नई सरकार है इसलिये हम हड़ताल नहीं करेंगे ताकि यह पसीज जाय हमारे ऊपर इसलिये हमने हड़ताल नहीं की। पहले हमने कई मर्तबा हड़ताल की थी तो सरकार हमसे नाराज हो गई थी। इसलिये इस बार हमने हड़ताल नहीं की। अब भी हम आप से कहते हैं कि पत्थर न बनिये। आप भी हाड़ चाम के आदमी हैं, आप भी किसानों पर पसीजें। एक मन का फर्क होने से ही कई करोड़ आने का फर्क हो जाता है। यदि एक रुपये १२ आने मन ही गन्ने का दाम कर दिया जाय जिसके लिये सरकार वचनबद्ध है तो ६८ करोड़ आने किसान के घर में जायेंगे। यह कहा जा रहा है कि मिल वालों के इंटरेस्ट में यह अध्यादेश नहीं है. लेकिन यह बात हमें समझा दी जाय। रुपया बचाने के लिये अगर सरकार इसको लाती तो हम सबका सपोर्ट उसको मिलता, लेकिन इसमें लिखा है कि किसान का गन्ना मिल मालिकों की मर्जी पर छोड़ दिया जाय और किसान जून, जुलाई तक पड़ा रहे और उसकी दुर्गति हो। अब आप ही बताइये कि इसका विरोध करना हमारा कर्त्तव्य है या नहीं? मैं कहता हूं कि इस दृष्टि से विचार किया जाय और इस अध्यादेश को अस्वीकार किया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता जी, मैं अपने साथी सदस्य के प्रस्ताव का जो गन्ना कर अध्यादेश के निरनुमोदन का है, उसके समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । इस अध्यादेश में दो विशेष बातें कही गई हैं । एक तो उस क्षति को पूरा करने की कोशिश की गई है जो उच्चतम न्यायालय के फैसले से प्रदेशीय सरकार को अर्जित किये हुये गन्ना कर से तथा लगाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है उसको ठीक किया गया है और दूसरे यह कि गुड़ और खांडसारी पर लाइसेंस कैसे किया जाय, इसकी भी व्यवस्था इस अध्यादेश में की गई है ।

श्रीमन्, मैं इस आदरणीय सदन के सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान मुख्य मंत्री जी जब गोरखपुर में आये तो एक बड़ी सभा में उन्होंने कहा था कि यह ५५ करोड़ रुपया कैसे जा रहा है । इसका क्या किया जाय । उनसे बहुत से लोगों ने प्रश्न किये होंगे ।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय ज्यादा नहीं है ? आप भूमिका बना रहे हैं....

श्री उग्रसेन—जी नहीं । श्रीमन्, मैं भूमिका नहीं बना रहा हूं, श्रीमन्, अगर टोकेंगे तो मैं छोड़ दूंगा । माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रदेशीय सरकार द्वारा गलत पैरवी या पैरवी में ढिलाई करने के कारण सरकार मुकदमा हार गयी । तो अगर सरकार गलत पैरवी न करती या ढिलाई न करती तो यह मुकदमा न हारती और न सरकार को यह अध्यादेश लाना पड़ता । मैं यह मांग करूंगा कि जो बात माननीय मुख्य मंत्री ने कही थी अपने भाषण में उसकी कोई जांच करवायी, कोई कमेटी बिठायी कि इसकी जांच की जाय कि मुकदमे की पैरवी में ढिलाई क्यों की गयी ? मैं इस बात की मांग करता हूं ।

दूसरी बात खांडसारी की है । मैं माननीय गेंदासिंह से बिलकुल इत्तफाक करता हूं कि खांडसारी और राब की इकाइयों को बढ़ावा न मिले इसलिए यह लाइसेंसिंग आर्डर, यह आदेश पहले भी जारी किया गया था और अब अध्यादेश में इस बात को लाया गया है । बड़ी भारी समस्या है । जो मिल क्षेत्र में गन्ना है उसे अगर कोई खांडसारी की इकाई को देना चाहता है या अगर मिल क्षेत्र में कोई खांडसारी इकाई है तो उस पर लागू करते हैं, लेकिन मिल क्षेत्र के बाहर भी इसको लागू कर देते हैं । अभी हमारी तरफ से नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्ताव रखा गया था पश्चिमी जिलों की कुछ खांडसारी इकाइयों के बारे में कि जो गैर मिल क्षेत्र था और खांडसारी की इकाइयों को लगाये थे, उन्होंने हाई कोर्ट में दावा किया कि हम पर यह आर्डर लागू नहीं होना चाहिये, क्योंकि हमारे क्षेत्र में गन्ना रिजर्व नहीं है । हाई कोर्ट ने स्टे किया कि नहीं लागू होना चाहिये, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अभी उसको उन पर लागू किये हुये हैं, और उन पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं । सरकार कहती है कि हम उद्योग-धंधे चलायेंगे, लेकिन उनको निरुत्साहित तथा समाप्त करने का इससे बढ़ कर और कोई प्रयास नहीं हो सकता । सरकार ने केन सेस में ५५ करोड़ रुपया बचाने का श्रेय लिया इस अध्यादेश से तो जो गन्ना किसान बराबर कीमतों की मार में और गरीबी में मारा गया है और वह कई वर्षों से मांग कर रहा है कि उसके गन्ने की कीमत दो रुपया होनी चाहिए तो क्या सरकार का इरादा कीमत बढ़ाने का नहीं है ? और क्यों नहीं है ? सरकार मिल की सुरक्षा करने के लिए खांडसारी और राब की इकाइयों को दबाना चाहती है और अध्यादेश निकालती है, लेकिन किसान के गन्ने की कीमत में वृद्धि करने के लिए कोई बात नहीं सोचती । अगर गन्ने की कीमत को बढ़ाने के लिए कोई अध्यादेश निकाल दिया जाता है तो कौन-सा पहाड़ टूट पड़ता ? माननीय गेंदासिंह जी ने सरकार का दिल पसीजने की अपील की, लेकिन इस सरकार का दिल तो पत्थर है । उसके पसीजने का कहां प्रश्न है । जब उस पत्थर से पत्थर टकरायेगा तभी यह सरकार दबेगी । जब तक प्रदेश और देश में कांग्रेस की सरकार रहेगी यह सरकार बिना दबाये हुए काम करने वाली नहीं है । माननीय अजित प्रसाद जी जैन एक बार देवरिया में गये थे । उनसे बहस हुई थी । जिस समय वह भारत सरकार के खाद्य मंत्री थे । उन्होंने कहा था कि हम मानते हैं कि गन्ने के क्षेत्र में पैदावार में वृद्धि होनी नहीं चाहिये । इतने वर्षों के बाद, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद गन्ना विभाग ने क्या किया । गन्ने के विकास के लिए ? तमाम केन डेवलपमेंट यूनियन्स और फेडरेशंस बनी

हुई हैं, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि गन्ने का विकास नहीं किया जा रहा है, गन्ने का क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है ? गन्ने की पैदावार दिखाने के लिए कुछ इनाम बांट दिये जाते हैं कहीं एकाध आदमी को दिखाकर और "कृषि" अखबार जो निकलता है उसमें उनकी फोटो छाप दी जाती है । मगर गन्ने का विकास नहीं किया जाता है । जब रिजर्वेशन कान्फरेंस में मिल मालिक जुटते हैं और केन कमिश्नर उनसे पूछते हैं कि कितना गन्ना आप इस साल पेरेंगे तो वह कहते हैं कि पिछले साल २२ लाख मन पेरा था इस साल ३६ लाख मन पेरेंगे। क्योंकि वह अपनी फैक्ट्री का विकास नहीं करते हैं । जब मिल चलने लगती है तो आज चली कल बन्द । इस पर उनके ऊपर कोई चीज लागू नहीं होती है । अगर यह सरकार यह चाहती होती कि गन्ना किसानों के गन्ने की खपत हो तो क्या वह इन मिल मालिकों को बाध्य न करती अपने मिलों का विकास करने के लिए ? श्रीमन्, वही पिटी पिटायी, घिसी घिसायी मशीनें आज भी पड़ी हुई हैं जो एक दिन चलती हैं दूसरे दिन बिगड़ती हैं । तो एक तो सरकार ने मिल मालिकों को यह छूट दी कि तुम जाओ अपनी मिलों का विकास मत करना, तुम ज्यादा पेरना मत, गन्ना कम लेना, दूसरी ओर क्या कर दिया कि छोटे-मोटे किसान, गुड़ खांडसारी की इकाई अगर लगाते हैं तो उनके ऊपर लाइसेंस फी ज्यादा कर दिया और अगर लाइसेंस नहीं लिया तो हजारों रुपये का जुर्माना उनके ऊपर कर दिया, तरह तरह के मुकदमे उनके ऊपर चला दिये ।

श्रीमन्, आज ही देवरिया के इंडस्ट्रीज आफिसर की चिट्ठी हमारे पास आई है जिसमें एजेंडा लिखा हुआ है कि २५ तारीख को उद्योग समिति देवरिया की बैठक होगी जिसमें कोल्हू के वितरण पर विचार होगा। यानी २५ फरवरी को देवरिया की उद्योग समिति की बैठक कोल्हू के वितरण पर विचार करने के लिए होने जा रही है । श्रीमन्, यह सरकार अब तक कहां सोती रही? कितना इसके लिए शोर मचाया गया, माननीय गेंदासिंह जी स्वयं गए और उन्होंने कहा । देवरिया को एक साल ७ कोल्हू दिये गए । अब पता नहीं इस साल कोल्हू कब दिये जायेंगे ? होली के बाद दिये जायेंगे जब कछार के इलाके का गन्ना फूंक दिया गया और उसका रस बिलकुल सूख जायगा । तो हर तरह से किसान के ऊपर बन्धन लगा रखा है । कोल्हू में जाने नहीं देंगे, खांडसारी इकाई को चलने नहीं देंगे और इन मिल मालिकों को दबायेंगे नहीं । अपनी मिलों का विकास करने के लिए इन्हें मजबूर नहीं करेंगे और गन्ना किसानों का लाखों करोड़ों रुपया जब बकाया होगा और हम कहेंगे कि इन पर भी वारंट करो तो आप कहेंगे कि हां, रिकवरी सार्टिफिकेट भेज दिया है। दिल बहलाने को गालिब खयाल अच्छे हैं। सारा काम आराम के साथ होता रहता है । लीडरों को रंज है आराम के साथ वाली बात है । मैं कहता हू कि आखीर, जूट के भी मिल मालिक हैं, टेक्सटाइल के मिल मालिक हैं, रोलिंग मिल के मालिक हैं, मगर पता नहीं कि चीनी के मिल मालिक किस प्रकार के हैं ? मैंने तो बम्बई में बहुत से मिल मालिकों को देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितना चीनी के मिल मालिकों को अपना लाड़ला बना रखा है उतना कहीं नहीं हुआ है, पता नहीं चुनाव में रुपया लेने के लिए.....

श्री अधिष्ठाता---माननीय उग्रसेन जी, कहां आप किस चीज पर बहस कर रहे हैं और कहां चुनाव आ गया ? आप विरोध चाहे जितने जोर के साथ करिए मगर असंगत न होइए ।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मैं असंगत बात नहीं कह रहा हूं । मैं बिलकुल वही चीज कह रहा हूं जो इस अध्यादेश में है । गन्ना मिल मालिकों को पूरी छूट दी जा रही है और गन्ना किसानों, तथा गुड़ खांड या राब की इकाई लगाने वालों पर बन्दिश लगायी जा रही है इस अध्यादेश के द्वारा। मैं कहता हूं कि क्यों नहीं सब गन्ना मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाता? उत्तर प्रदेश केन फेडरेशन के अन्दर कर दिया जाय और कोआपरेटिव सोसाइटीज को मिलें दे दी जायं । इन करोड़ों मिलों को कुछ मुआवजा दे दिया जाय जैसे कि भूतपूर्व जमींदारों को दिया गया था । श्रीमन्, यह तात्विक प्रश्न है । अगर इन प्रश्नों का क्रांतिकारी तरीके से हल नहीं निकाला गया तो यह कहिए कि ऊपर से जरा-सा मलहम लगा देने से यह समस्या हल हो जायगी, यह होने वाला नहीं है।

[श्री उग्रसेन]

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे पूर्वी जिले जो हैं, गन्ना यूनियनों को देख लीजिए, किसी विशेष क्षेत्र में गन्ना यूनियनों ने कितने गन्ने का बांड किया और उन यूनियनों ने कितना मिलों से बांड किया, कम से कम ४० फीसदी गन्ना वैसे ही पड़ा रहता है और कितने क्रशर खन्डसारी के हैं। हमने अपने यहां चेष्टा की कि हमारे यहां भी लाइसेन्स मिले और ऐसी इकाई पैदा की जाय, मगर क्या हुआ? सरकार ने ऊपर से आर्डिनेन्स लाद दिया। यह जो पिछड़े हुए जिले हैं आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर वहां पर सत्यानाश हो रहा है। पश्चिमी जिलों में जो इकाइयां हैं वह उखड़ रही हैं। वह कहते हैं कि हम मजबूर होकर बम्बई, मद्रास, आन्ध्र में ले जाकर इनको लगा लेंगे। क्या हमारे यहां इन इकाइयों के होने की कोई गुंजायश नहीं है? मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अब भी सोचे कि गन्ना किसानों की मांग क्या है। सोशलिस्ट पार्टी बराबर १०, १२ वर्ष से इसके लिये लड़ती रही है और बराबर मांग करती रही है मगर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। अगर इन घरेलू उद्योग धन्धों से गुड़, राब, खन्डसारी से प्रतिबन्ध हटाने की व्यवस्था नहीं की जाती है, यदि इस घरेलू उद्योग धन्धे को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, उनको इतना गन्ने का मूल्य नहीं दिया जाता है कि उससे किसानों को लाभ हो सके तो इससे ६। करोड़ किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिये जो श्री गेंदासिंह जी ने निरनुमोदन का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और जो सरकार का अध्यादेश का प्रस्ताव है, उसका विरोध करता हूं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--अधिष्ठाता महोदय, हमारे गन्ना उत्पादकों के रहनुमा श्री गेंदासिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं लगातार एक सप्ताह से देख रहा हूं और इस आदरणीय सदन में रोज हम इस बहस को सुनते हैं और यह प्रश्न होता है कि आर्डिनेन्स के लिये कौन सी इमर्जेन्सी थी मगर सरकार इसके लिये टाल मटोल करके जवाब दे देती है। लेकिन आज जो अध्यादेश पेश है यह बहुत अहमियत रखता है इस माने में कि १३ दिसम्बर, १९६० को सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला हुआ। उसने सेक्शन ३ में यह कह दिया कि संविधान का शिड्यूल ७ की लिस्ट ५४ की जो स्टेट लिस्ट है उसमें केन सेस को वसूल करने का अधिकार प्रदेशीय सरकार को नहीं है। इसी कारण हमारी सरकार ने यह आर्डिनेन्स ईशू किया। मैं आपके जरिये से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हुई तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसीडेंट की पावर के अन्तर्गत एक आर्डिनेन्स प्रोमल्गेट किया, एक अध्यादेश जारी किया तो इस बात की क्या आवश्यकता थी कि प्रदेशीय सरकार भी एक अध्यादेश धारा २१३ के अनुसार यहां पर लाये? मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से इन्कम टैक्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट वसूल करती है और फिर उसका शेयर प्रदेशीय सरकार को ट्रान्सफर कर देती है और जब प्रेसिडेंट की पावर के अनुसार एक अध्यादेश केन्द्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लागू किया तो मैं कोई आवश्यकता इस बात की नहीं समझता हूं कि प्रदेशीय सरकार भी अध्यादेश लाये। मैं यह समझता हूं कि इसके पीछे एक राज छिपा हुआ है और वह यह है कि जहां पर गन्ने की फैक्टरी है जैसे कि पीलीभीत में एक फैक्टरी है, ऐसे स्थानों के लिये कुछ तरकीब सोची जाय। दानसिंह मिल वाले का सरकार से समझौता है कि किछा की फैक्टरी से ६ हजार किसानों का गन्ना लेंगे, लेकिन आज उनका गन्ना वहां नहीं जा रहा है। अभी किछा फैक्टरी लगी नहीं है। सप्लाई वहां पर नहीं होती है। आज वे किसान मजबूर हैं कि किसी तरह से अपना निर्वाह करे और गन्ने का उपयोग करें। आज इस अध्यादेश में यह लिख दिया गया है कि सरकार राब, गुड़ और खांडसारी पर नियंत्रण करेगी। मान्यवर, अगर सरकार गुड़, खांडसारी पर नियन्त्रण करेगी तो इस प्रदेश की काटेज इंडस्ट्री पनप नहीं सकती है। गुड़ खांडसारी के उद्योग के लिये सरकार को पैसा लगाने की जरूरत नहीं है बल्कि किसान स्वयं ही अपनी जरूरत पूरी करना चाहते हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि केन कमिश्नर के आफिस में जाकर देखिये कि रोजबरोज कितने डेपुटेशन आते रहते हैं। श्री गेंदासिंह जी रायल होटल में रहते हैं तो हम

देखते हैं कि रोज कितने आदमी उनके पास आते हैं और कहते हैं कि जरा केन कमिश्नर के आफिस में चलिये, हमारा गन्ना नहीं लिया जा रहा है। बड़े बड़ काश्तकार या एसे लोग, जो काश्तकार नहीं हैं उनका गन्ना मिल मालिक लेते हैं। तो यह परेशानी जो आज हो रही है उसका कारण क्या है? कोई भी किसान ऐसा नहीं है कि जिसके पास बैलगाड़ी न हो, वह अपना गन्ना मिल तक ले जा सकता है, लेकिन आज फैक्टरियां छोटे किसानों का गन्ना नहीं ले रही हैं। बड़े-बड़े जो फार्म वाले हैं उनका गन्ना फैक्टरियां लेती हैं और छोटे किसान को मजबूर होकर गुड़ और खांडसारी बनानी पड़ती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने इस अध्यादेश के जरिये पूंजीपतियों की सुरक्षा करनी चाही है जिनके बल पर वह पिछले १२ सालों से इस प्रदेश में कायम है और राज कर रही है। सरकार जानती है, समझती है कि जब उसके दल का ही विश्वास उसमें नहीं है तो कम से कम पूंजीपतियों का विश्वास तो उसे अवश्य लेना ही पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था कि अध्यादेश ऐसे मौके पर लाये जाते हैं कि जब कोई नेशनल इमर्जेंसी होती है। आप जानते हैं कि अपने प्रदेश में हम हाउस आफ कामन्स की प्रणाली लागू करते हैं और जैसा श्री गेंदासिंह जी ने कहा, जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर यह अध्यादेश आया है उसकी प्रतियां हमें मिलनी चाहिये।

आप इस संबंध में मुझे यह कहने की आज्ञा प्रदान करें कि ऐसा न कर हमारे मंत्री महोदय ने प्रक्रिया नियमावली के नियम १३१ का उल्लंघन किया है। यह दूसरी बात है कि उसके लिये हम कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाते, लेकिन उस नियम के मुताबिक वह फैसला हम लोगों को मिलना चाहिये जो कि सदन की मेज पर नहीं है। इसके अतिरिक्त यहां इमर्जेंसी क्या है? मिल मालिकों को बचाना है। वह अपनी पूंजी बचा सकें इसके लिये ही यह सरकार विधेयक लायी है। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के पेज १८६ पर लिखा है कि वहां कब आर्डिनेन्स आया। इसमें है:—

"The most celebrated instance of the use of Orders in Council was in 1807 when Great Britain was at war with France. Orders in Council are used to regulate the matters which need immediate attention on the death of one sovereign and the assassination of another".

लेकिन यहां आर्डिनेन्स आया इस बात पर कि किसान गुड़ और खांडसारी न बना सके, छोटे उद्योग कर के जो वह अपना जीव कोपार्जन करता है वह न कर सके इसलिये सरकार आर्डिनेन्स लाती है। और इसके बाद बड़े दावे और हिम्मत के साथ हमारे मुख्य मंत्री और उनके सहयोगी कहते हैं कि हम समाजवादी हैं इसलिये कि श्री जवाहरलाल जी समाजवादी हैं। आपको अपने कृत्यों से समाजवादी होना चाहिये। यदि हम अपने को सोशलिस्ट कहें तो व्यवहार में भी हमें सोशलिस्ट होना चाहिये। गरीब पर जुल्म हो रहा है, लेकिन उसे देखने की सरकार को फुरसत नहीं है। गरीब किसान का गन्ना मिल में जाता है या नहीं यह देखने का समय उनके पास नहीं है। मैं जिम्मेदार तरीके से कहना चाहता हूं कि जब हम गरीब किसान के पास जाते हैं तो हमें तकलीफ होती है। वह कहता है कि हमने खूब आपको एम० एल० ए० बनाया कि हमारा गन्ना तक मिल में नहीं लिया जाता। हमारे हाथ में कोई ताकत नहीं है, हम क्या करें? अगर यह सरकार काश्तकारों के भले के लिये सरकार नहीं चला सकती और सही मानों में उनकी सेवा नहीं कर सकती तो इसे उन लोगों के लिये स्थान खाली कर देना चाहिये जो उनकी सेवा कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं पीलीभीत, जहानाबाद और पूरनपुर के इलाकों में, जहां के किसानों का गन्ना मिलों में नहीं जा रहा है, की तरफ से कहना चाहता हूं कि यदि उसका प्रबन्ध नहीं किया गया तो वे इस बार सत्याग्रह करने के लिये हम सब को मजबूर नहीं करेंगे? मजबूर होकर सरकार को उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा।

(इस समय ३ बजकर ४९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

[श्री प्रतापसिंह]

अन्त में मैं बड़े अदब के साथ माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यह आर्डिनेन्स पूंजीपतियों की सुरक्षा के लिये है इसलिये वे इसको वापस लें ताकि गरीब किसान की, जिसने गन्ना अपने बच्चे की फीस देने के लिये, अपने कपड़े के लिये, अपनी गरीबी मिटाने के लिये पैदा किया है, सुरक्षा हो सके। इन शब्दों के साथ मैं श्री गेंदासिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं गन्ने का काश्तकार हूं, इसलिये आज गन्ने के काश्तकार की क्या हालत है, यह जानने के लिये मुझे किसी काश्तकार से जाकर पूछने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं उसको जानता हूं। श्रीमन्, आज जो इन कुर्सियों पर सुशोभित हैं इनका कहना कुछ और है इनकी नीयत कुछ और है, भावनायें कुछ और हैं और असलियत कुछ और है। इनके काम अच्छे नहीं हैं जैसा कि यह कहते हैं। इस आर्डिनेन्स को लाकर यह हम से चाहते हैं कि हम पूंजीपतियों की हिमायत करें, हरगिज नहीं। यह नहीं होगा। यह सरकार इन पूंजीपतियों को बचाने के लिये ही इस आर्डिनेन्स को लाई है, लेकिन कहती यही है और यही कहेगी कि हम तो किसानों की भलाई के लिये इसे लाये हैं, उन्हीं की भलाई के लिये यह कर रहे हैं। किन्तु वास्तव में यह पूंजीपतियों के लिये एक प्रकार की मोनोपाली खड़ी कर रहे हैं, हमारे ऊपर एक तरह की बेबसी लाकर, कहते यही हैं कि हम उस रुपये को बचाने के लिये, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मिल-मालिकों को जाने वाला था, इस आर्डिनेन्स को लाये हैं। मगर, यह तो वास्तव में एक आड़ है। श्रीमन्, इस अध्यादेश को देखें तो मालूम होगा कि इसकी आड़ में कितने ही और आइटम्स भी हैं। इनको इस तरह से लाकर हमको अंधा बनाना है, बेवकूफ बनाना है। यह सरकार उनको यानी पूंजीपतियों को, मोनोपोलिस्ट बना रही है मगर कहती यही है कि हम समाजवाद की ओर जा रहे हैं।

श्रीमन्, माननीय गेंदासिंह जी ने अभी यह फरमाया कि हमने कोई हड़ताल नहीं की। अगर इस साल हड़ताल की गयी होती तो यह सरकार यही कहती कि तुम तो सरकार को बदनाम करने की नीयत से, हमको गिराने की नीयत से, हड़ताल करते हो और हम हरगिज तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। जब हमने इस वर्ष हड़ताल नहीं की, तो सरकार कहती है कि तुम न हड़ताल करते हो, न और कुछ करते हो, हम क्या करें? आज भी वही तरीके अपनाये जा रहे हैं जो पुरानी सरकार के जमाने में थे और आज उनके चले जाने के बाद यह नवकाल लोग जो आज इन कुर्सियों पर बैठे हैं, इनकी नीयत कभी ठीक नहीं हो सकती।

श्रीमन्, वजीरेआला इस समय यहां पर नहीं हैं, लेकिन उनके छोटे वजीर यहां पर मौजूद हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि खीरी जिले में, वहां के काश्तकारों ने दो दो आने इकट्ठे करके साढ़े १७ लाख रुपये जमा किये क्योंकि उनके यहां एक सहकारी गन्ना मिल खुलवाने का आश्वासन दिया गया था। मैं पूछता हूं कि क्या यह सही नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि मौजूदा उप मंत्री जो पहले हाफिज जी के उप मंत्री थे हम लोग उनसे मिले थे और उस वक्त उन्होंने यह कहा था कि हम काफी रुपया जमा कर लें और फिर वे मिल मालिकों से मिलकर वहां पर एक मिल खड़ी करवा देंगे? क्या यह सही नहीं है कि उन उम्मीदों के सहारे हम लोगों ने दो दो आना जमा करके साढ़े १७ लाख रुपया जमा किया? मैं कहता हूं कि सरकार के कई जरिये हैं जहां से उसके पास पैसा आता है। मैं कहता हूं कि यह मजाक नहीं है। हम लोगों ने जो साढ़े १७ लाख रुपया जमा किया वह मिल मालिकों के जरिये नहीं किया और इस आशा और आश्वासन पर किया कि सरकार वहां पर एक सहकारी मिल खड़ी करवाने में मदद करेगी। यह मैं इसलिये कह रहा हूं ताकि इनकी नीयत का पता चल जाये। मैं इनकी नीयत को बता रहा हूं कि इनकी नीयत आज क्या है? यह सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। अगर वाकई इनकी नीयत ठीक होती, यदि

वाकई यह हमारे हितैषी होते और इनके हृदय में हमारे लिये तनिक भी दर्द होता तो क्यों नहीं आर्डिनेन्स लाकर के यह कहते हैं कि हमारा जो डेफर्ड पेमेंट है वह दो आने हमको दिलाये जायं ? लेकिन इसका कहीं जिक्र नहीं है और जिक्र करने की नीयत नहीं है। क्या सरकार को मालूम नहीं है कि शारदा के उस पार के इलाके के बारे में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कहना है कि यहां गन्ना और धान के सिवाय दूसरी खेती नहीं हो सकती ? बेवकूफ बनाते हैं कि तुमने गन्ना ज्यादा बो दिया, गन्ना कम बोओ। उस मैलेरियल बेल्ट में अगर धान बोया जाय तो हमें बाहर की लेबर नहीं मिलती है। गन्ने की खेती इस वास्ते चल जाती है कि पहाड़ से जो लेबर उतरती है उसे मार्च और अप्रैल तक हम उससे फायदा उठा सकते हैं। वह फिर वापस चले जाते हैं, फिर कोई लेबर नहीं रहती। हमारे गांवों में मैलेरियस कंडीशंस की वजह से धान कम बोते हैं और लोग छोटी होल्डिंग्स पर लगे हुए हैं। यह बरगलाते हैं जो यह कहते हैं कि बड़े बड़े फार्मस अपने फायदे की बात करते हैं। बड़े फार्म्स की तादाद कितनी है ? कुल ७० लाख मन गन्ना पैदा करते हैं और २, ३, ४ बीघे वाले किसान काश्त करते हैं। उनकी तादाद बड़े फार्म्स के कई गुनी ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष—अब अध्यादेश पर आ जाइये।

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, उसी पर वापस आकर कहता हूं कि अगर कोई वाकई फायदे वाला बिल तैयार हो तो लावें और हमारे डेफर्ड पेमेन्ट्स को वापस कराने का वादा करें। कहा जाता है कि हम तुम्हारे फायदे के लिये करते हैं, मिल-मालिकों से रुपया बचाना चाहते हैं। अगर वाकई में यह मकसद है तो हमारे ऊपर बेबसी न लादें कि हम मिल मालिकों के गुलाम बने रहें और वह अपने फायदे के लिये उनको सहूलियतें देते रहें ताकि हर ५ बरस के बाद एलेक्शंस में वह ५०-५० हजार रुपया इनको देवें। क्या यह वाकया नहीं है कि शुगर सिंडीकेट के मालिक इनको रुपया देते हैं एलेक्शन लड़ने को ? यह दुनिया को रोशन है और जो लोग जरा भी शिक्षित हैं, वह यह जानते हैं। तो अगर इन में हुब्बुल वतनी है, देश भक्ति है, हमारी आह का ध्यान है, तो गलती कबूल फरमाइये और मानिये।

दूसरी बात, कंट्रोल पर आता हूं। अगर अध्यादेश देखा जाय तो हम पर तरह तरह के कंट्रोल लागू किये जा रहे हैं। जहां परमिट की जरूरत है वहां नहीं देंगे और ऐसी जगह परमिट खांडसारी बनाने की देवेंगे जहां इन्हीं के वैज्ञानिक विभाग से सिद्ध हो चुका है कि गुड़ और राब की क्वालिटी अच्छी नहीं बनती। हमारे क्षेत्र में खांडसारी की शक्कर इतनी अच्छी नहीं बन सकती जितनी कि पश्चिमी जिलों में या गोरखपुर में बन सकती है—वैज्ञानिक विभाग और एग्रीकल्चर विभाग से यह सिद्ध भी हो चुका है। जहां मिल में गन्ना सप्लाई करके शक्कर बनाया जा सकता है वहां मिल नहीं लगने देंगे मगर मरे जा रहे हैं हमारी मोहब्बत में ! एक मर्तबा १,२०० किसान सन् १९५६ में, मेरे साथ लखनऊ आये, मैं इस वास्ते साथ मंत्री के पास नहीं गया कि मेरे ऊपर दोषारोपण होगा कि सियासत करना चाहते हो। जो मेरे साथी गये थे उनसे कहा कि मुझे निकाल दीजिये। खैर, वह भगवान ने कर दिया। फिर साढ़े सत्तरह लाख के उपयोग की बात आयी तो उप मंत्री ने कहा कि वह सब हो रहा है और आखिर में मिल-मालिकों से मिल गये और उनके हाथ हमको बिकवा दिया। इन्हीं के लोग जो जिलों में हैं और सूदखोरी का काम करते हैं....

श्री अध्यक्ष—उसका इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री सुरथबहादुरशाह—इसकी नीयत से संबंध है....

श्री अध्यक्ष—आपको नीयत पर शक नहीं करना चाहिये।

श्री सुरथबहादुरशाह—नीयत से मेरा मतलब यह है कि जो अध्यादेश ये लाये हैं उसका उपयोग न होना। अगर नीयत शब्द गलत हो तो उसको मैं वापस लेता हूं, लेकिन उसके बराबर का जो शब्द हो उसको आप कृपया रखवा दीजिये। मैं गाली नहीं देना

[श्री सुरथबहादुरशाह]

चाहता। आई डू नाट वान्ट टू एब्यूज बट आई डू वान्ट टु रिब्यूक (I do not wish to abuse but I do want to rebuke)। यदि मैं उनकी नीयत पर शक नहीं कर सकता और न कोई सख्त शब्द ही कह सकता हूं तो कृपया उसके बराबर के शब्द आप रखवा दीजिये। इस तरह से हमारे ऊपर आर्डिनेन्स के जरिये से जो बेबसियां लादी जा रही हैं उनको वह सही मन से सोंचे कि वह ठीक हैं? इन शब्दों के साथ मैं श्री गेंदासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपके द्वारा इस मंत्रिमंडल से नम्र निवेदन करता हूं कि वह इस पर सोचें, विचारें और हमारे डेफर्ड पेमेन्ट्स दिलायें और हमारा चार पैसे का लाभ करवायें न कि हमारे ऊपर एक एक करके मजबूरियां और विवशतायें लादकर मिल मालिकों को मानोपोलिस्ट बनावें। और हमें सदैव उनके आसरे पर रखकर गुलाम बना दें।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वास्तव में मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे माननीय राजा सुरथबहादुरशाह. . . .

श्री सुरथबहादुरशाह---राजा तो मेरे बाप और दादा भी नहीं थे, अगर कांग्रेसी राज्य मुझे देते हों तो मुझे मंजूर है।

श्री अध्यक्ष---राजा नहीं बल्कि आपके नाम के पीछे "शाह" जुड़ा हुआ है।

श्री रामेश्वरप्रसाद---अध्यक्ष महोदय, खुशी की बात है कि हमारे राजा सुरथबहादुर शाह भी अब धीरे धीरे समाजवादी हो रहे हैं कोई बात नहीं है। यह शुगर-केन का जो मामला है इसके जरिये जो बोलने का मौका मिला उससे मालूम हुआ कि आपके विचार धीरे धीरे समाजवाद की तरफ प्रगति कर रहे हैं, इसकी मुझे खुशी है। उन्होंने अपनी बहस में जो जो बातें कहीं जिसमें कि आपको भी अध्यक्ष महोदय स्वयं दखल देना पड़ा, उसमें जो भी उनकी वकालत थी वह और बातों पर थी। उन्होंने जो कहा कि मिल मालिकों से पार्टी का चन्दा लिया जाता है, एलेक्शन लड़ने के लिये कांग्रेसी रुपया लेते हैं, इन सारी बातों का कोई लगाव इस आर्डिनेन्स से नहीं था।

इस आर्डिनेंस में तो केवल तीन बातों का समावेश है। एक तो यह कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला हुआ उसकी तहत में स्टेट गवर्नमेंट को जो फैक्ट्रीज पर गन्ना सेस वसूल करने का अख्तियार था वह इनवैलिड करार दे दिया गया अतएव उसको वैलीडेट करने के लिये इस आर्डिनेन्स को लागू करना पड़ा ताकि वह सेस वसूल किया जा सके और पब्लिक एक्सचेकर का नुकसान न होने पावे। दूसरी बात यह कि इस आर्डिनेन्स के जो और प्राविजन्स हैं उस में यह डेस्क्राइब्ड है कि लाइसेन्सेज कैसे दिये जायेंगे, शुगर केन कमिश्नर के क्या अख्तियार होंगे और वह कैसे लाइसेन्सेज देगा। और तीसरी बात यह है कि अगर उन लाइसेन्सेज की तहत में कोई फैक्टरी उनको न माने, आर्डिनेन्स के उन सेक्शन्स को डिफाई करे तो पनिशमेंट दिया जा सके। बस तीन बातों का ही डेस्क्रिप्शन इस छोटे से आर्डिनेन्स में है। इसके अलावा यह कि सप्लाई कैसी होनी चाहिये. . .

श्री अध्यक्ष---आप भी संक्षेप में ही कहिये।

श्री रामेश्वरप्रसाद---मैं संक्षेप में कह रहा हूं। हमारे माननीय गेंदासिंह जी इस विषय के विशेषज्ञ हैं, वह समय-समय पर असेम्बली में और बोर्ड में शुगरकेन, ग्रोवर्स की बात रखते हैं और गम्भीरता के साथ रखते हैं। उनके दिल में भावनायें हैं। वह चाहते हैं कि केन की काफी ऊंची प्राइस रखी जाय। लेकिन इस आर्डिनेन्स में इस बात का मौका नहीं है कि शुगरकेन की कीमत बढ़ाने की वकालत की जाय। जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि अगर यह आर्डिनेन्स लागू न किया जाता तो लगभग ५०-६० करोड़ रुपया फैक्ट्रीज पर रह जाता और पब्लिक एक्सचेकर की हानि हो जाती जो इस प्रदेश की जनता के इस्तेमाल के लिये, सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी को बनाने के काम में लाया जाता,

उसके लिये न मिल पाता। उस रुपये को वसूल करने के लिये यह आर्डिनेन्स लाया गया। गेन्दासिंह जी ने कहा कि ३ फरवरी को यह लागू किया गया और ६ फरवरी से यह असेम्बली मीट कर रही थी। तो फिर १०-५ दिन वेट ही क्यों नहीं कर लिया गया। सभी जानते हैं कि यह केन का सीजन है। रोज लाखों मन गन्ना फैक्ट्रीज में जाता है। अगर एक दिन के लिये भी यह कानून न रहता तो उसका मतलब यह होता कि लाखों रुपये का नुकसान सरकार को हो जाता। अब अगर कानून भी लाया जाता तो वह भी पहले यहां से पास होता, फिर विधान परिषद् से पास होता, फिर राज्यपाल महोदय के पास जाता, इसमें डेढ़ माह और लग सकता था। इसलिये समय पर इसको करने के लिये जो कुछ किया गया वह संविधान की मंशा के मुताबिक ही किया गया। मालूम तो ऐसा होता है श्री गेंदासिंह जी तो वह ऊपरी मन से कह रहे हैं, उनके दिल की मंशा यह नहीं है। क्योंकि अगर यह रुपया वसूल न होता तो बिजली का, या पुल का, या अस्पताल का या कोई ५० करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बनने से रह जाता। इसलिये यह आर्डिनेन्स अपनी जगह पर जस्टीफाइड है। जितने दिन इसको पास करने में लगेंगे उतना ही नुकसान होगा। इसलिये पब्लिक हित को दृष्टि में रखते हुये इसको पास कर दिया जाना चाहिये।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, जिस रूप में यह अध्यादेश जारी हुआ है, उसके लिये निश्चित रूप से अननुमोदन का प्रस्ताव आना चाहिये था। इसलिये जिन माननीय सदस्यों ने इसके अननुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उनका समर्थन करता हूं। मैं वस्तुस्थिति पर प्रकाश डालना चाहता हूं। अगर आप गन्ना क्रय कर अध्यादेश को पढ़ें तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी यह स्पष्ट लिखा हुआ मिल जायगा। उसमें लिखा है चूंकि उच्चतम न्यायालय ने, हमारे यहां गन्ना क्रयकर लगाने का जो कानून बनाया था, उस को अवैध घोषित कर दिया। मैं समझता हूं कि करीब ५५ करोड़ रुपया मिल मालिकों के पास पड़ा हुआ है उसको सरकार वसूल करना चाहती है। ऐसा सरकार का कहना है। श्रीमन, यह देखा जाय कि अगर सरकार इतनी ही बात कहे कि जो कर वसूल कर लिया है मिल मालिकों ने, उसी कर को चूंकि उच्चतम न्यायालय के फैसले के मुताबिक उसे देने से वंचित हो रहे हैं, इसलिये सरकार उसे लेना चाहती है। तो मैं समझता हूं कि शायद कोई भी विरोधी पक्ष में ऐसा न होगा या इस समस्त राज्य में कोई ऐसा नागरिक न होगा जो सरकार से यह न कहे कि हां, तुम उससे पैसे ले लो। और हम बहुत ही प्रसन्नता के साथ कहना चाहते हैं कि मिल मालिकों के पास जोकि उन्होंने पहले से कर संचित कर लिया है और उन्होंने किसानों से ही लिया, और उसको अगर कानून की बारीकी से बच कर ५५ करोड़ की धनराशि अपने पास बचा लेना चाहते हैं तो यह सरकार उनसे अवश्य निकाले। इसमें हम सरकार का साथ देने के लिये तैयार हैं और मैं समझता हूं कि श्री गेंदासिंह जी भी तैयार होंगे, लेकिन बात इतनी ठीक नहीं है। जैसे देहात में एक कहावत है कि किसी ने कहा कि हमारी मुर्गी इतनी बड़ी है तो दूसरे ने कहा कि इतनी बड़ी मुर्गी कहीं होती है? इस पर उसने कहा कि तरे का हाथ तो तुमने देखा नहीं है। तो यह जो तरे का हाथ है उसे सरकार नहीं बतलाना चाहती है। अनावश्यक ढंग से यहां विवाद के समय रामेश्वरप्रसाद भी बोल गये।

निश्चित रूप से पूंजीपतियों के पास जो रकम जमा है उसको अगर सरकार ले ले और उस रकम को लेकर गरीबों की भलाई में खर्च कर दे तो हमें प्रसन्नता है, लेकिन वास्तव में है क्या अध्यादेश? श्रीमन्, जरा यह देखा जाय, इकाई की परिभाषा में दिया हुआ है :—

"इकाई की दशा में प्रतिमन गन्ने पर चार नये पैसे की दर से प्रतिकर लगेगा।"

और इकाई कहां होगी?

"उस इकाई के अतिरिक्त, जिसने उत्तर प्रदेश खांडसारी शक्कर निर्माताओं को लाइसेन्स देने की आज्ञा, १९६० के अधीन लाइसेन्स प्राप्त किया हो, दूसरी कोई भी इकाई, शक्कर आयुक्त से लाइसेन्स प्राप्त किये बिना गुड़ अथवा राब

[श्री राजनारायण]

बनाने या उसका उत्पादन करने से सम्बन्धित कोई प्रक्रिया न करेगी और न जारी ही रखेगी।"

यानी इस अध्यादेश के जरिये आज यह सरकार सारे प्रदेश में गुड़, राब, खांडसारी के रोजगार को और चौपट करना चाहती है। माननीय उग्रसेन जी ने एक बहुत ही बारीकी की बात की। बिजनौर से एक सज्जन यहां आये हुये हैं और उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपनी एक अर्जी लगाई हुई है कि जो मिल एरिया है उस मिल एरिया के बाहर भी जाकर जो लोग गैर मिल क्षेत्र में खांडसारी का काम कर रहे हैं उसको भी गुड़ लघु कुटीर उद्योग धन्धे के अन्तर्गत लाया जाता है। और उनको भी सरकार लाइसेन्स लेने के लिये बाध्य करती है जिसकी वजह से वहां के छोटे-छोटे गुड़ कुटीर उद्योग धन्धे ही मर रहे हैं। हाई कोर्ट ने उनकी प्रार्थना पर उसको स्टे कर दिया है मगर एक का ही स्टे किया है, सब लोगों का स्टे नहीं किया है। इसका परिणाम यह है कि सरकार जबरदस्ती अपनी धान्धली चलाती जा रही है और उन लोगों से वसूल करती जा रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि अध्यादेश एक दो लाइन का भी हो सकता है। यह कहीं भी नहीं लिखा है कि अध्यादेश चार पन्ने का या २०, २५ धाराओं का ही हो। एक लाइन का अध्यादेश भी सरकार जारी कर दे तो ५५ करोड़ रुपया जो मिल मालिकों ने किसानों से वसूल कर अपने पास सरकार को देने से रोक रखा है वह उनसे मिल सकता है। इस मकसद को रखते हुये, इस उद्देश्य को रखते हुये अध्यादेश निकाला जा सकता है। मगर बात इतनी ही होती तो ठीक भी था, अध्यक्ष, मेरे लिये तो बड़ी परेशानी है और मैं चाहता हूं कि आप हमारे लिये एक रास्ते का, एक मार्ग का निर्देशन करें। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ इसमें निहित नहीं है बल्कि सारे प्रदेश की जनता का स्वार्थ इसमें निहित है। सन् १९६० में जब प्रतिकर लगाने का यह बिल आया था तो उस समय माननीय बहुगुणा जी विभाग के इंचार्ज थे और उस समय जिन-जिन आपत्तियों को हमने उठाया था उन्हीं आपत्तियों को लेकर उच्चतम न्यायालय ने उस कानून को अवैध घोषित किया। बार-बार हम चेतावनी और सुझाव सरकार को देते हैं कि अगर इस प्रकार की धांधली के साथ सरकार चलेगी तो उच्चतम न्यायालय सरकार के रास्ते में अंकुश लगायेगा, लेकिन सरकार हमारी नसीहत नहीं मानती और अपनी हठवादिता पर आरूढ़ है।

अब देखा जाय कि इससे गन्ना व्यवसाइयों का क्या लाभ होगा? यह क्या केवल ५५ करोड़ रुपया का जो अपहरण हुआ है उसी को लेने के लिये ही यह है या इसके द्वारा गन्ना व्यवसाय को चौपट किया जा रहा है? हमारा निश्चित मत है कि जिस रूप में यह अध्यादेश लाया गया है, अगर इसको चालू किया गया तो वह गन्ना व्यवसाय को और जो छोटे-छोटे लघु उद्योग गन्ने के और छोटी इकाइयां खांडसारी आदि की हैं वे सब इसके द्वारा सारे रोजगार चौपट हो जायेंगे। माननीय गेंदासिंह ने इस सरकार के प्रति बड़ी सदभावना बरती और उन्होंने कहा कि इस सरकार को एक मौका दिया क्योंकि नई-नई सरकार आई और नई सरकार के प्रति शुद्ध चित्त के अनुसार उन्होंने कहा कि उन्होंने अबकी बार हड़ताल नहीं की, लेकिन जिनको हड़ताल करना था उन्होंने वह की और मैं कहना चाहता हूं कि हाथ कंगन को आरसी की आवश्यकता नहीं होती, 'रहिमन हांडी काठ की चढ़ै न दूजे बार। गेंदा सिंह जी का खयाल था कि नई सरकार आई है वह कुछ करेगी, लेकिन यह तो भ्रम है। सरकार कहां बदली है केवल सरकार के मेम्बर बदले हैं, जब वही सरकार है तो नीति बदलने का भी सवाल नहीं है। मजदूर लोग हमसे कहते हैं कि अब तो गुप्ता जी की सरकार आ गई--- मैंने उनसे कहा कि तो क्या अब सोशलिस्ट सरकार आ गई, वह तो चन्द व्यक्तियों का ही परिवर्तन उसी सरकार में हुआ है और व्यक्तियों के परिवर्तन से कोई सिद्धांतों का, ढांचे का या उनके तरीकों का परिवर्तन नहीं होता। सोशलिस्ट पार्टी की राय के अन्दर जो किसान चले उन्होंने सत्याग्रह किया और श्री उग्रसेन जी ने किया और उसका फल यह था कि तीन दिन तक मिलों में गन्ना जाना बन्द रहा। तो यह नहीं कहा जा सकता कि हड़ताल नहीं हुई, प्रदेश में क्रांति-

कारी तत्वों ने हड़ताल की और आज भी कहते हैं कि यदि जरूरत होगी तो फिर करेंगे क्योंकि हम शाब्दिक जाल में नहीं फंसते। हमारा सिद्धांत है कि जो आखिर तक खरा उतरे उसी को खरा कहा जाय।

हम इस सरकार को पा रहे हैं कि हमारे सिद्धान्त और उसूल की कसौटी पर वह खरी नहीं उतर रही है। अगर सरकार खरा उतरना चाहती है तो वह स्वयं इस आर्डिनेन्स को वापस ले और अननुमोदन का समर्थन करे और एक बिल लाकर साधु-सम्मत की बात उसमें रखे। चीनी का व्यवसाय प्रदेश में छाया है, ७२ मिलें यहां चलती हैं। मैंने बार-बार निवेदन किया है कि गन्ने के दाम २ रुपया मन और चीनी के सन्तुलित दाम ३२ रुपया मन रखे जांय। पेरे जाने वाले गन्ने की तादाद इस प्रदेश में २० करोड़ मन से इस साल बढ़ कर गत सीजन में ३४ करोड़ मन तक पहुंच गई है। अब मेरी गन्ना कमिश्नर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस वर्ष ३८ करोड़ मन गन्ने का एस्टीमेट है यानी ४ करोड़ मन और बढ़ जायगा। ठीक ढंग से या धांधली से, जबरदस्ती से या हमारी असहाय अवस्था का अनुचित लाभ उठाकर कुछ मात्रा की बढ़ोत्तरी दिखला दें, मगर इससे, यह सत्य है यह बात नहीं जानी जाती। यों तीन आना पैसा देकर, चार-छः आना देकर कत्तिनें आज भी मिल जाती हैं, मगर उसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि उनको चार आना ही मिले। यों आज भी देहात में चार आने, छः आने और आठ आने में मजदूर मिलते हैं, लेकिन इससे यही मालूम होता है कि वह असहाय हैं। इसलिये जो कुछ भी मिल जाय उसी के लिये अधीर होकर दौड़ पड़ते हैं। तो जब हम खाने के लिये मर रहे हैं हमको कुछ पैसा चाहिये। तो जो कुछ भी गन्ना होगा हम जरूर बेचेंगे वरना वह पड़ा रह जायगा। कोल्हू लगाकर पेर भी नहीं पायेंगे। राब और गुड़ भी नहीं बना पायेंगे। तो मजबूर होकर किसान मिल में अपने गन्ने को दे रहा है। आज भी कोई सन्तुलित मस्तिष्क वाला अर्थशास्त्री कह सकता है कि एक रुपये दस आने मन जो गन्ने की कीमत सरकार दिला रही है वह उन किसानों के साथ इन्साफ कर रही है?

श्री अध्यक्ष---आप बहुत ब्योरे में न जायें।

श्री राजनारायण---सांकेतिक है इसलिये कहे दे रहा हूं। शब्द के जाल में, भूल-भुलैया में हमको न रखा जाय। जनता में यह वातावरण न छाने को कोशिश की जाय कि हम ५५ करोड़ या ५० करोड़ रुपया मिल मालिकों से लेने के लिये यह अध्यादेश जारी कर रहे हैं। इसमें बहुत खराबी है। इससे न तो किसान जो गन्ना पैदा करता है उसका भला होता है, न जो छोटे-छोटे यूनिट राब और गुड़ बनाकर इस व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं उनका भला होता है, न प्रदेश की आमदनी बढ़ती है और न प्रदेश में बेकारी और गरीबी भुगतने वाले लोगों का कोई भला हो रहा है। इसलिये सरकार अब बौद्धिक ढंग पर आर्थिक ढंग पर यह एक विधेयक प्रस्तुत करे जिसमें सन्तुलित दाम नीति हो। उसको कैसे कहां-कहां पिरोया जाय यह सरकार का कार्य है। सरकार के पास तमाम विभाग हैं, सेक्रेटरिएट है, वह तमाम आंकड़ों को लेकर पिरो सकती है। हम तो उनको केवल उसूल की बात बता सकते हैं, क्योंकि सारे विभाग हमारे पास नहीं हैं, सारे आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। हमारा कहना है कि गन्ने का उत्पादन करने वालों का भला हो, जो राब गुड़ बनाते हैं, उनके साथ न्याय हो, जो खरीदार हैं उनके साथ भी न्याय हो। ऐसी नीति अपनाई जाय जिसमें २ रुपये मन से कम गन्ने की कीमत किसानों को न मिले और ३२ रुपये मन से ज्यादा चीनी दुकानों पर न बिक पाये। उसी के साथ-साथ जो लोग अपने गन्ने को छोटे-छोटे कोल्हू लगाकर पेरना चाहें उनके ऊपर भी कोई टैक्स इत्यादि न हो, जैसा कि इस अध्यादेश में है। इन्हीं शब्दों के साथ, जो अननुमोदन का प्रस्ताव आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री रामेश्वरप्रसाद---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री गेंदासिंह---श्रीमन, सरकारी पक्ष के किसी माननीय सदस्य ने कोई इस सम्बन्ध में उत्तर नहीं दिया कि जिससे मेरी सहायता होती उन बातों का जवाब देने में जो सरकार को इसमें कठिनाई थी, लेकिन जो दिक्कतें और माननीय सदस्यों ने बतलाई उनके बारे में जरूर कुछ कहना चाहता हूं।

श्रीमन, आपने एक दिन इस बात की चर्चा की थी कि इस मामले में, कीमत वगैरह के सिलसिले में अगर बात मालूम हो जायगी, वह इससे अप्रासंगिक नहीं है इसलिये मैं उसी दायरे में रह कर थोड़ी-सी बात निवेदन करना चाहता हूं। इस अध्यादेश के दो हिस्से हैं। एक तो केन सेस के पैसे को मिलों से लेना है और दूसरा हिस्सा यह है कि ऐसी हालत प्रदेश में उत्पन्न करनी है जिससे कि गन्ना सारे का सारा बड़ी मिलों के लियेही रह जाय। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे सामने नहीं है, लेकिन यह मुझे मालूम है कि इन दोनों हिस्सों को ले करके अध्यादेश लाया गया है।

हाई कोर्ट में जो खांडसारी, राब और गुड़ बनाने की इकाइयों पर रुकावट के लिये सरकार ने कानून पहले वर्ष बना रखा है उसको भी उन्होंने चैलेंज किया है और उसको भी एक-एक आर्डर निकाल करके हम चला रहे हैं। तो उसको भी विनियमित करने की कोशिश की गई है जिसमें उसको हम चलाते जायें और उसका परिणाम क्या होगा बस इसी की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। इसका परिणाम धारा ४ को इस अध्यादेश को देख लिया जाय जिसका मतलब है कि गुड़, खांडसारी और राब को भी सरकार नियन्त्रित करना चाहती है, नियन्त्रण से मतलब कीमत का नियन्त्रण नहीं, बल्कि उत्पादन का नियन्त्रण। बगैर लाइसेन्स के कोई खांडसारी यूनिट न बैठाने पावे। तो उसका गन्ना किसी भी हालत में पेरा नही जा सकता, न छोटी यूनिट बैठा सकता है। तो वह सारा का सारा गन्ना १,५०० मन तक जो १ यूनिट पेर लेती है, मिलों के लिये रह जायगा।

गुड़ की तस्वीर माननीय उपमन्त्री जी ने बताई थी कि उसकी कीमत गिर गई, लेकिन कोई चिन्ता की बात नहीं है। खांडसारी की गिर गई। एक चिन्ता की बात जरूर है खांडसारी, गुड़ का नक्शा देखा जाय कि उनकी कीमत गिरी इसलिये किसान डिसकरेज हुआ। जब वह लगा सकता था तो सरकार ने पंचवर्षीय योजना में यह बना रखा है गुड़ और खांडसारी के लिये रुपया देंगे कोल्हू लगवाने के लिये। तो मुझे मालूम है जो कोल्हू के लिये तकावी के लिये पैसा दिया गया था मालूम नहीं कौन सी शक्ति पीछे काम कर रही है जिससे वह पैसा आज तक किसानों को नहीं पहुंचा। उसके लिये २५ फरवरी को देवरिया में मीटिंग होगी और उसके बटवारे का इन्तजाम किया जायगा। मैंने कहा था कि जो रुपया पिछले साल के बजट का है उसके कोल्हू बटवा दिये जायें। तो कोल्हू काश्तकार को मिल नहीं सके, खांडसारी यूनिट बिना लाइसेन्स के बैठा नहीं सकता और गन्ना बढ़ाने के लिये सरकार की कोशिश भी होगी, सारे डेवलपमेंट के कामों से गन्ने का क्षेत्र बढ़ेगा, उसका उत्पादन भी बढ़ेगा, उसकी ईल्ड भी बढ़ेगी। प्रत्यक्ष है पिछले साल सारे भारत में सबसे अधिक हमने गन्ना पैदा किया। ऐडीशनल प्रोडक्शन में ३ लाख टन ज्यादा पैदा किया। अब ३ लाख टन पिछले साल जो ज्यादा पैदा किया उसके लिये किसान जून तक खड़ा रहेगा। हमारे यहां की क्लाइमेट तो ऐसी नहीं है जैसी कि मैसूर की, बम्बई या महाराष्ट्र की है। यहां तो अप्रैल के बाद तक अगर गन्ना खड़ा रहे तो चौपट हो जाता है इसलिये किसी हालत में मिलों को अप्रैल के बाद नहीं चलना चाहिये। अतः खांडसारी, राब को डिसकरेज करने का जो अध्यादेश है इसका दुष्परिणाम यह होगा कि जुलाई तक गन्ना मिलों के सहारे खेत में खड़ा रहेगा।

श्रीमन्, आप नहीं थे मैं फिर दोहराना चाहता हूं माननीय बंशीधर शुक्ल रोज कहते हैं, उनके कागज मैंने देखे जो सरकार की तरफ से तैयार हुये हैं। मैं उपमन्त्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से कहूंगा कि गन्ने के काश्तकारों की क्या हालत है इसको जरा सोचें। माननीय बंशीधर शुक्ल जी के खेत में २,३०० मन गन्ना खड़ा है जिसमें से ९०० मन केवल सरकार ले रही है। तो बाकी के लिये न कोल्हू मिल सकेगा, और न खांडसारी यूनिट लगा सकेंगे और न वह कहीं दूसरी फैक्टरी में दे सकेंगे। और अगर बेचेंगे तो ५,००० रु० तक जुर्माना तथा ६ महीने की सजा होगी। अब श्रीमन् बतावें कि उस १,३०० मन के लिये क्या बन्दोबस्त है ? ऐसा मामला अकेले बंशीधर जी का नहीं है बल्कि इस प्रदेश के १८ लाख किसानों का है। मुमकिन है कि कुछ लोगों का सही अन्दाजा हो गया हो। तो इस अध्यादेश के उस हिस्से से तो कोई विरोध है ही नहीं। सरकार ने केन सेस को रोकने के लिये जो इन्तजाम किया उसमें हमको कोई विरोध नहीं है। यह बात सही है कि अगर श्री राजनारायण जी इतने तेज न होते तो शायद हम दो जगह बैठते भी नहीं। यह बात सही है कि टेम्परामेंटली हम लोग दो हैं, आपस में शादी ब्याह जरूर करेंगे। अगर लड़की हो गई तो कहां जायेंगे। यह सौभाग्य, यह दुर्भाग्य उनका है कि वे शादी ब्याह नहीं करते। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि शादी-ब्याह की वजह से हम कोई ऐसा काम नहीं छोड़ेंगे जिसको करना चाहिये। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जो हम लोगों ने इस साल हड़ताल नहीं की तो समझ बूझ कर नहीं की। यह बात जरूर है कि १८ लाख किसानों का मामला कोई गेंदासिंह का पर्सनल या खाली पी० एस० पी० का ही मामला नहीं है। अगर हमारे हाथ जोड़ने से सरकार १८ लाख किसानों के साथ न्याय कर सकती है तो मैं उसको करने में एक रत्ती भी पीछे नहीं हटूंगा। हमने दो, तीन वर्ष हड़ताल की और उसका जो परिणाम था वह निकला और मैं समझता हूं कि जो तीन आने मन सरकार ने दिये यह उसी की बदौलत हुआ। यह बात सही है कि जब तक सरकार रजामन्द नहीं होगी तब तक काश्तकार को एक पैसा भी नहीं मिल पायेगा। इसलिये अगर सरकार की सद्भावना के लिये पी० एस० पी० के लोगों ने यह कोशिश की कि इस साल हड़ताल न करके देखो, धमकी मत दो, हाथ जोड़ के देखो तो मैं समझता हूं कि मैंने कोई कर्त्तव्य च्युत होने का काम नहीं किया। बल्कि अपने कर्त्तव्य पर अडिग रहते हुये इस काम को किया है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम किसानों को चार पैसे दिला सकें। तो, श्रीमन, अब श्री राजनारायण जी से पटरी तो इस मामले में बैठ नहीं सकती इसलिये उनको शिकायत रहेगी और शायद जीवन भर रहेगी।

अन्त में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं माननीय उप मंत्री जी से, माननीय मुख्य मंत्री जी तो हैं नहीं, कि यह कोई अकेले उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, आप जरा देखें तो कि जो आप गुड़ और खांडसारी पर पाबन्दी लगाने जा रहे हैं यह सारे भारत में कहां लगी है और कहां नहीं लगी है। सारे भारत में बहुत सी चीनी मिलें बनी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल एक दो बनी हैं। तो जब दर्जनों कारखाने दूसरी जगह बने वहां तो इस तरह की पाबन्दी लगाने की जरूरत हो सकती है मगर उत्तर प्रदेश में जहां पहले फैक्टरियां ९० दिन चलती थीं वहां अब १८० दिन चलने लगी हैं तब आप गुड़ और खांडसारी पर पाबन्दी लगाने जा रहे हैं। जो अंग्रेज इन मिल मालिकों की मदद करना चाहते थे उन्होंने भी गुड़ और खांडसारी पर पाबन्दी नहीं लगायी थी, लेकिन माननीय सम्पूर्णानन्द जी और माननीय गुप्ता जी ने इस काम को कर डाला। जो पाप अंग्रेज को भी करने का साहस नहीं हुआ वह इन लोगों ने कर डाला। मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी गलती को रियलाइज करे और कम से कम अध्यादेश के इस हिस्से को जरूर निकाल दे तभी देश का और इस प्रदेश के काश्तकारों का कल्याण हो सकता है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं एक एक्सप्लेनेशन दे दूं। मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि अपने परम बुजुर्ग माननीय गेंदासिंह जी से कि यह सही बात थी कि उनकी राय नहीं थी कि इस साल हड़ताल हो। इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर वे क्रान्तिकारी विचार के हैं तो जब हड़ताल हो गई तो उसका उन्हें विरोध करना नहीं चाहिये था, उनको जाना चाहिये था हड़ताल में।

श्री अध्यक्ष--यह कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं है।

*सूचना उप मंत्री (श्री रऊफ जाफरी)---अध्यक्ष महोदय, यह एक सीधा सादा सा अध्यादेश था, लेकिन इसके अन्दर ऐसे-ऐसे मामले पिरोये गये कि जिनका शायद जब यह बन रहा था तो ध्यान भी नहीं था। इसमें असल मकसद तो यह था कि जो करीब २० करोड़ रुपया वसूल करना था उस सोर्स को जारी रखा जाय और जो वापस करना था उसको रोका जाय। यह तो उसका मकसद था ही। अब इस बात के लिये किया गया और आगे के लिये भी इसको रख रहे थे तो कुछ रेट वगैरह या कायदा वगैरह तो रखना ही पड़ता। इसलिये यह मुमकिन नहीं था कि इतना ही अध्यादेश हो जाता कि जो पिछला रुपया ५५ करोड़ है, जो वापस दिये जाने वाला है वह नहीं दिया जायगा बल्कि यह था कि आइन्दा के लिये भी यह सोर्स बना रहे और अगर इस बात को रखते हैं तो रेट और कायदे वगैरा जो जरूरी हैं वह इसमें आने चाहिये थे। श्री राजनारायण जी ने जो बात कही वह नहीं थी और वह रुपया जमा नहीं था बल्कि वह तो आ चुका था और उसको वापस देना होता। इसलिये एक मकसद तो यह था कि इस रुपये को वापस न देना पड़े और आगे भी यह हमारा सोर्स जारी रहे इसलिये इस हिस्से का होना भी जरूरी था।

अब सवाल यह रहा कि तीन फरवरी को क्यों जारी किया गया जब कि ५ फरवरी को असेम्बली हो रही थी। अव्वल तो यह कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बातचीत होती रही कि क्या-क्या तरीके अख्तियार किये जायं जिससे रुपया वापस न करना पड़े और आइन्दा के लिये भी हमारा सोर्स बरकरार रहे। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आर्डिनेन्स जारी किया तो तीसरी फरवरी तक जितनी वसूली थी उसको वैलीडेट कर दिया। अब इसके बाद इस आर्डिनेन्स में कोई जिक्र नहीं था इसलिये इसके निकालने की जरूरत थी ताकि हम अपनी आमदनी को, अपनी रकम को वसूल करते रहें।

सवाल यह हो सकता है कि छः तारीख को हो जाता और हम कह देते कि तीन तारीख से लागू होगा, लेकिन दिक्कत यह थी जैसे कोई कानून पेश होता है तो जैसे इस मामूली से मामूली आर्डिनेन्स के ऊपर इतनी गरमागरम स्पीचेज हुई तो इस पर भी कहीं रेट पर, कहीं कंट्रोल पर और रिजर्वेशन हो या न हो, इन सब बातों पर हमारे साथी माननीय गेंदासिंह वगैरा इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात कहते। इस तरह से इसके पास होने में महीनों लग जाते और कौंसिल में देर होती। नतीजा यह होता कि इस सीजन में जो हम सेस वसूल करते उसमें बाधा पड़ती और नुकसान होता। हम उसको वसूल नहीं कर सकते थे। बाद को आप कानून में लिख देते कि तीन तारीख से लागू किया जाय, लेकिन यह तो बकाया पड़ जाता। इसलिये हमें यह आर्डिनेन्स जारी करना पड़ा।

इसी सिलसिले में और भी सवाल उठाये गये। एक तो यह कि क्यों कोई एरिया रिजर्व किया जाय कि वह किसी एक मिल को ही दें। मैं कहता हूं कि जो रिजर्वेशन है, कंट्रोल है वह सब किसानों के फायदे के लिये है....

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं। किसी ने यह नहीं कहा कि एरिया रिजर्व न किया जाय। इसलिये उनको ऐसा नहीं कहना चाहिये।

श्री रऊफ जाफरी---मैं शायद गलत समझा और मैं उसके लिये माफी चाहता हूं। वह बराबर कहते रहे कि किसान को मजबूर किया जाता है कि वह उसी मिल को गन्ना दें, इतना गन्ना पड़ा हुआ है और उसको दूसरी जगह बेचने की इजाजत नहीं दी जाती, वह अपने गन्ने को और कहां ले जाकर बेचें। इसलिये मैंने नतीजा निकाला कि शायद आप रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। यदि नहीं हैं तो बड़ी अच्छी बात है हम और आप एक ही हैं। मैंने मान लिया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि मैं गलत समझा अगर आप रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं बहरसूरत, अब मैं यह कहता हूं रिजर्वेशन से सरासर किसान का फायदा है, मिल का जो हो या न हो, मगर किसान का फायदा है। अभी जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी कह रहे थे, उनकी जबान से किस कदर बेइत्मीनानी जाहिर हो रही थी। गन्ने के बेचने के सिलसिले में अगर इंतजाम न हो कि मिलों को गन्ना समय से पहुंच जाय तो नतीजा यह होगा कि किसान जल्दी की वजह से कि उसका गन्ना अप्रैल तक न चला जाय, मार्च में पेर जाय, उसको इस वजह से दाम कम मिलेंगे। इतना कम्पेटीशन होगा, मिल वाले इक्सप्लायट करेंगे कि उनको आज जो गन्ने का दाम मिल रहा है इतना भी नहीं मिलेगा। जब आप एक तरफ यह कंट्रोल करते हैं तो यह भी लाजमी हो जाता है कि मिल एरिया से बाहर गन्ना न जाय।

खांडसारी के सिलसिले में बड़ा एतराज किया गया। खांडसारी के सिलसिले में इस अध्यादेश में कोई नयी बात नहीं की गयी है। यह वही चीज है जो हाउस ने ऐक्ट में पास किया था, हूबहू वही चीज अध्यादेश में आ गयी है सिवा इसके कि उसमें ओपेन पैन, क्रिस्टल शुगर पर नौ पैसे था, उसको घटा कर चार पैसे कर दिया गया है। सिवा इसके कोई फर्क नहीं है। जिसको हाउस ने पास किया था और जो इनवैलिड हो गया था वही इस अध्यादेश में रखा गया सिवा इसके कि ९ पैसे से ४ पैसे सेस रख दिया गया है।

दूसरे यह हुआ है कि पहले तीन आने सेस था अब वह बढ़ा कर १९ नये पैसे हो गया है जिससे १/४ पैसा बढ़ गया है। वैसे तीन आने में १८.७५ नये पैसे होते हैं। इस तरह से मिलों के साथ कोई रियायत नहीं हुई है। उन पर कुछ बोझ ही डाला गया है। जहां तक खांडसारी की बात है ओपेन पैन वाले पर घटाया गया है। बजाय नौ पैसे के चार पैसे किया गया है।

यह बात तो समझ में नहीं आयी कि अगर कोई लाइसेंस लगाया जाता है तो उसके यह मानी कैसे हो जाते हैं कि उस व्यापार को सरकार खत्म करना चाहती है। ताज्जुब यह मालूम होता है कि माननीय गेंदासिंह जी या माननीय राजनारायण जी अपने को सोशलिस्ट कहते हैं। मालूम नहीं हैं या नहीं। मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही कहूंगा कि कहते हैं। बहरसूरत, वह सोशलिस्ट हैं, लेकिन अगर सोशलिस्ट हैं तो प्लानिंग के खिलाफ कैसे कहते हैं?

अभी श्री गेंदासिंह जी कह रहे थे कि मैंने एक दिन जवाब दिया था कि खांडसारी का दाम गिर गया है तो कोई चिन्ता की बात नहीं है, हालांकि मैंने यह नहीं कहा था, मैंने यह कहा था कि जो इस वक्त मिलता है, पिछले साल के मुकाबले में गिर गया है, लेकिन बाद वाले साल से भी ज्यादा है। उसकी चिन्ता बराबर है और जब मौका होगा तो दखल भी दिया जायगा। मैं यह कहने जा रहा था कि उन्होंने भी बताया कि खांडसारी का भाव गिरता जा रहा है। अगर यह छूट हो जाय कि जहां चाहें खोल लें, खास कर जब किसानों में यह उतावलापन है कि गन्ना जल्दी से दे दें, तो आपने राब और खांडसारी के सिलसिले में जो ऐडवोकेसी की है उसका भाव गिर रहा है। उसके ऊपर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। इस प्रतिबन्ध का नतीजा यह होगा कि वहां गन्ना न जाय। उन्होंने कहा कि वह चौपट हो जायगा। मैं कहता हूं कि वह चौपट नहीं होगा। वह उसको कायम रखने में मददगार होगा लाइसेंस लेना। बाकी रहा यह कि गन्ना खड़ा है, मैं जानता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी किसान हैं, मैं भी किसान हूं, मुमकिन है कि मैं माननीय सुरथबहादुरशाह जी की तरह का किसान न होऊं, लेकिन फिर भी मैं किसान हूं।

श्री राजनारायण---मैं जानता हूं कि आप बहुत बड़े किसान हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है।

श्री रऊफ जाफरी---जी नहीं, यह बात नहीं है। तो मैंने यह कहा कि उसके लिये कुछ न कुछ कंट्रोल, कुछ न कुछ इन्तजाम जरूरी होता है। मैं यह मानता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी गन्ने के किसानों के नेता हैं, लेकिन वह जरा उतावले हैं। वह समझते हैं कि

[श्री रऊफ़ जाफरी]

जल्दी से जल्दी पेर जाय। उनको डर यह है कि गन्ना खड़ा रह जायगा। मैं नहीं जानता, लेकिन इस वक्त जो मेरे पास इत्तिला है उसके अनुसार देवरिया और गोरखपुर की मिलें अप्रैल के अन्त तक कोई १५ तक, कोई १२ तक, कोई १७ तक चलेंगी इस तरह से मुमकिन है कि कुछ मई में भी चली जायं, लेकिन बहरसूरत यह सीजन लम्बा नहीं होगा। मिलों का चलना जो है वह भी मुश्किल हो जायगा जबकि मुकाबिले में हमारे दक्कन की और जो मिलें हैं, वह कब तक चलेंगी, मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता, क्योंकि इस वक्त तो सिर्फ अध्यादेश की बात थी। माननीय सुरथबहादुरशाह जी ने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि इनकी नीयत में फर्क है, यह कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उन्होंने मेरा नाम लेकर के कहा कि उन्होंने मेरे आश्वासन पर दो आने, चार आने करके सत्रह साढ़े सत्रह लाख रुपया जमा किया था जो पड़ा रहा। मुझे तो उनके मुंह से यह इत्तिला मिली कि इतना रुपया जमा कर चुके हैं। उस रुपये के जमा होने के पहले आश्वासन का कोई सवाल नहीं था। मुझसे तो उन्होंने कहा कि इतना रुपया जमा है। चुनांचे मैंने यह जरूर कहा था कि मैं कोशिश करूंगा और यह उनको भी मालूम है कि मैंने कोशिश की। यह दूसरी बात है कि वह मिल लग नहीं पायी और उसके बाद क्या वाक्यात हुए जिनकी वजह से मैं और कुछ नहीं कर सका, यह उनको मालूम है। लेकिन इस किस्म की बात कह देना कि नीयत नहीं थी कहा कुछ था और किया कुछ, यह कुछ सही बात नहीं है। मुमकिन है किसी और मेम्बर आफ दी गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया हो, लेकिन जाती तौर पर जो यह कहा कि मैंने आश्वासन दिया, यह बात सही नहीं है। जब रुपया जमा हो चुका था तब मैंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा और मैंने कोशिश की भी। खैर, इस वक्त उसका समय नहीं है। करीब-करीब जो रेलेवेंट बात थी, वह मैंने कह दी है और मुझे उम्मीद है कि या तो माननीय गेंदासिंह जी अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे नहीं तो हाउस उसे नामंजूर कर देगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अध्यादेश, १९६१ का निरनुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

†उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१

***स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)**—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय। श्रीमन्, जैसा कि अभी एक प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहा जा चुका है कि अन्तरिम जिला परिषद् का कार्यकाल ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त हो रहा था तो जिला परिषदों का चुनाव नहीं हो सका। यह अन्तरिम जिला परिषदें इसीलिये बनाई गई थीं कि जब तक चुनाव न हो सके तब तक जिले में वह कार्य जो पहले जिला परिषदों के द्वारा किया जाता था, यह कर सकें। इसके अतिरिक्त नियोजन का कार्य भी यह चलावे।

जो विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत है उसमें यह प्राविधान किया गया है कि ३० जून, १९६१ तक अन्तरिम जिला परिषद् कार्य करती रहे क्योंकि यह विधेयक लाना ही था और अध्यादेश प्रसारित हुआ, जिस अध्यादेश की अवधि इस सदन के बैठने के पश्चात् केवल ६ सप्ताह रहनी है, इसलिये इस विधेयक को लाने की आवश्यकता हुई। विधेयक को लाने के साथ-साथ यह भी मुनासिब समझा गया कि अन्तरिम जिला परिषद् का अध्यक्ष जो कलेक्टर बनाया गया और बनाते समय जो अनुमान था कि इसको इतने दिन काम करना होगा, वह बढ़ता चला जाता है यह मुनासिब समझा गया कि कलेक्टर को उसका अध्यक्ष न रखा जाय और अन्तरिम

---

†१४ फरवरी, १९६१ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला परिषद् के सदस्यों के द्वारा नये अध्यक्ष का चुनाव करा दिया जाय। श्रीमन्, केवल इतनी ही बात नई रखी गई है। अन्तरिम जिला परिषद् के जो सदस्य पहले से रहे हैं या जो रहने के हकदार थे वही सदस्य उसमें हों। सदस्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अलावा इसके कि जो सदस्य अपने प्रतिननिधित्व की हैसियत से उसमें बैठते थे, वह अब पंचायतों के आम चुनाव हो जाने के बाद नये प्रधानों के द्वारा चुने जाने चाहिये। इसमें कई राय हो सकती हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि अन्तरिम जिला परिषदों की सदस्यता में कुछ फर्क आना चाहिये। इसमें दो राय हो सकती हैं। इस किस्म की भी राय हो सकती है कि जो जिस कटेगिरी की परिषद् है उसमें कोई फर्क न हो। यह भी राय हो सकती है कि अन्तरिम जिला परिषदों में बजाय प्रधान के प्रतिनिधि के ब्लाक के प्रतिनिधि हों। मैं इस बात को थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में नियोजन कार्य के लिये विकास खंड बने हुए हैं और विकास खंडों में क्षेत्र समितियां बनी हुई हैं। जो क्षेत्र समितियां नियोजन विभाग के द्वारा शासकीय आदेश से बनी हुई हैं उन क्षेत्र समितियों के संगठन में प्रधानों के अतिरिक्त और भी उसमें हैं। कुछ कोआपरेटिव के प्रतिनिधि, कुछ विधायक और कुछ और हैं तो विकास क्षेत्र को जो समिति है उसमें प्रधानों के अतिरिक्त और भी सदस्य हैं और विकास क्षेत्र समिति का अध्यक्ष भी चुना जाता है। नियोजन विभाग द्वारा गये हुए आदेशों के अनुसार समय-समय पर इन क्षेत्र समितियों के अध्यक्षों को चुना जाता रहा है किन्तु अन्तरिम जिला परिषद् के जो सदस्य हैं वह क्षेत्र समिति के अध्यक्ष से कुछ भिन्न हैं। नया विधेयक आये तो बात दूसरी है किन्तु आज जो अन्तरिम जिला परिषद् है उनका सदस्य क्षेत्र समिति का अध्यक्ष नहीं है बल्कि उपधारा १३ के अनुसार किसी एक क्षेत्र में, खंड में जितने भी गांव पंचायतों के प्रधान हैं उनके द्वारा एक प्रधान चुना जाता है जो अन्तरिम जिला परिषद् का सदस्य होगा। इसलिये ब्लाक के अध्यक्ष में और अन्तरिम जिला परिषद् के ब्लाक से आने वाले सदस्य में अन्तर हो सकता है क्योंकि एक सदस्य को चुनने वाले केवल प्रधान हैं और ब्लाक के अध्यक्ष को चुनने वाले प्रधान भी हैं और उन के साथ और भी हैं। इस बात को मैं विशेषकर इसलिये स्पष्ट कर देना चाहता था क्योंकि इस सम्बन्ध में कई बार जानकारी चाही गयी है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस विधेयक के द्वारा अन्तरिम जिला परिषद् की सदस्यता को नहीं बदला गया है। जिन संस्थाओं के प्रतिनिधि की हैसियत दी गयी थी या जिनको प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया था उनको ही प्रतिनिधि भेजने का अधिकर है और जो अपने अन्य पद के कारण उसके सदस्य बनते थे वे रहेंगे। केवल प्राविधान इस बात का किया गया है कि अन्तरिम जिला परिषद् के जो सदस्य हैं उनके द्वारा अध्यक्ष को चुनवा दें। श्रीमन्, अध्यक्ष पद के लिये जिले में जो विधान सभा के मतदाता हैं खड़े हो सकते हैं। आवश्यकता नहीं है कि वे अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य ही हों। हां, कुछ थोड़ी पाबन्दी लगा दी गयी है, जो पाबन्दियां विधेयक में स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप अभी कुछ और बोलना चाहेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—केवल दो चार मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष—तो आप अपना भाषण कल जारी रखें।

मंत्रि मंडल के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद के लिये तिथि की घोषणा

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक और सूचना आपको देना चाहता हूं। आज मंत्रि परिषद् के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव को लाने के लिये सदन ने अपनी अनुज्ञा दी थी। नियम के अनुसार मैं १० दिन के अन्दर इसके लिये कोई तिथि निश्चित कर सकता हूं। यहां यह विचार भी व्यक्त किया गया कि २७ और २८ को छुट्टी शायद हो तो यह खतरा है और अगर छुट्टी हो गयी तो १० दिन यं ही पूरे हो जायेंगे। तो मैंने यह निश्चित किया है कि इस पर विवाद २३ और २४ तारीख को हो जाये। वैसे तो मैं एक रोज देता किन्तु पिछली बार दो रोज दिये गये थे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---तीन दिन कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---फिर छुट्टी है । इसलिये मैं २३ और २४ तारीख इसके लिये निश्चित करता हूं और दो दिन विवाद होगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---श्रीमान्, जो २४ को हमारा असरकारी दिन होगा उस दिन का कार्य क्या लैप्स हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष---उसके लिये आपको आगे दिन मिलेगा ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२० फरवरी, १९६१ ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२१ पर)

नाम जिला	संख्या नलकूप जो बेकार हैं	समय जब से बेकार हैं (वर्ष में)
१—मेरठ ..	५२	४
२—बुलन्दशहर ..	१२	५–६
३—मुजफ्फरनगर ..	१४	३
४—सहारनपुर ..	४२	७
५—आगरा ..	१	४
६—एटा ..	४	५
७—अलीगढ़ ..	२६	६
८—इलाहाबाद ..	..	..
९—फतेहपुर ..	३	६
१०—इटावा ..	२७	७
११—हमीरपुर ..	..	..
१२—गोरखपुर ..	२	३
१३—बहराइच ..	१२	५
१४—सुल्तानपुर ..	..	..
१५—बाराबंकी ..	५	३
१६—गोंडा ..	..	..
१७—लखनऊ ..	..	..
१८—उन्नाव ..	८	५
१९—सीतापुर ..	१	५
२०—हरदोई ..	५	८
२१—गाजीपुर ..	१०	६
२२—बरेली ..	..	..
२३—मुरादाबाद ..	२	६
२४—बिजनौर ..	५	६–७
२५—बदायूं ..	२	१–२
२६—रामपुर ..	..	..
२७—शाहजहांपुर ..	१४	५–६
२८—पीलीभीत ..	४	६–७
	२५०	

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३२ पर)

नत्थी 'क'

ट्रेनिंग ग्राउन्ड सम्बन्धित अनियमितताएं

(१) बिना सिक्यूरिटी लिये हुए ही ठेकेदारों को ट्रेनिंग ग्राउन्ड के अधिकार दे दिये गये ।

(२) ठेकेदारों का अनुबन्ध (contract deed) लिखवाया नहीं गया ।

(३) बिड लिस्ट (Bid List) गायब कर दी गयी जिससे कि अनुबन्ध लिखाया न जा सका ।

(४) लीज (Lease) ठेकेदार के डिफाल्ट (default) पर भी रद्द नहीं की गयी ।

लायसेन्स सम्बन्धी अनियमितताएं

(१) बिला इशू किये गये लाइसेन्स प्लेटों का (physical verification) नहीं किया गया ।

(२) लायसेन्स प्लेटों के विनष्टीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र बहुत सरसरी तौर पर दिये गये ।

(३) ऐसी लायसेन्स प्लेट जो कि प्रमाण-पत्र के अनुसार विनष्ट किये गये थे जनता के हाथ बेचे गये और उनकी फीस ली गयी ।

(४) लायसेन्स फीस वसूली गयी पर कोई रसीद नहीं दी गयी । केवल लायसेन्स प्लेट ही दिये गये ।

(५) लायसेन्स फी प्रार्थियों से लिपिकों द्वारा प्रार्थना-पत्र देते समय ही वसूल ली गई जिसके लिये कोई रसीद नहीं दी गई ।

(६) डुपलीकेट लायसेन्स प्लेट बनवाये गये और प्रयोग किये गये तथा इसके लिये लाइसेन्स फी वसूली गयी ।

(७) लायसेन्स प्रदान करने के आदेश लायसेन्स इन्सपेक्टर द्वारा अथवा अधिशासी अधिकारी के पेशकार द्वारा दिये गये थे जब कि इन आज्ञाओं को इक्जीक्यूटिव आफिसर द्वारा दिया जाना चाहिये था ।

नत्थी 'ख'

पैरा १०—बोर्ड के रिकर्ड्स के अनुसार सन् १९५३–५४ में १,०८२ रिक्शा के लायसेन्स फी बोर्ड में जमा की गई जब कि आडिट के अनुसार १,५८० प्रार्थना-पत्र इसके लिये दिये गये । इस प्रकार ४९८ रिक्शों की लायसेन्स फी बोर्ड में जमा नहीं की गयी और लगभग ७,४७० रु० का सम्भवतः गबन किया गया ।

पैरा ११—सन् १९५४–५५ में १,६०२ साइकिल रिक्शा का लायसेन्स धन बोर्ड में जमा किया गया जब कि रिनुवल एप्लीकेशन (renewal application) में इससे अधिक प्लेट नम्बर बताये गये । आडिट रिपोर्ट के अनुसार १९१ रिक्शों की लायसेन्स फीस कर्मचारियों द्वारा गबन की गई ।

पैरा १२—स्टाक बुक के अनुसार सन् १९५२–५३ में २,५०० रिक्शा ड्राइवर प्लेट मंगाये गये थे जिसमें से १,६५५ प्लेट इशूं (issue) किये

गये और बाकी नष्ट कर दिये गये । सन् १९५३-५४ के (renewal application) में कई व्यक्तियों ने १,६५५ से अधिक संख्या वाले प्लेट अपने प्रार्थना पत्र में दिये जिससे यह प्रकट होता है कि या तो यह प्लेट नष्ट नहीं किये गये थे या duplicate plates तैयार किये गये। इस प्रकार बोर्ड को ७०० रुपया का नुकसान हुआ जो कि सम्भवतः गबन किया गया ।

पैरा १३--१९५३-५४ में २,५०० रिक्शा ड्राइवर प्लेट बोर्ड द्वारा बनवाये गये जिसमें से २,१२५ ईशू (issue) किये गये और बाकी नष्ट कर दिये गये । १९५४-५५ के renewal application में जो प्लेट नम्बर प्रार्थियों ने दिये वे २,१२५ से अधिक थे आडिट का अनुमान है कि या तो २,१२५ से अधिक संख्या वाले प्लेट को किसी एजेन्सी द्वारा बनवाया गया है और उसका धन बोर्ड में नहीं जमा किया गया था जो सार्टिफिकेट प्लेटस को नष्ट किये जाने के बारे मे दिया गया है वह विश्वास करने योग्य नहीं है । आडिट का अनुमान है कि इस शीर्षक के अन्तर्गत ३,२८८ रुपये का गबन हुआ है।

पैरा १४--सन् १९५४-५५ में २,५०० रिक्शा ड्राइवर लायसेन्स प्लेट बोर्ड द्वारा बनवाये गये तथा १,४३८ प्लेट इशू (issue) किये गये । जबकि renewal application में सबसे अधिक संख्या वाला प्लेट जो कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में दिया था वह ३,९३० था। इस प्रकार २ ४९२ प्लेटों का लायसेन्स धन बोर्ड में जमा नहीं किया गया और सम्भवतः गबन किया गया जो कि लगभग ७,५०० रुपया है ।

पैरा १५--सितम्बर, १९५५ तक बोर्ड द्वारा १,७०० Cycle Rickshaw Driver Plate इशू (issue) किये गये थे । तथा १,७०१, २,५५० और ३,१०१ से ३,६०० तक की प्लेट स्टाक में थीं और २,५५१ से ३,१०० तक की प्लेट स्टाक में नहीं थीं परन्तु आडिट द्वारा चेक किये जाने पर १,७०१ -३,१०० तक के डुप्लीकेट प्लैट्स जारी किये हुये (issued) पाये गये । इस प्रकार ४,२०० रुपये का बोर्ड को नुकसान हुआ जो कि सम्भवतः गबन किया गया ।

पैरा १६--सन् १९५५-५६ में ३५० बैलगाड़ी लायसेन्स प्लेट तैयार किये गये थे जिसमें से ३० प्लेट इशू (issue) किये गये । आडिट द्वारा चेक किये जाने पर ३१-३५० नम्बर तक के प्लेट स्टाक में पाये गये। (renewal application) में सबसे अधिक संख्या जो बताई गई वह ८७ थी इस प्रकार ५७ प्लेट डुप्लीकेट इशू (issue) किये गये । आडिट का अनुमान है कि इस प्रकार लगभग ४६० रुपये की हानि बोर्ड को हुई जो कि सम्भवतः गबन की गई ।

पैरा १७--सन् १९५४-५५ में छोटी ठेला गाड़ियों के ३१० प्लेट मंगाये गये थे जिनमें से ३०२ प्लेट इशू (issue) किये गये । बाकी प्लेट नष्ट कर दिये गये, लेकिन आडिट को प्लेट संख्या ३०१,३०५,३०६, ३०७ दिखाये गये जिससे पता चलता है कि श्री बोस लायसेन्सिंग इन्सपेक्टर ने जो certificate इन प्लेटों के नष्ट किये जाने के बारे में दिया वह गलत था। बोर्ड को इससे २४ रुपया का नुक्सान हुआ जो कि गबन किया गया ।

पैरा १९--सन् १९५४-५५ में २०० इक्का लायसेन्स तथा इक्का ड्राइवर लायसेन्स प्लेट बनवाये गये थे जिनमें से दोनों प्रकार की प्लेटों की संख्या जो इशू (issue) किये गये थे वे ८४ थी । आडिट के अनुसार प्लेट संख्या ८५-८९ भी इशू (issue) की गयी थी जिसकी फीस बोर्ड में जमा नहीं की गयी थी और सम्भवतः गबन की गई ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३६ पर)

तालिका

पद का नाम	कुल संख्या	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति	निर्धारित शैक्षिक योग्यता
(१) सहायक पंचायत राज अधिकारी	५१	२	१	इन पदों पर केवल पदोन्नति द्वारा नियुक्ति होती है। पदोन्नति पंचायत इन्स्पेक्टरों में से की जाती है जिनके बारे में सूचना नीचे दी गई है।
(२) पंचायत इन्स्पेक्टर	४४४	२१	१०	(क) पदोन्नति के लिये पदोन्नति पंचायत मन्त्रियों तथा पंचायत लिपिकों में से की जाती है जिनके लिए शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल निर्धारित है। (ख) सीधी भर्ती के लिए इन्टरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई परीक्षा, किन्तु हाई स्कूल की परीक्षा के विषय में हिन्दी होना अनिवार्य है।
(३) पंचायत सेक्रेटरी	८५८५	९३३	३५०	हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष कोई दूसरी मान्य परीक्षा

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८५१ पर)

मूल प्रश्न	उत्तर
५—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पंच महानगरियों के अतिरिक्त राज्य में कितने शहरों को राज्यपाल द्वारा रेगुलेटेड एरिया घोषित किया जा चुका है ?	कवाल नगरों के अतिरिक्त गोरखपुर, फीरोजाबाद, गाजियाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, बाजपुर, किछा और रूद्रपुर तथा उनके समीपवर्ती क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ के अधीन "विनियमित, क्षेत्र" घोषित किया जा चुका है ।
६—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त रेगुलेटेड एरिया घोषित किये जाने के उपरान्त उन शहरों में से किनकी-किनकी मास्टर प्लान तैयार हो चुकी है?	कवाल नगरों के अतिरिक्त, गाजियाबाद, बाजपुर किछां और रूद्रपुर के मास्टर प्लान तैयार हो चुके हैं ।
७;—क्या सदन (सरकार) उक्त मास्टर प्लान की संक्षिप्त रूपरेखा सदन के सम्मुख रखेगी ?	कवाल नगरों के मास्टर प्लान व रिपोर्ट स्थानीय डेवलपमेंट बोर्ड व इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (अब नगर महापालिका) द्वारा प्रकाशित किये जा चुके हैं। गाजियाबाद का मास्टर प्लान अगस्त २७, १९६० को सभापति, नियंत्रक प्राधिकारी, गाजियाबाद (कमिश्नर, मेरठ डिवीजन) द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिये दिया जा चुका है । उनकी प्रतियां उक्त अधिकारियों के यहां प्राप्यहैं। बाजपुर, किछां, रूद्रपुर के मास्टर प्लान नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग में प्राप्य हैं । उक्त मास्टर प्लानों की संक्षिप्त रूप रेखा प्रस्तुत करना कठिन होगा और उसमें समय भी लगेगा ।

(ह०) विचित्रनारायण शर्मा
स्वशासन मंत्री ।